खण्ड ६—अंक ३९
७ सितम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

[illegible] नये पैसे (देश में) [illegible] शिलिंग (विदेश में)

241 L. S./56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन

†* १८७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों के, जो १९४७ में सेवा से निवृत्त हुऐ थे, निवृत्ति वेतन सम्बन्धी मामलों पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन मामलों पर कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैं इतना और बताना चाहता हूं कि ऐसे मामलों की संख्या अधिक नहीं होगी । मुझे केन्द्रीय सरकार के १५ विस्थापित व्यक्तियों के मामलों की जानकारी है । दो मामलों का निबटारा शीघ्र ही होने वाला है और अन्य व्यक्तियों के बारे में हमनें पाकिस्तान सरकार को पूछताछ के लिये लिखा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस निवृत्ति वेतन के बारे में कठिनाई क्या है ? क्या उनमें कोई परिवर्तन किये जा रहे हैं ?

†**श्री दातार** : प्रश्न कठिनाई का नहीं है, किन्तु सरकार को उनके पहले की सेवा की जांच करनी पड़ती है, और इस काम के लिये हमें पाकिस्तान सरकार से पूछताछ करनी होती है । कुछ लोगों के बारे में हमें कोई उत्तर नहीं मिला है, और अन्य व्यक्तियों के बारे में जल्दी ही उत्तर मिलने की आशा है ।

रूसी-हिन्दी शब्दकोष

†*१८७२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी ने एक रूसी-हिन्दी शब्द कोष प्रकाशित करने का कार्यभार अपने ऊपर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ग्रंथ पर अनुमानत: कितना खर्च होगा ?

†मूल अंग्रेजी में

1—241 L. S./56

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) लगभग २९,५०० रुपये ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : यह शब्दकोष कौन तैयार कर रहा है और इसका प्रतिलिप्याधिकार किसको होगा ?

†**डा० म० मो० दास** : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के एक असिस्टेंट, श्री डब्ल्यू० आर० ऋषि ने, जो कुछ समय के लिये मास्को में हमारे राजदूतावास में नियुक्त किये गये थे, रूसी भाषा सीखकर इस शब्दकोष को संकलित किया है और इसलिये इसका प्रतिलिप्याधिकार भी उन्ही को होगा ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इसकी कितनी प्रतियां प्रकाशित की जायेंगी ?

†**डा० म० मो० दास** : लगभग दो हजार प्रतियां प्रकाशित की जायेंगी ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इस शब्दकोष को छपवाने से पूर्व क्या इसको रूसी विद्वानों को दिखाया जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : दिल्ली विश्वविद्यालय के रूसी विभाग के अध्यक्ष श्री वी० शिबायेव ने अन्य लोगों के साथ इसकी परीक्षा की है ।

श्री भक्त दर्शन : जो डिक्शनरी तैयार की जा रही है, क्या उस में रूसी के शब्दों का हिन्दी भाषा में अनुवाद होगा या हिन्दी भाषा के शब्दों का रूसी में अनुवाद होगा ?

†**डा० म० मो० दास** : मेरे विचार में यह रूसी-हिन्दी शब्दकोष है, जिसमें रूसी भाषा के शब्दों का हिन्दी में अनुवाद होगा ।

सैनिक फार्म

† *१८७३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ में पूर्वी कमान के सैनिक फार्मों में लगभग एक लाख रुपये के भारी हानि के क्या कारण थे, जब कि दो अन्य कमानों ने लाभ दिखाया ; और

(ख) इन फार्मों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) हानि के निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) डेरी की चीजों की बिक्री में कमी;

(२) मानसून के अभाव में चारे की पैदावार में कमी;

(३) इस साल पहले के भुगतान किये गये ।

(ख) संतोषजनक ।

†**श्री झूलन सिंह** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि संतोषजनक' से क्या अभिप्राय है, क्या फार्मों से लाभ हो रहा है अथवा उन्होंने हानि पूरी कर ली है और यदि हां, तो कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : यह बात एक विशिष्ट वर्ष के बारे में कही गयी है। सारे फार्मों को मिला कर देखने पर उनसे सामान्यतः प्रतिवर्ष लाभ ही रहा है। वस्तुतः सभा को यह जान कर खुशी होगी कि पिछले साल ३५ लाख रुपये तक का लाभ हुआ था।

†**श्री भागवत झा आजाद** : बिक्री में कमी के क्या कारण थे ? क्या इसका कारण यह था कि पहले की अपेक्षा चीजें घटिया तैयार होने लगी थीं अथवा कोई और कारण था ?

†**श्री त्यागी** : मैं हानि के कारण बता चुका हूं उनमें से एक कारण बिक्री में कमी भी थी।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं चीजों की बिक्री में कमी के कारण जानना चाहता हूं, क्या इसका कारण पहले की अपेक्षा घटिया दर्जे की चीजों का तैयार होना था ?

†**श्री त्यागी** : सामान्यतः सैनिक डेरी का सारा दूध तथा उसकी चीजें सैनिक कर्मचारियों को ही दी जाती हैं। किन्तु कभी कभी जब सैनिक कर्मचारी किसी जगह से चले जाते हैं, तो उन चीजों को बाहर कहीं बेचना पड़ता है, जिससे बिक्री में कमी आ जाती है।

†**श्री मात्तन** : माननीय मंत्री ने बताया कि हानि का मुख्य कारण चीजों की बिक्री में कमी हो जाना था। अब उन्होंने बताया कि यह सामान्यतः सैनिक कर्मचारियों को बेची जाती थी, किन्तु जब ये बाहर बेची जाती हैं, तो खरीदार नहीं मिल पाते हैं, तो इसका क्या यह मतलब है कि उनकी भारत में कोई मांग नहीं है ?

†**श्री त्यागी** : उनकी मांग तो है, किन्तु वे सेना के लिये ही हैं। किन्तु जब सेना अन्यत्र चली जाती है, तो मांग में कमी आ जाती है।

†**श्री मात्तन** : क्या कहीं दूसरी जगह इनकी माग नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एकाएक वे खरीदार कहां से ला सकते हैं ? कुछ ऐसी बाते हैं जो माननीय सदस्यों को स्वयं समझ लेनी चाहियें। यदि कहीं कोई बाजार हो और वह वहां न रहे, तो क्या माननीय सदस्य रातभर में वहां बाजार बना सकते हैं ?

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या १९५१–५२ के बाद इनमें से कुछ फार्म एक दूसरे के साथ मिला दिये गये हैं अथवा इनमें से कुछ बन्द कर दिये गये हैं और साथ ही १९५५–५६ में कितनी हानि हुई है ?

†**श्री त्यागी** : जैसा कि मैंने बताया है, १९५५–५६ में पूर्वी कमान के फार्मों में कोई हानि नहीं हुई। उनसे १२,६४,६६१ रुपये का लाभ रहा। तीनों कमानों को मिलाकर लगभग ३५ लाख रुपये का लाभ हुआ। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि कुल लागत के आधार पर ही खर्च का हिसाब लगाया जाता है। अतः मूल्य सामान्यतः समान ही रहता है और जो लाभ होता है उसका मतलब यह है कि सेना को जिस मूल्य पर दूध की चीजें दी जाती हैं, वह बाजार के मुकाबिले में कहीं अधिक होता है, क्योंकि उसमें सभी खर्चा अर्थात् सारा विनियोजन, व्याज इत्यादि तथा मुख्य कार्यालय से डेरी फार्म तक आनें का सारा खर्चा सम्मिलित होता है।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैंने समझा कि यह प्रश्न १९५१–५२ के सम्बन्ध में है जब कि सेना का कहीं भी आना जाना नहीं हुआ, किन्तु माननीय मंत्री यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना का आना जाना हुआ। दूसरे शब्दों में, क्योंकि उपभोक्ता सैनिक कर्मचारी ही थे और क्योंकि वे अन्यत्र चले गये थे, इसलिये अन्यत्र जाने वाले व्यक्तियों की बराबर संख्या में खरीदार नहीं मिल सके। उन्होंने एक कारण चारे की कमी का भी बताया। मैं बताना चाहता हूं कि आगरा में, जहां पूर्वी कमान का सबसे बड़ा सैनिक फार्म है, काफी चारा है और कई सालों के लिये अब भी पर्याप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मैं पूरा ब्यौरा दे देता हूं। सभा सारा ब्योरा जानने के लिये बड़ी उत्सुक है। केवल सेना के आने जाने से ही हानि नहीं हुई। मैंने कहा था कि हानि का एक कारण यह था कि डेरी की चीजों की बिक्री कम हो गयी थी। दूसरा कारण यह था कि मानसून के अभाव में कुछ फार्मों में चारे की पैदावार कम हुई और परिणामस्वरूप बाजार से चारा खरीदना पड़ा। तीसरा कारण यह था कि उस वर्ष पिछले सालों के कुछ अतिरिक्त भुगतान करने पड़े। सामान और कुछ निर्माण कार्यों पर किये गये खर्चे के सम्बन्ध में आगरा के सैनिक फार्म ने ठेकेदारों को लगभग १८,८७० रुपये दिये और ७,००० रुपये पिछले दो साल के जमीन का किराया दिया। इस खर्च के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों के कारण हानि हुई।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री ने हानि के कारण जो विस्तार से बताए हैं क्या वे उन दो कमानों पर लागू नहीं होते जिन्होंने फार्मों को लाभ पर चलाया है ?

†**श्री त्यागी** : यदि कुल औसत को देखा जाये तो फार्मों को चलाने में लाभ ही हुआ है। केवल पूर्वी कमान के एक फार्म में एक साल कुल खर्च को मिला कर हानि हुई है। शेष वर्षों में यह हमेशा लाभ पर ही चला है।

दिल्ली विश्वविद्यालय

† *१८७४. **श्री भीखा भाई** : **क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से अंगभूत कालेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की फीस जिनमें ट्यूशन फीस भी सम्मिलित है, माफ़ नहीं की जाती; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि छात्रवृत्ति बोर्ड ऐसे विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्तियां देता है, उनकी राशियां उस खर्च से कम होती हैं जो उन्हें इन कालेजों में करना पड़ता है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १**]

†**श्री भीखा भाई** : दिल्ली के कालिजों में प्रतिमास कुल कितना व्यय होता है ?

†**डा० म० मो० दास** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री भीखा भाई** : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों का औसत मासिक खर्च कितना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिये ?

†**श्री भीखा भाई** : मैंनें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन की छात्रवतियों पर कितना खर्च होता ह ?

†**डा० म० मो० दास** : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार ने उन विश्वविद्यालयों की जिन में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस माफ़ नहीं की जाती, ये निदेश दिये हैं, कि उनकी ट्यूशन फीसें माफ़ की जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० म० मो० दास** : सरकार विश्वविद्यालयों को ऐसे निदेश नहीं दे सकती । इसके अतिरिक्त यदि विश्वविद्यालय फीस माफ नहीं करते तो ऐसा राज्य सरकारों को करना चाहिये । जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, दिल्ली सरकार ने ट्यूशन फीस तो माफ कर दी है, परन्तु अन्य फीसें, जैसा कि खेलकूद की फीस, कामनरूम की फीस आदि माफ नहीं की । यह राशि केन्द्र सरकार छात्रवृत्तियों के रूप में देती है ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : फीस पहले देनी पड़ती है किन्तु छात्रवृत्तियां बाद में दी जाती हैं । इससे कठिनाई होती है । मुझे मालूम हुआ है कि अनुसूचित जातियों के लगभग सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं । क्या मंत्रालय ऐसा आदेश नहीं जारी कर सकता कि उन की यह कठिनाई दूर हो जाये ।

†**डा० म० मो० दास** : इस कठिनाई को दूर करने के लिये, प्रबन्ध किये गये हैं । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी प्राय: गरीब होते हैं और जब तक छात्रवृत्तियों की राशि उन्हें न मिले वे एक दो महीने तक भी अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं । अप्रैल और मई १९५६ में लगभग १४०० संस्थाओं में, जिनमें वर्ष १९५५–५६ के विद्यार्थी पढ़ रहे थे, २३ लाख रुपये की राशि वितरित की गयी थी, ताकि वे उस महीने से लेकर जब कि उन्होंने संस्थाओं में प्रवेश किया था, चार मासों की अवधि तक तदर्थ भुगतान कर सकें ।

†**श्री नवल प्रभाकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो राज्य सरकारों की तरफ से फीस दी जाती है इससे प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचता है ?

†**डा० म० मो० दास** : यह जानकारी मेरे पास नहीं है । यह इस बात से मालूम हो सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ।

†**श्री नवल प्रभाकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि बावजूद इसके कि सरकार ने इसका फैसला कर दिया है, कुछ कालिजों में विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं अच्छी तरह समझ नहीं सका । वर्तमान प्रबन्ध यह है कि दिल्ली राज्य सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन माफ कर दी है । अन्य फीसें, निर्वाह फीस, कामनरूम फीस, आदि केन्द्रीय सरकार अपनी छात्रवृत्तियों के रूप में देती है ।

†**श्री बालकृष्णन** : छात्रवृत्तियां १५० रुपये से ६०० रुपये तक की होती हैं । कुछ विद्यार्थियों को ३०० रुपये, कुछ को ४०० रुपये, और कुछ को ६०० रुपये दिये जाते हैं । इस अन्तर का क्या कारण है ?

†**डा० म० मो० दास** : पहला कारण यह है कि अपने घरों में रहने वालें विद्यार्थियों के लिए और होस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये भिन्न भिन्न दरें हैं । दूसरा यह है कि निर्वाह भत्ता विद्यार्थी की कक्षा के अनुसार दिया जाता है । उदाहरणतया होस्टलों में रहने वाले आई० एस० सी०, बी० ए० और बी० एस० सी० के विद्यार्थियों के लिये ४० रुपये हैं और अपने घरों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये २७ रुपये हैं, एम० ए० और एम० एस० सी० के विद्यार्थियों के लिये ५० रुपये दिये जाते हैं । डी० एस० सी० डी० लिट०, पी० एच० डी० के लिये ६० रुपये और ५४ रुपये दिये जाते हैं । इसी तरह इंजीनियरिंग टेकनोलोजी, वास्तु विज्ञान के डिग्री कोर्सों के विद्यार्थियों को जो कि होस्टलों में रहते हैं, ७५ रुपये और जो अपने घरों में रहते हैं ६० रुपये दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

टीटेनियम

†*१८७५. **श्री साधन गुप्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में टीटेनियम का कुल कितना संग्रह है ; और

(ख) इनका उपयोग करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) दो महत्वपूर्ण खनिज जिन से टीटेनियम निकाला जाता है इलमेनाइट और रुटाईल हैं और भारत में इन अयस्कों का संग्रह ३००० से ३५०० लाख टन तक है ।

(ख) इलमेनाईट रेतों के निक्षेप मुख्यतया त्रावनकोर-कोचीन और बम्बई में पाये जाते हैं । त्रावनकोर-कोचीन राज्य में इन विक्षेपों का उपयोग करने के लिये ६ कारखानें स्थापित किये गये हैं । बम्बई म रेत निक्षेपों के विकास और उपयोग के लिये राज्य सरकार ने ५ खनन पट्टों और चार खोजने के लाईसेंस दिये हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : चूंकि टीटेनियम एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है और बहुत से औद्योगिक प्रयोजनों के लिये उपयोगी है, और चूंकि इस समय इसे निकालने पर बहुत लागत आती है क्या खनन के सस्ते तरीकों के बारे में गवेषणा करने की कोई व्यवस्था की गयी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : टीटेनियम की विशेषताओं में गवेषणा करने और विभिन्न प्रयोजनों के लिये इसको काम में लाने के प्रबन्ध अणुशक्ति आयोग के हाथ में है । हमारी योजना के अनुसार वह समस्त प्रश्न की जांच कर रहा है और विश्व की कुछ प्रसिद्ध फर्मों के जिन्हें इसका अधिक ज्ञान है, सम्पर्क में है ।

†**श्री वेलायुधन** : त्रावनकोर-कोचीन टीटेनियम कारखाने के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसने काम पुनः आरम्भ कर दिया है और इसका विदेशी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया है? चूंकि इसे बहुत घाटे पर चलाया जा रहा था, एक प्रस्ताव यह था कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य की सरकार इसे अपने हाथ में ले ले । इस समय स्थिति क्या है क्योंकि यह भारत में टीटेनियम का सबसे बड़ा कारखाना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य यह प्रश्न अणुशक्ति विभाग से पूछें । वह इसके बारे में सदन को अधिक जानकारी देगा क्योंकि इस मामले का सम्बन्ध अणुशक्ति विभाग से है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि क्या खरस बन में तांबा खान निगम टीटेनियम निकाल रहा है और यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वहां काम की प्रगति से संतुष्ट है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तांबे की खानों से अभी अधिक टीटेनियम नहीं निकल रहा है । भारतीय तांबा खान निगम को संभवतः अपने तांबे के अयस्क के उत्पादन से बहुत थोड़ी मात्रा में टीटेनियम मिल रहा है। मैं नहीं जानता कि वह इस को किस काम में ला रहा हैं । चूंकि इसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिये इस प्रश्न पर विचार करने का कोई अधिक लाभ नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : त्रावनकोर-कोचीन और अन्य स्थानों पर आपने जो कारखानें स्थापित किये हैं उन के द्वारा कितना टीटेनियम निकाला जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री मात्तन** : टीटेनियम एक चमत्कारात्मक धातु मानी जाती है। इस कच्ची धातु के निक्षेप मुख्यतया भारत में त्रावनकोर-कोचीन में हैं। ब्रिटेन और अमेरिका इस राज्य से आयात किये गये इलमेनाईट से टीटेनियम तैयार करते हैं। जब डा० भटनागर जीवित थे, तो त्रावनकोर-कोचीन में एक अग्रिम संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। उस का क्या हुआ है? क्या अब कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा कि मैंने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य को कहा है, यह प्रश्न अणुशक्ति विभाग से पूछा जा सकता है।

†**श्री साधन गुप्त** : अब प्रतिवर्ष कितना टीटेनियम निकाला जा रहा है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

†**श्री वेलायुधन** : जानकारी के हेतु। वह अधिकांश प्रश्नों को कुछ न कुछ कह कर टालते जा रहे हैं। क्या यह विषय उनके कार्यक्षेत्र में है या किसी और के? यह प्रश्न कई महीनों से, या कम से कई सप्ताहों से उनके पास है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपया मंत्रालयों की सूचि को देखें, जिन्हें भिन्न भिन्न विषय सौंपे गये हैं। अयस्क का उत्पादन खनन से भिन्न है, जो कि अणुशक्ति आयोग के हाथ में है माननीय मंत्री ने यही कहा है। शब्दसागर में दिया हुआ कोई भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है। माननीय मंत्री प्रश्न सुनने के बाद यही उत्तर दे सकते थे कि उनके पास जानकारी नहीं है। टालने का प्रश्न नहीं है। इन परिस्थितियों में माननीय सदस्य उत्तरदायी हैं। उनके मंत्री होने का अर्थ यह नहीं कि हम उन पर जिरह करें और उनके विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें?

†**श्री वेलायुधन** : नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो यह और क्या है। सभी माननीय सदस्य संतुष्ट हैं, केवल आप संतुष्ट नहीं हैं। माननीय मंत्री स्वयं चाहते हैं कि वे सदन को जानकारी दें। वे भी इन्सान हैं। कभी कभी वे भी विरोध प्रकट कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि सारा विश्व इन सदस्यों की कार्यवाही देख रहा है। बहुत से लोग यहीं आ कर देखते हैं। अतः सोच विचार कर के बोलने में कोई हानि नहीं। मेरे विचार में टालने की कोई कोशिश नहीं की गई।

विज्ञापन शिक्षा की पाठचर्या

†*१८७६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विज्ञापन शिक्षा की पाठचर्या की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो किन विश्वविद्यालयों में ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी पाठचर्या की व्यवस्था करने के लिये कोई पग उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं और किस के द्वारा उठाये जा रहे हैं?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबंध संख्या २**]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से प्रकट होता है कि इस समय किसी भी विश्वविद्यालय में पाठचर्या के रूप में विज्ञापन की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं ह। केवल कुछ कोर्सों में यह एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। क्या किन्हीं भारतीय विज्ञापन एजंसियों ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया है और क्या उन्हों ने इस विषय की पढ़ाई के लिए वित्तीय या अन्य सहायता देने का भी प्रस्ताव किया है ?

† **डा० का० ला श्रीमाली** : मुझे मालूम नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार ने यह पूछा है कि विज्ञापन की शिक्षा को बहुत से विदेशी विश्वविद्यालयों की पाठचर्या में सम्मिलित किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं तत्काल ठीक ठीक नहीं कह सकता, किन्तु अमरीकी विश्वविद्यालय इस प्रकार की पाठचर्या को बहुत महत्व देते हैं ।

†**श्री म० कु० मैत्र** : क्या विज्ञापन का कोर्स कलकत्ता और नागपुर विश्वविद्यालय के पत्राचारित पाठयक्रम का एक भाग है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस विषय में हमारे पास जो भी जानकारी है, वह विवरण में दे दी गयी है ।

दुकान सहायक अधिनियम

† *१८७७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य में दुकान सहायक अधिनियम को लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मनीपुर में साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, १९४२ लागू है। इसलिये आसाम दुकान और संस्थापन अधिनियम, १९४८ को इस राज्य में लागू करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : मनीपुर राज्य में साप्ताहिक अवकाश अधिनियम , १९४२ कब से लागू हुआ है ?

†**श्री दातार** : गत अप्रैल में इम्फाल में नगरपालिका की स्थापना होने के बाद से इस अधिनियम को लागू किया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वहां दुकान और संस्थापन अधिनियम क्यों लागू नहीं किया जाता; इस के क्या कारण हैं ?

†**श्री दातार** : इसको आवश्यक नहीं समझा गया ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : दुकान सहायकोंने १९५३ से मनीपुर सरकार और भारत सरकार को दर्जनों बार अभ्यावेदन भेजे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन तीन सालों के दौरान में कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर सकी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री दातार : नगरपालिका की स्थापना हो जाने के बाद कोई कार्यवाही करने की बात सोची गयी थी।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : साप्ताहिक अवकाश अधिनियम का तात्पर्य केवल इस बात से है कि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाये, किन्तु दुकान और संस्थापन अधिनियम का सम्बंध इस बात से है कि एक व्यक्ति एक दिन अथवा एक सप्ताह में कितनें घंटे काम करे।

†श्री दातार : इस समय यह समझा गया है कि साप्ताहिक विकास अधिनियम से काम चल जायेगा। किन्तु यदि ऐसा मालूम हुआ कि आसाम अधिनियम से और भी लाभ है तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

†श्री रिशांग किशिंग : इस समय दुकान सहायकों को प्रतिदिन १२ से १४ घंटे काम करना पड़ता है। साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, १९४२ के लागू होने से क्या काम के घंटों में कुछ कमी हुई है ?

†श्री दातार : मुझे इस प्रश्न के बारे में पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

कच्छ में भूचाल

† *१८७८. { +श्री गिडवानी :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के भूतत्वीय परिमाप दल ने अंजार के भूचाल से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है और इस भूचाल के लिये भूतत्वीय कौन कौन सी बातें जिम्मेदार थीं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग का एक दल हाल ही भूचाल से प्रभावित क्षेत्रों की जांच कर रहा है। जांच हो रही है और प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा।

†**श्री कामत** : उस प्रदेश में पिछले १०० सालों में कितने भूचाल आये हैं ? क्या उस समय कोई सर्वेक्षण किये गये थे और उन सर्वेक्षणों का क्या परिणाम निकला ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कच्छ बहुत पहले से भूचाल का क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार की भूगर्भीय गड़बड़ें १८१९, १८४४, १८४५ और १८६४ में हुई थीं। उन गड़बड़ों से कहीं कहीं भूमि नीचे धंस गयी, शायद २०० वर्ग मील जमीन नीचे धंस गयी और उसमें समुद्र का पानी आ गया। यह अनुमान है कि हाल का भूचाल भी उन्हीं भूगर्भीय गड़बड़ों के कारण आया। जैसा मैंने कहा जांच हो रही है और जैसे ही हमें भूचाल के कारणों और परिणामों का और अधिक पता चलेगा, हम उसकी जानकारी सभा को देंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भूतत्वीय विभाग के पास ऐसा कोई उपकरण अथवा यंत्र है जिससे उस स्थान के मनुष्यों को जहां भूचाल आने वाला हो, उसके बारे में पहले से बताया जा सके ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : नहीं श्रीमान्। दुर्भाग्यवश, अभी विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की है कि भूचालों के बारे में भविष्यवाणी की जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री ने शायद यह कहा था कि उस प्रदेश में १८६५ और १९५६ के बीच कोई भूचाल नहीं आया ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, मैंने यही कहा था ।

†**श्री कामत** : तो १९५६ के लिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात हुई ।

युवक समस्या सम्बन्धी सर्वेक्षण

† *१८७९. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में १९५१ में युवक कल्याण गोष्ठी ने अपनी बैठक में जो सिफारिशें की थी, उसके अनुसार युवक समस्या सम्बन्धी सर्वेक्षणों को करने का कार्यभार किस अभिकरण को सौंपा गया है ;

(ख) इस काम में कितनी प्रगति हुई है और यह कब पूरा होगा ; और

(ग) क्या सर्वेक्षणों के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कुछ विश्वविद्यालयों में युवकों की रहने की दशा का सर्वेक्षण करने का कार्य अपने हाथ में लिया है ।

(ख) अग्रिम सर्वेक्षण की प्रश्नावली छप रही है ।

(ग) जी हां, जब प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा ।

†**श्री मादिया गौडा** : यह प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह बताना बहुत कठिन है, किन्तु जैसे ही प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा हम इसे सभा-पटल पर रख देंगे ।

†**श्री मादिया गौडा** : इस सर्वेक्षण द्वारा कौन कौन सी समस्याओं पर विचार किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जिन मुख्य मुख्य बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, वे ये हैं कि युवकों का सप्ताह भर का कार्यक्रम क्या रहता है, उन के लिये अध्ययन के लिये कितना समय तथा अवसर मिलता है, उनका सामाजिक और कौटुम्बिक जीवन कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सांस्कृतिक रुचि किस तरफ है इत्यादि, इत्यादि ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : युवक कल्याण गोष्ठी ने जिस संकल्प को १९५१ में पारित किया था उसे कार्यान्वित करने में सरकार को पांच साल क्यों लगें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : दो प्रकार के सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। मंत्रालय ने इस काम को हाल ही में लिया है। पहले एक और सर्वेक्षण किया गया था। विभिन्न राज्यों में काम करने वाले युवक-संगठनों की स्थिति, उनके कार्यक्रम और संसाधन जानने के लिये एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणाम भी अभी प्रकाशित नहीं किये गये हैं, क्योंकि हम पूरी जानकारी एकत्र नहीं कर सके हैं। यह जानकारी इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कई संगठनों से प्राप्त करनी है। कभी-कभी, वे ठीक समय पर जानकारी नहीं देते हैं। इसी कारण देर होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवतझा आजाद** : यह अग्रिम परियोजना किन-किन विश्वविद्यालयों में आरंभ की गई है, और किस के द्वारा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केवल प्रारंभिक काम किया गया है। प्रश्नावली तैयार हो गई हैं और यह छप रही है। इस के बाद कुछ विश्वविद्यालयें तथा कालेज जांच के लिये चुन लिये जायेंगे ।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : इस संबंध में गोष्ठी द्वारा अब तक कितने संगठन मंजूर किये जा चुके है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे पास इस समय इनकी संख्या नहीं है।

†**श्री पुन्नूस** : माननीय मंत्री ने कहा कि एक सर्वेक्षण किया गया था और दूसरा किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण किन-किन राज्यों में किया गया था और इस समय किन-किन राज्यों में किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा मैंने कहा इन दोनों सर्वेक्षणों का क्षेत्र अलग-अलग है। १९५१ में गोष्ठी की जो बैठक हुई थी, उसमें उसने यह सिफारिश की थी कि हमें उचित नकायों के परामर्श से युवक कल्याण कार्यों में लगे हुए संगठनों की इन बातों का सर्वेक्षण करना चाहिये कि उनका गठन कैसा है, उनका कार्यक्रम क्या है, उनमें कितने आदमी काम कर रहे हैं, उनके प्रशिक्षण के ढंग क्या हैं, इत्यादि इत्यादि। यह युवक संगठनों के बारे में था। इस संबंध में काफी काम किया गया है। किन्तु क्योंकि सारे संगठनों के बारे में पूरी जानकारी अभी तक एकत्र नहीं हो पाई है अतः उनके परिणामों को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है।

दूसरा सर्वेक्षण, जो कि हम करने वाले हैं

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सर्वेक्षण का ब्यौरा नहीं जानना चाहते हैं। वह केवल यह जानना चाहते हैं, कि किन-किन राज्यों में सर्वेक्षण किया जा चुका है, और किन-किन राज्यों में इस समय किया जा रहा है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इसका उत्तर देने के लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या ये सर्वेक्षण केवल विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तक ही सीमित है ; क्या ये युवक संगठन शिक्षा मंत्रालय अथवा युवक विभाग के अनुदेशों के अनुसार कुछ सर्वेक्षण कर रहे हैं, और क्या इनमें से बहुत से युवक संगठन केवल सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के हेतु नाममात्र के ही संगठन हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : बाद वाला सर्वेक्षण केवल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तक ही सीमित है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या इन विश्वविद्यालयों को कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी, और क्या शिक्षा मंत्रालय का कोई पदाधिकारी सर्वेक्षण की देखभाल के लिये वहां उपस्थित रहेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसका विस्तृत ब्यौरा अभी तैयार नहीं हुआ है। यह सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, और इस में विश्वविद्यालयों से सहायता ली जायेगी।

†**श्री कामत** : हमारे देश के युवकों ने सरकार के सामने ऐसी कौन सी विशेष समस्यायें खड़ी कर दी हैं, जिससे सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह स्पष्ट है कि युवकों की सहायता करने के लिये उनकी सामाजिक और आर्थिक दशाओं का, जिनमें वे काम कर रहे हैं, पता लगाना आवश्यक ह। उस समय तक कोई भी प्रभावशाली युवक कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया जा सकता, जब तक हम उन दशाओं को अच्छी तरह नहीं समझ लेते, जिनमें हमारे युवक कार्य और अध्ययन कर रहे हैं।

पुरातत्व संबंधी वस्तुयें

†*१८८२. **श्री बीरेन दत्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग ओन-कुटी और उदयपुर (त्रिपुरा) में प्राप्त पुरातत्व संबंधी वस्तुओं की परीक्षा कर रहा है ;

(ख) क्या उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) से (ग). त्रिपुरा राज्य में उनाकुट्टी अथवा उदयपुर में न तो हाल ही में कोई खुदाई की गई है और न पुरातत्वीय महत्व की कोई वस्तु प्राप्त हुई है।

प्रशिक्षण शिविर

†*१८८३. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता की बुराइयों को दूर करने के लिये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये १९५५–५६ में कितने प्रशिक्षण शिविर खोले गये ;

(ख) उन पर कितना खर्चा हुआ ; और

(ग) इन शिविरों का संचालन किन संगठनों ने किया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी। प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक प्रशिक्षण शिविर बम्बई में खोला गया था, दो मध्य भारत में और दो राजस्थान में, और आठ प्रशिक्षण शिविर हरिजन सेवक संघ (केन्द्रीय और उसकी शाखाओं) के तत्वावधान में खोले गये थे।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या किसी राज्य सरकार ने इन शिविरों को खोलने से इनकार कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री दातार :** हमने विभिन्न राज्यों से इस संबंध में जानकारी मांगी है। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वह मैंने बता दी है । अन्य राज्यों से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या किसी राज्य सरकार ने इस संबंध में अपनी असमर्थता प्रकट की है, कि वह अपने यहां इन शिविरों का प्रबन्ध नहीं कर सकती और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री दातार :** कुछ राज्यों में प्रशिक्षण शिविर नहीं खोले गये थे। उनके वहां न खोले जाने के कोई कारण तो मेरे पास हैं नहीं। किन्तु यह सत्य है कि कुछ राज्यों ने अपने यहां इस प्रकार के शिविर नहीं खोले।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेडा** : इन शिबिरों में प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की सेवाओं का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, क्या वे स्वेच्छा से कार्य करते हैं अथवा किसी सरकारी अभिकरण की अधीनता में ?

†**श्री दातार** : मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है।

† **श्री तिम्मय्या**: क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि ये हरिजन सेवक संघ, जिनको सरकार द्वारा अनुदान दिये गये हैं, अस्पृश्यता दूर करने के बारे में अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं ?

†**श्री दातार** : जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उससे हमें संतोष है कि हरिजन सेवक संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहां तक राज्यों में संघ के कार्यकर्त्ताओं का संबंध है, उनके बारे में राज्य सरकारें ही बता सकती हैं। किन्तु मुझे उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : केन्द्रीय सरकार ने इस काम के लिये कितनी धनराशि नियत की है और क्या राज्य सरकारों ने और साथ ही गैर-सरकारी संगठनों ने इस राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया है ?

†**श्री दातार** : मुझे इस समय केवल इतनी ही जानकारी है कि बम्बई सरकार ने अपने शिविर पर १०,८४७ रुपये खर्च किये थे। दूसरे शिविरों के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा

***१८८४. श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार को १९५६–५७ में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिये कोई अतिरिक्त अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों में खर्च के लिये कितनी-कितनी रक़म दी गई है ; और

(ग) इस अतिरिक्त अनुदान के दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) नहीं, जी।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री खू० चं० सोधिया : ५ लाख से ज्यादा का अनुदान दिया गया, ऐसा आप के बजेट में लिखा हुआ है।

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, प्रथम पंचवर्षीय योजना में २१ लाख २९ हजार, ३३८ रुपया मंजूर हुआ था।

श्री खू० चं० सोधिया : इस काल में अधिक अनुदान दिया गया है, ऐसा आप के बजट में लिखा हुआ है।

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं, मुझे मालूम नहीं कि आप की इतला कहां से है। हमको उन्होंने यह कहा था कि जो पिछले साल की रिकरिंग ग्रांट थी ४ लाख ४७ हजार और २९ लाख ९४ हजार ९६० रु० जिस को हमने मंजूर किया था, उस को रिलीज कर दें। हमने उन से पिछले साल जो खर्च हुआ, उस के डिटल्स मांगे हैं और जब वह आ जायेंगे तभी उस पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कास्ट एंड वर्क्स अकाउन्टेन्टस इन्स्टीट्यूट

†*१८८५. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेंट्स इंस्टीच्यूट स्थापित की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउन्टेंट्स संस्था पहले ही मौजूद है जिसका मुख्यालय कलकत्ते में है। भारत में कॉस्ट और वर्क्स लखापालों के व्यवसाय के नियंत्रण के लिये इस संस्था के स्थायी हो जाने पर सरकार इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व का बनाने पर विचार करेगी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये जायेंगे ?

†**श्री म० च० शाह** : मेरे पास इस के आंकड़े नहीं हैं। यह एक गैर-सरकारी संस्था है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस संस्था के शिक्षक भारतीय होंगे अथवा कुछ विदेशी विशेषज्ञ बुलाये जायेंगे ?

†**श्री म० च० शाह** : मैंने अभी कहा है कि यह एक गैर-सरकारी संस्था है और यह सब सूचना सरकार के पास नहीं है।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लागत (कॉस्ट) लेखे में प्रशिक्षित लोगों की बहुत मांग है, क्या सरकार इस के पाठ्यक्रम की विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्यवस्था करना चाहती है ?

†**श्री म० च० शाह** : मैंने कहा है कि हम इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की बनाना चाहते हैं। इस विषय पर हमने संस्था के प्रबन्धकों से चर्चा की थी। हम इस मामले को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और बाद में शास-प्राप्त लेखापाल संस्था की भांति उसके लिये भी विधान बनाना चाहते हैं।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : यह विधान कब तक बनाया जायेगा ?

†**श्री म० च० शाह** : पहले तो हम इस संस्था का विकास करेंगे। हमने प्रबन्धकों से बात की थी। उस के बाद हम विधान बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार ने इस संस्था के क्रमिक विकास के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री म० च० शाह** : अभी यह प्रारम्भिक अवस्था में है। मैं बता चुका हूं कि हमारे समवाय विधि प्रशासन विभाग ने संस्था के प्रबन्धकों से बातचीत की थी और हम योजना बना रहे हैं। ज्यों ही योजना बन जायेगी त्यों ही मैं उसका ब्यौरा दे सकूंगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि श्री गोरवाला ने राज्य व्यवसायों के सुचारु संचालन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में १९५१ में ऐसी संस्था की स्थापना की ओर संकेत किया था और १९५२–५३ में प्राक्कलन समिति ने भी सरकार के स्वयं ऐसी संस्था खोलने का परामर्श दिया था ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० च० शाह** : माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना सही है। १९५३ में जब समवाय विधि पर विचार किया जा रहा था उस समय इस विषय पर चर्चा की गई थी। विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श लिया गया था और समवाय विधि में इस प्रकार का उपबन्ध करने का प्रस्ताव था किन्तु हमें यह परामर्श दिया गया कि पहले पाठ्यक्रम, अध्यापकों आदि के बारे में संस्था में कुछ प्रतिनिधि भेज कर इस का विकास किया जाय और जैसा मैंने कहा है। यह विषय विचाराधीन है।

जनसंख्या का वितरण

†*१८८६. **श्री अच्युतन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने भोपाल और अन्दमान के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के परिवारों को बसाने के लिये कोई योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) आसाम और मैसूर में त्रावनकोर-कोचीन सरकार भूमिहीन श्रमिकों को बसाना चाहती है, अतः वहां की सरकारों से कहा गया है कि वे उन क्षेत्रों को बतायें जो उन्हें बसाने के लिये उपलब्ध हो सकेंगे और यह भी बतायें कि कितने श्रमिकों को वे ले सकते हैं।

†**श्री अच्युतन** : क्या आसाम और दूसरी राज्य सरकार ने बताया है कि वे इतने परिवारों को राज्यों में बसा सकेंगी ? क्या अन्य राज्यों से भी पूछा गया है कि क्या उनके यहां त्रावनकोर-कोचीन के परिवारों को बसाने के लिये भूमि मिल सकेगी ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न विचाराधीन है। हम ने आसाम और मैसूर सरकारों से सूचना मांगी है। त्रावनकोर-कोचीन सरकार ३९ लाख रुपये व्यय करके वहां के १,००० परिवारों को इन राज्यों में बसाना चाहती है।

†**श्री अ० म० थामस** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिक जनसंख्या वहां की एक प्रमुख समस्या है, क्या वही राष्ट्रपति का शासन होने के बाद गृह-कार्य मंत्रालय ने पड़ौसी राज्यों में वहां के लोगों को बसाने की कोई नई योजनायें बनाई हैं और यदि हां, तो उन का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री दातार** : पहले का प्रस्ताव ही काफी संतोषजनक है। दोनों सरकारों के परामर्श से इस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं तो यह जानना चाहता था कि राष्ट्रपति के शासन के बाद क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने कोई नया प्रस्ताव तैयार किया है ?

†**श्री दातार** : यह प्रस्ताव त्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा तैयार किया गया था। यह खाद्य और कृषि मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। इस विषय में आगे कार्यवाही की जा रही है।

†**पंडित च० ना० मालवीय** : क्या यह सच है कि भोपाल राज्य में २०० परिवार बसाये गये हैं और यदि हां, तो इस परीक्षण का क्या परिणाम निकला है ? यह सफल रहा है या असफल ?

†**श्री दातार** : भोपाल राज्य में त्रावनकोर-कोचीन के कुछ परिवार बसाये गये हैं और आम तौर से उनकी हालत ठीक है। इस सभा में तथा दूसरी सभा में कुछ शिकायतें की गई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन शिकायतों की जांच की गयी है और उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गई है । आम तौर पर उन्हें संतोषप्रद रूप में बसाया गया है।

†**श्री अच्युतन** : अन्दमान और भोपाल में बसाये गये परिवारों की कुल संख्या कितनी है। क्या इन क्षेत्रों में निकट भविष्य में और लोगों को बसाने की कोई योजना है ?

†**श्री दातार** : अन्दमान और निकोबार के आंकड़े मैंने पहले दिये हैं। भोपाल में, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया, लगभग २०० परिवारों को बसाया गया है।

नकली वित्त एजेन्सियां

†*१८८८. **श्री नन्दलाल शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली की कुछ नकली वित्त एजेन्सियों की निन्दित कार्यवाहियों के बारे में ४ अगस्त १९५६ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी एजेन्सियों के अधिकांश शिकार सरकारी कर्मचारी होते हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में अब तक कोई कार्यवाही की है या उसका करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) सरकार ने उक्त समाचार देखा है।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार ने जनता को ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध चेतावनी के लिये प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं। उनकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३]**

†**श्री गिडवानी** : क्या इतना ही पर्याप्त समझा गया है ? क्या सरकार ऐसी नकली संस्थाओं को रोकने के लिये कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं करेगी ?

†**श्री दातार** : यह तो हमने एक कदम उठाया है। यदि सरकारी कर्मचारियों को धोखा दिया जाता है तो वे सरकार के पास आ कर आवश्यक कार्यवाही करा सकते हैं।

†**श्री कामत** : ये नकली व्यापार बहुत प्रचलित हो रहे हैं।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ऐसे ऋण लेने के बाद कुछ सेवा नियमों से बंधे होने के कारण सरकारी कर्मचारी उनके बारे में अपना मुंह नहीं खोल सकते ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य का कहना कुछ अंश तक ठीक है। अब सरकारी कर्मचारी ऐसे नकली बैंकों से लेन-देन करते हैं, तो उनको अर्थ की हानि होती है। हमारे पास सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियम हैं जिन के अनुसार इस प्रकार का आर्थिक सौदा अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा समझा जाता है । अतः सरकारी कर्मचारी सरकार से कहने में हिचकते हैं।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : क्या सरकार का ध्यान २५-८-५६ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में काशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि लगभग २० वर्ष पहले ऐसी ही कुछ पठानों

†मूल अंग्रेजी में

की संस्थायें भी चल रही थीं और सरकार ने अपने समस्त विभागों में इस प्रकार के परिपत्र जारी किये थे कि सरकारी कर्मचारी गुप्त रूप से शिकायत करें और यह भी कहा गया था कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ? क्या सरकार कर्मचारियों को ऐसा आश्वासन दे सकती है कि यदि वे इस सम्बन्ध में सूचना दें तो उन्हें दण्ड नहीं दिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को ऐसे मामलों में काफी सावधान रहना चाहिये ऐसी उनसे आशा की जाती है, यदि वे कोई नासमझदारी का काम करते हैं तो वे स्वयं इसके भागी हैं।

†**श्री कामत** : निगरानी करने वाले अफसर भी तो होते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तीन चार मंत्रालयों से नकली संस्थाओं के बारे में प्रश्न पूछे गये थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और अब वित्त मंत्रालय से यह प्रश्न किया गया है। हर रोज ऐसी संस्थायें बन रही हैं।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : बहुत से ऐसे विभाग भी हैं जहां ऐसी कोई संस्था नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अतः मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। क्या इस प्रकार की संस्थाओं को रोका नहीं जा सकता ? विकृत परिस्थितियों में कुछ नौजवान मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस में उनका क्या दोष है। गृह मंत्री को ऐसी संस्थाओं को रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। जब शिक्षा संस्थाओं के बारे में यह प्रश्न किया गया था तो मैंने सोचा था कि उन्हें लाइसेंस देने की प्रथा होनी चाहिये। मुझे पता नहीं कि उससे यह समस्या हल हो सकती है या नहीं किन्तु आर्थिक संस्थाओं के लिये भी ऐसा ही किया जा सकता है। स्वास्थ्य संस्थाओं को ही लीजिये। जहां कहीं कोई दन्त चिकित्सक होता है अथवा कोई दवाखाना खोला जाता है वहां लाइसेंस दिये जाते हैं। यह काम बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिये। अन्यथा कुछ अनजान आदमी ऐसे कामों में फंस जाते हैं और रुपया खर्च करने के बाद पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। यही मेरा विचार है।

†**श्री दातार** : सरकार आप के सुझाव पर विचार करेगी। मैं यह भी बता दूं कि जहां कहीं कोई बैंक खोले जाते हैं वहां उन्हें बैंकिंग अधिनियम अथवा समवाय अधिनियम के अधीन कुछ आदेशों का पालन करना पड़ता है।

†**श्री साधन गुप्त** : बैंकिंग समवाय अधिनियम के अधीन ।

†**श्री दातार** : इसी प्रकार यदि रुपया उधार देने का व्यवसाय किया जाता है तो उसके लिये साहूकार अधिनियम है। फिर भी हम आप के सुझाव पर विचार करेंगे।

†**श्री कामत** : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह पूछता हूं कि प्रतिरक्षा संगठन मंत्री, श्री त्यागी ने यह कहा कि कुछ मंत्रालय ऐसे हैं कि जहां कोई नकली काम नहीं होता, तो क्या कुछ ऐसे भी मंत्रालय हैं जहां ऐसा काम होता है ?

†**श्री त्यागी** : मैंने तो यह कहा था कि कोई नकली संस्थायें नहीं चल रही हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने जो कुछ कहा वह केवल इतना ही था कि कुछ मंत्रालयों में ऐसे कोई काम नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सरकारी कर्मचारी एक बार जाल में फंस जाने के बाद बहुत रुपया देने पर भी नहीं छुट पाते। उनकी दशा सुधारने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

†**श्री दातार** : सरकार निस्सन्देह उचित कार्यवाही करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो अभियोग भी चलायेगी, किन्तु संतप्त व्यक्तियों को सरकार के सम्मुख सब सूचना देनी चाहिये।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : क्या सरकार उन्हें आश्वासन दे सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे प्रत्येक मनुष्य को आश्वासन देने का क्या अर्थ है जो मुसीबत में पड़ जाता है ?

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : यही कि यदि वे सरकार को सूचना दें तो उन्हें दण्ड नहीं दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा तो उन्होंने पहले ही कह दिया है किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मदद नहीं की जा सकती। वे यह सब मुसीबत मोल ले लेते हैं।

नागा डाक्टर का निधन

†*१८८९. **श्री कामत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ३१ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहिमा के नागा डाक्टर, डा० हरालू के निधन के बारे में साक्ष्य का सारांश लिख लिया गया है ; और

(ख) इस विषय में क्या स्थिति है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : (क) जी हां।

(ख) साक्ष्य का सारांश अभी आगे कार्यवाही के लिये, जनरल आफिसर कमांडिंग, आसाम के विचाराधीन है। मैं इतना और बतादू कि आशा है कि अगले सप्ताह में आदेश दे दिये जायेंगे।

†**श्री कामत** : इस बात को देखते हुए कि वयोवृद्ध डा० हरालू एक अति निष्ठावान् नागा थे जिन्हें हमारे कुछ सैनिकों ने मार दिया ऐसा कहा जाता है, जिनके लड़के-लड़कियां आज भी सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, और हमारे प्रधान मंत्री ने इस सभा में उनके निधन पर या कथित हत्या-पर चिन्ता और शोक प्रकट किया था, क्या मंत्री महोदय यह सत्र समाप्त होने के पूर्व इस सभा को जांच का परिणाम बता देंगे ?

†**डा० काटजू** : यह कार्यवाही न्यायाधीन है। तीन सैनिक गिरफ्तार किये गये हैं और काफी विस्तार से उनके विरुद्ध साक्ष्य का सारांश लिखा गया है। सेना अधिनियम में उपबन्ध है कि उस साक्ष्य पर विचार करना और आवश्यक हो तो न्यायाधीश महाधिवाक्ता से कानूनी राय लेना और इन अभियुक्तों पर अभियोग चलाने के लिये सामान्य सेना-न्यायालय को बुलाना या उपयुक्त आदेश जारी करना अब जनरल आफिसर कमांडिंग का कर्त्तव्य है। इस प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया अपनायी जायगी। मैं सभी बातें नहीं बता सकता क्योंकि तीन अभियुक्तों पर अभियोग चल रहा है।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री को यह बताते सुना गया है कि साक्ष्य के सारांश का परीक्षण सप्ताह पूरा हो जायगा। आज शुक्रवार है . . . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० काटजू** : साक्ष्य का सारांश लिखा जा चुका है। साक्ष्य लेने वाले पदाधिकारी का प्रतिवेदन जनरल अफिसर कमांडिंग को प्रस्तुत किया जा चुका है और अगली कार्यवाही के बारे में वे अगले सप्ताह आदेश जारी करेंगे। या तो नियमित कोर्ट-मार्शल होगा या अन्य उपयुक्त आदेश दिये जायेंगे।

†**श्री कामत** : कितने सैनिक गिरफ्तार किये गये थे ?

†**डा० काटजू** : तीन सैनिक।

†**श्री कामत** : किस श्रेणी के ?

†**डा० काटजू** : वे सभी अन्य श्रेणी के हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिये क्या कोई कार्यवाही या सावधानी बरती जा रही है ?

†**डा० काटजू** : प्रत्येक संभव कार्यवाही और सावधानी बरती जा रही है कि निर्दोष व्यक्तियों को मारा न जाये और उन्हें तंग न किया जाये। इस विषय में सभा के सभी माननीय सदस्य पूरा विश्वास रखें।

†**श्री कामत** : क्या यह कहना कि वह केवल एक दुर्घटना या उससे भी बदतर बात थी, अभी समय से बहुत पहले नहीं है ?

†**डा० काटजू** : बदतर बात क्या ?

†**श्री कामत** : श्री शर्मा ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी। क्या यह कहना अभी समय से बहुत पहले नहीं है कि यह एक दुर्घटना या उससे भी बदतर बात थी ?

†**डा० काटजू** : यह तो अभियुक्तों के विरुद्ध दी गयी साक्ष्य का मूल्यांकन कर के कहा जा सकता है।

खनिजों का विकास

†*१८९०. **श्री हेमराज** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के स्थान के संबंध में अब तक कितनी सूचियां और नक्शे तैयार किये गये हैं ;

(ख) किन-किन खनिज पदार्थों के लिये सूचियां और नक्शे तैयार किये गये हैं ;

(ग) इनमें से कौन-कौन से खनिज पदार्थ सरकारी क्षेत्र के लिये रक्षित रखे जायेंगे ;

(घ) क्या इस बारे में कोई विनिश्चय किया गया है कि कौन कौन से खनिज क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र को पट्टे पर दिये जायेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो ये कौन से क्षेत्र हैं और किन शर्तों पर ये दिये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सूचियां और मानचित्र बनाने का काम अभी चल रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) जी नहीं। इस विनिश्चय के लिये आवश्यक प्रारंभिक आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेमराज** : जिन खानों पर काम करना सरकार के लिये या अन्य लोगों के लिये या समवायों के लिये लाभदायक नहीं है, क्या वे खानें ग्राम-समुदायों को या सहकारी-समितियों को दे दी जायेंगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह तो माननीय सदस्य का सुझाव है और अपने विचार-विमर्श में इसपर भी विचार किया जायेगा।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : सर्वेक्षण पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कोई विशिष्ट सर्वेक्षण सम्मुख नहीं है। मैं यह बता रहा था कि इस नई नीति के बाद, हमारे मानचित्रों और सूचियों में सर्वेक्षण के जो परिणाम दिखाये जायेंगे, उनमें सरकारी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित प्रदेश दिखाये जायेंगे और शेष क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र के अधीन होंगे।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि कई वर्षों के प्रयत्नों के बावजूद भी सारे देश के केवल पच्चीस प्रतिशत भाग के भूगर्भीय नक्शे बन पाये हैं ? क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश के शेष भाग का जियोलोजिकल मैपिंग करने के सम्बन्ध में कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री के० दे० मालवीय : देश भर के मिनरल्ज़ के मुताल्लिक जांच-पड़ताल करने और नक्शे तैयार करने में अभी बहुत समय लगेगा। मैं नहीं जानता कि जिस भाग के नक्शे तैयार हो गए हैं, वह ठीक पच्चीस प्रतिशत है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा ज़रूर बाकी है। जैसे जैसे हमारे अपने विशेषज्ञ —टैक्निकल परसोनेल—तैयार हो जायेंगे और हम खुद काफी तादाद में औज़ार बना सकेंगे, वैसे वैसे हम यह सर्वे करने का काम जल्दी खत्म कर सकेंगे।

†**श्री लक्ष्मय्या** : प्रश्न में रामजिन सोने की खानें छपा हुआ है किन्तु यह रामगिरि सोने की खानें होना चाहिये।

रामजिन सोने की खानें

†*१८९१. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिमाप ने अनन्तपुर जिले में रामजिन सोने की खानों की स्थिति का, १९१७ में उनके बंद हो जाने के बाद, कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देनेवाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४]**

†**श्री लक्ष्मय्या** : विवरण से यह मालूम होता है कि एक दूसरे ही प्रश्न का उत्तर दिया गया है क्योंकि ये उसी जिले के गूटी तालुक में रामपुरम् सोने की खानों के एक दूसरे समूह के संबंध में हैं। मुझे हर्ष है कि भूतत्वीय परिमाप कम से कम यह काम १९५६–५७ के मौसम में प्रारंभ करने का विचार कर रहा है। मेरा प्रश्न बिलकुल अलग था। यह उसी जिले के धर्मावरम् तालुक में रामगिरि की सोने की खानों के संबंध में था। क्या सरकार को रामगिरी की सोने की खानों के बारे में जानकारी है, जो ३० वर्ष तक एक यूरोपियन कंपनी के प्रबंध के अधीन चल रही थीं और जहां एकाएक १९२० में काम बंद कर दिया गया था?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां। रामगिरि के निकट क्षेत्रों में काम करने के लिये १९०५ में अनन्तपुर गोल्डफील्डस् लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनायी गयी थी और बाद में वह दो हिस्सों में विभाजित कर दी गयी थी। एक हिस्सा मैसूर की नन्दीद्रुग खानों को हस्तान्तरित कर दिया गया था जो कोलार की सोने की खानों के लोगों द्वारा चलायी जाती हैं और दूसरा हिस्सा अनन्तपुर गोल्ड माइन्स, लिमिटेड नाम की एक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। नार्थ अनन्तपुर गोल्ड माइन्स, लिमिटेड तब तक काम करती रही जब तक कि १९२२ में वह बंद न हुई और दूसरा हिस्सा मैसूर की नन्दीद्रुग खानों में मिला दिया गया। यह इतिहास सरकार को मालूम है।

सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो के असैनिक कर्मचारी

+

†*१८९२. { **श्री जजवाड़े** :
श्री सु० चं० देव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो के उन असैनिक कर्मचारियों को जो दिल्ली छावनी में रहते हैं, सेना-अधिकारियों द्वारा बहुत कम आवास स्थान दिये जाने के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) जी हां।

(ख) आवास स्थान की अत्यधिक कमी को देखते हुये सरकार ने कुछ चुने हुए स्टेशनों में, जिन में दिल्ली भी शामिल है, प्रत्येक स्टेशन पर १५ प्रतिशत असैनिक कर्मचारियों के लिये मकान बनाने का निश्चय किया है, जो केवल ऐसे कर्मचारियों को दिये जायेंगे जो उन स्टेशनों पर स्थायी रूप से स्थित हों।

†**श्री भागवत झा आजाद** : सरकार ने अभी कितने प्रतिशत कर्मचारियों को आवास की सुविधाएं दी हुई हैं?

†**श्री त्यागी** : मैं समझता हूं कि शायद ही किसी को सरकारी आवास मिला हुआ हो। वास्तव में वर्तमान नियमों के अनुसार असैनिक कर्मचारियों को रहने का स्थान देने के लिये सरकार का कोई दायित्व नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या संघ ने कोई अभ्यावेदन किया है कि इस तथ्य के कारण कि डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों को रेलगाड़ी से १० से १५ मील की दूरी से आना पड़ता है, अतः उन्हें हाजिरी के लिये डिपो आने में कभी-कभी देर हो जाती है ?

†**श्री त्यागी** : यह सब अच्छी तरह से समझा जाता है। कठिनाई यह है कि विभाजन के बाद सारे भारत का दो-तिहाई आवास स्थान पाकिस्तान के पास चला गया है और तब से आवास की कमी है। आय-व्ययक में तंगी होते हुए भी हम ने केवल असैनिकों के आवास के लिये पंचवर्षीय योजना में २ करोड़ रुपये अलग रख दिये हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : दिल्ली छावनी में कितने यूनिट बनाये जायेंगे, अफसरों के लिये कितने और अन्य श्रेणियों के लिये कितने यूनिट रक्षित रखे जायेंगे ?

†**श्री त्यागी** : इस विस्तृत ब्यौरे के लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये।

सऊदी अरब के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

†*१८९३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सऊदी अरब के साथ सांस्कृतिक संबंध अधिक घनिष्ट बनाने के लिये सरकार ने १९५५–५६ में क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : सरकार ने कोई विशिष्ट कार्यवाही नहीं की है।

मैं इतना बता दूं कि भारत और अरब के साथ सांस्कृतिक कार्यवाहियों की वृद्धि भारत तथा अन्य देशों के बीच हमारी सामान्य सांस्कृतिक कार्यवाहियों की वृद्धि का एक अंग है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सांस्कृतिक संबंध के क्षेत्र में, विशेषकर इस देश के साथ, शिक्षा मंत्रालय की सामान्य कार्यवाही का क्या स्वरूप है ?

†**डा० म० मो० दास** : हमारी सामान्य सांस्कृतिक कार्यवाहियों में कई बातें आती हैं। कभी-कभी हम शिक्षाविज्ञों तथा विशेषज्ञों के भारत विद्या और धर्म, दर्शन तथा अन्य क्षेत्रों के अपने विशेषज्ञों के शिष्टमंडल भेजते हैं। वे अन्य देशों में जाते हैं और भाषण देते हैं। कभी कभी उनके विद्वान दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने के लिये इस देश में आते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पिछले वर्ष ऐसे कितने विशेषज्ञ अरब भेजे गये और कितने विशेषज्ञ अरब से हमारे देश में आये ?

† **डा० म० मो० दास** : अभी हाल सऊदी अरब के बादशाह कुछ अन्य लोगों के साथ भारत आये थे किन्तु जहां तक भारत का संबंध है, मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिये कि कितने लोग वहां गये, पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री अरब ज़ा रहे हैं और यदि हां, तो कब और किस लिये ?

†**डा० म० मो० दास** : प्रधान मंत्री सऊदी अरब जा रहे हैं और संभवतः वे २४ सितम्बर, १९५६ को जायेंगे और २८ सितम्बर को लौटेंगे। जब गत वर्ष सऊदी अरब के बादशाह यहां आये थे तब उन्होंने प्रधान मंत्री को निमंत्रण दिया था, उसी को पूरा करने वे वहां जा रहे हैं।

†**श्री कामत** : क्या आप भी उनके साथ जा रहे हैं?

†**डा० म० मो० दास** : नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत सेवक समाज में छात्रों द्वारा भाग लेना

†*१८७१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली गर्मी की छुट्टी में भारत सेवक समाज ने विभिन्न राज्यों के गावों में जो पुनर्निर्माण कार्य किया उसमें कितने छात्रों ने भाग लिया;

(ख) उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया ; और

(ग) उन्हें किस हद तक सरकारी और सार्वजनिक सहयोग प्राप्त हुआ ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :(क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५]**

आय-कर

†*१८८०. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२–५३ से १९५५–५६ तक मिदनापुर जिले से कितना आय-कर प्राप्त हुआ ; और

(ख) इस अवधि में विभिन्न आय वर्ग के लोगों से कितना आयकर प्राप्त हुआ ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: (क) मिदनापुर जिले से कुल आय-कर इस प्रकार प्राप्त हुआ :

१.	१९५२–५३	८.५३ लाख रुपये
२.	१९५३–५४	७.१३ लाख रुपये
३.	१९५४–५५	१०.११ लाख रुपये
४.	१९५५–५६	९.३० लाख रुपये
	कुल .	३५.०७ लाख रुपये

(ख) इस अवधि में विभिन्न आय-वर्ग में आने वाले लोगों से इस प्रकार आयकर प्राप्त हुआ :—

(रुपये लाखों में)

	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६
२५,००० रुपये से अधिक वार्षिक आय	३.९३	३.०४	४.९७	४.१२
१०,००० रुपये से २४,९९९ रुपये तक की आय . .	२.८९	२.१०	३.११	२.७४
५,००० रुपये से ९,९९९ रुपय तक की आय . . .	१.०४	१.३९	१.२०	१.६६
अन्य . . .	०.६७	०.६०	०.८३	०.७८
	८.५३	७.१३	१०.११	९.३०

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय नेताओं के फोटो चित्र

*१८८७. { ठाकुर युगल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय नेताओं के जो फोटो चित्र रखे जाने वाले हैं वे किस प्रकार के होने चाहियें इस सम्बन्ध में क्या विभिन्न मंत्रालयों को कोई आदेश दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

लोक लेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन

†*१८९४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लोक लेखा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के अंक १ की कंडिका ८१ की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें अपराधी अफसरों के विरुद्ध अधिक तेजी से कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा प्रशासनीय निगरानी विभाग के ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि के प्रतिवेदन में दिया हुआ है जिसे गत सत्र में संसद् में प्रस्तुत किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा

†*१८९५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा का प्रसार करने की शिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां। बुनियादी शिक्षा की सिफारिश ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों के लिये की गई है।

(ख) कार्य की प्रगति निम्न विवरण में दी हुई है :—

	१९५०–५१ में संस्थाओं की संख्या	१९५५–५६ में संस्थाओं की संख्या
१. जुनियर बेसिक स्कूल .	३३,३७९	३९,४७९
२. सीनियर बेसिक स्कूल . . .	३५१	१,६४५
३. बुनियादी शिक्षकों के प्रशिक्षण की संस्थायें	१२४	४८२
४. बुनियादी शिक्षा के (जूनियर और सीनियर) स्कूलों में भर्ती	२९.१ लाख	३८.० लाख

†मूल अंग्रेजी में

अंजार में गर्म पानी के स्त्रोत

†*१८९६. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भूकम्प के कारण कच्छ के अंजार ताल्लूका के समीप खेंगरपुर ग्राम के पास गर्म पानी के कुछ स्त्रोत और ठंडे पानी का एक स्त्रोत देखे गये हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी, नहीं।

मैसूर विश्वविद्यालय

*१८९७. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर विश्वविद्यालय ने वर्ष १९५५–५६ में किन प्रयोजनों के लिये अनुदान मांगे थे; और

(ख) कितना अनुदान दिया गया तथा उसे किस प्रयोजन के लिये दिया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ६**]

पंजाब और राजस्थान में तेल

†*१८९८. **श्री भीखा भाई** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्रों में रूसी विशेषज्ञों द्वारा की गई तेल की खोज तथा गवेषणा के संबंध में स्थान की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तेल को निकालने के लिये छेद करने वाली मशीनरी कब लगाई जायेगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा एकत्रित की गई विभिन्न सामग्री की जांच करने और तेल के संभाव्य क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद रूसी तेल विशेषज्ञों ने पंजाब और जैसलमेर (राजस्थान) में भी शीघ्र खुदाई करने की सिफारिश की। ज्वालामुखी क्षेत्र में एक स्थान चुना गया है।

(ख) वर्षा ऋतु समाप्त होने पर और मार्ग का निर्माण समाप्त होते ही ज्वालामुखी में तेल के प्राप्त होने के संभाव्य स्थान पर छेद करने वाली एक मशीन लगाने के लिये उसे वहां ले जाने की व्यवस्था की जा रही है।

खुली नाट्यशाला

†*१८९९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन दने के लिये कोई कार्यवाही की है जो खुली नाटचशालायें बनाने में दिलचस्पी रखते हैं और यदि हां, तो क्या ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : श्रम और समाज सेवा शिविर योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को शिक्षा संस्थाओं में खुली नाट्शालाएं बनाने के लिये एक नाटचशाला के लिये अधिक से अधिक १५,००० रुपये तक आर्थिक सहायता देती रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूकम्पीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण

†*१९००. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूकम्पीय क्षेत्रों का कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किस समय किया गया था और इसके परिणाम क्या हैं ; और

(ग) भूकम्प के बारे में रेडियो के ज़रिये अग्रिम सूचना देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). जिन क्षेत्रों में भूकम्प आये हैं उनके बारे में भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग द्वारा की गई जांच के परिणाम भारत के भूतत्वीय विभाग के सामान्य वार्षिक वृत्तान्तों में प्रकाशित किये जाते हैं। ये वृत्तांत जनता खरीद सकती है। भूकम्प के आने का ठीक समय पहले बताया जा सके इसकी प्रगति भूकम्प विज्ञान में नहीं हुई है यद्यपि उन भूकम्पीय क्षेत्रों का पता लग सकता है जहां भूकम्प के आने की संभावना होती है।

सोवियत खान विशेषज्ञ

†*१९०१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत खान विशेषज्ञ ने ताम्बा खनन उद्योग के बारे में कोई सिफारिशें की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री० के० दे मालवीय)** : (क) और (ख). जी, हां।

पुस्तकों की प्रदर्शनी

†*१९०२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५६ में आयोजित की जाने वाली भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी के महत्व-पूर्ण पहलू क्या हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) इस प्रदर्शनी पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ग) लगभग ५३,५०० रुपये।

राष्ट्रीय मानचित्रावली

†*१९०३. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भौतिक और प्रादेशिक पहलुओं के साथ एक राष्ट्रीय मानचित्रावली तैयार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) राष्ट्रीय मानचित्रावली तैयार करने पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) राष्ट्रीय मानचित्रावली एक नाम का एक संगठन गठित किया गया है और राष्ट्रीय मानचित्रावली में समाविष्ट किये जाने वाले नक्शों में बताये जाने के उद्देश्य से इस कार्य से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है । राष्ट्रीय मानचित्रावली के प्रारंभिक हिन्दी संस्करण के लिये भी नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस पर अनुमानतः ८० लाख रुपये व्यय होंगे।

माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी

†१४२०. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अहिन्दी भाषी राज्यों ने माध्यमिक स्कूल की शिक्षा में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बना दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे अहिन्दी भाषी राज्य कौन से हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय नहीं बनाया है ; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). अहिन्दी भाषी राज्यों से जानकारी मांगी गई है और यथाशीघ्र दे दी जायेगी।

आसाम में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†१४२१. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें आसाम के उन बहुप्रयोजनीय स्कूलों के नाम जिनके लिये वर्ष १९५५–५६ में केन्द्रीय सहायता दी गई है अथवा १९५६–५७ में दी जायेगी, तथा प्रत्येक के लिये मंजूर की गई राशि दी हुई हो ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : १५ स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूल बनाने और संबद्ध योजनाओं के लिये वर्ष १९५५–५६ में आसाम सरकार के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९,९५,९३९ रुपये का एक अनुदान मंजूर किया था। केन्द्रीय अनुदान से सहायता लेने वाले स्कूलों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और यथाशीघ्र उपलब्ध कर दी जायेगी।

१९५६–५७ के लिये अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

गढ़वाली सैनिक

१४२२. **श्री भक्त दर्शत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की पूरी छानबीन कर ली गई है कि १०,७५१ रुपये और ३ आने की अदायगी के बाद पेशावर काण्ड के गढ़वाली सैनिक का कुछ भी शेष नहीं रहेगा ;

(ख) जिस धनराशि को अदा करने के आदेश दिये गये हैं उसका कितना अंश किस मद से संबंधित है ;

(ग) जिन ५६ सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त किया गया था उनके नाम और रैंक (श्रेणी) क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जिन १७ सैनिकों को कारावास का दंड दिया गया था उनके नाम और रैंक (श्रेणी) क्या है ; और

(ङ) उन गढ़वाली सैनिकों मे से प्रत्येक को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से अलग-अलग कितनी रकम दी जा रही है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) गढ़वाली सैनिकों के लिये लेखांकन द्वारा अधिकृत राशि १०,७५१ रुपये १ आना है। लेखांकन से इस बात का भी समर्थन हो चुका है कि शेष कुछ भी देना नहीं रहेगा।

(ख) मदक्रम से इस राशि का विभाजन इस प्रकार है :—

	रु०	आ०	पा०
वेतन . . .	२,०००	१०	०
वस्त्र-भत्ता . .	२४४	२	०
स्थगित वेतन	८,५०६	५	०

(ग), (घ) तथा (ङ). एक विवरण जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है, लोक-सभा के पटल पर रखा है। पदच्युत सैनिकों की सत्यापित संख्या ५९ है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ८**]

औद्योगिक वित्त निगम

†१४२३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष १९५६–५७ में अब तक कुल कितनी ऋण राशि मंजूर की है ;

(ख) कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) औद्योगिक वित्त निगम द्वारा १–४–१९५६ से २७–८–१९५६ तक की अवधि में ६,९१,५०,००० रुपये की राशि के ऋण मंजूर किये गये ।

(ख) १,३९,९८,५२१ रुपये।

(ग) चार।

औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम

†१४२४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम ने वर्ष १९५६–५७ में अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की तथा दी है ; और

(ग) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त ऋण दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** :(क) और (ख). अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और निगम के चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही उपलब्ध होगी।

अल्प बचत

†१४२५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वेच्छित अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत इस समय काम करने वाले अधिकृत आभिकताओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है ?

† **राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : अभिकृत अभिकर्ताओं की राज्यवार संख्या जुलाई, १९५६ तक इस प्रकार है :—

(१)	अजमेर	२०
(२)	आन्ध्र	१३०
(३)	आसाम	९१
(४)	बिहार	१५६
(५)	बंबई	१,६७४
(६)	कुर्ग	४
(७)	कच्छ	१९
(८)	दिल्ली	७१
(९)	हैदराबाद	१०
(१०)	मद्रास	३३७
(११)	मध्य भारत	१६२
(१२)	मध्य प्रदेश और भोपाल	२९६
(१३)	उड़ीसा	८७
(१४)	पेप्सू	५५
(१५)	पंजाब	७०२
(१६)	राजस्थान	३२०
(१७)	सौराष्ट्र	३३३
(१८)	त्रावनकोर-कोचीन	४३
(१९)	उत्तर प्रदेश और विंध्य प्रदेश	१७,१३८
(२०)	पश्चिमी बंगाल	१,११३
(२१)	अन्य राज्य	४२
	कुल योग	२२,८०३

†मूल अंग्रेजी में

त्रावणकोर-कोचीन राज्य परिवहन विभाग

†१४२६. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीनराज्य परिवहन विभाग और कुछ समाचार-पत्रों के प्रबन्धकों के बीच जो पारस्परिक व्यवस्था थी क्या उसे समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह मामला अब भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जम्मू तथा काश्मीर को ऋण

†१४२७. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ जुलाई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अपेक्षित जानकारी को सभा-पटल पर कब रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : अपेक्षित जानकारी २७ अगस्त, १९५६ को सभा-पटल पर रख दी गयी थी।

स्मारक

†१४२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में पंजाब राज्य के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संधारण पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : २४,२६४–११–० रुपये जिनमें कर्मचारियों पर किया गया खर्च भी सम्मिलित है।

मिलिट्री डेरी फार्म

१४२९. **श्री बाल्मीकी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मिलिट्री डेरी फार्म हैं और इस समय किन-किन स्थानों पर चल रहे हैं ;

(ख) उनमें कितके दूध देने वाले पशु है; और

(ग) प्रति दिन कितना दूध सप्लाई हो जाता है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ९**]

सड़क सम्बन्धी गवेषणा-कार्य

†१४३०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में आज तक सड़क गवेषणा सम्बन्धी कौन कौन से मुख्य कार्य हो चुके है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : अपेक्षित जानकारी देनेवाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १०**]

---

†मूल अंग्रेजी में

मेकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टिटयूट

†१४३१. { **सरदार इकबाल सिंह**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह संस्था स्थापित हो गयी है ?

† **प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी, नहीं।

भारत की सडकों का मानचित्र

†१४३२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सड़कों का एक मानचित्र तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां, भारतीय भूपरिमाप विभाग द्वारा १९५० में भारत की सड़कों का एक मानचित्र प्रकाशित किया गया था।

(ख) उस मानचित्र को अब पुनर्वर्तित किया जा रहा है। जब वह नया मानचित्र तैयार हो जायेगा, तो उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

कलाकारों को सहायता

†१४३३. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्तकों, संगीतज्ञों तथा कलाकारों को विदेशों को जाने के लिये कोई सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ; और

(ग) वे व्यक्ति किस किस देश को गये थे ?

† **शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) १९५५ तक की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ११**]

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

†१४३४. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन विश्वविद्यालयों में उनके राज्य की भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया है ; और

(ख) उन में से ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम जहां पाठ्य पुस्तकें राज्य की भाषा में तैयार हो गई हैं या हो रही हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १२**]

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरातत्वीय महत्त्व की वस्तुएं

१४३५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गढ़वाल जिले में जोशीमठ से ३० मील के अंतर पर मलारी में ११,२५० फुट की ऊंचाई पर शेख राज्य-कालीन समाधि का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो खुदाई से प्राप्त इन वस्तुओं से इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). यह जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों का कल्याण कार्य

†१४३६. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में त्रिपुरा में केवल अनुसूचित जातियों के लिये शिक्षा स्वास्थ्य और पीने के पानी की व्यवस्था पर कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये वह धन पर्याप्त था ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार मांग की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ७,००० रु० । यह व्यय प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में हुआ था । इस मद में पहिले कोई व्यय नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां, इस वर्ष के लिये ।

(ग) राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उनके कल्याण के लिये दो लाख रुपये का उपबंध किया गया है ।

सोना

†१४३७. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में उन क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां जलोढ सोना उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन क्षेत्र हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी है. सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १३**]

मनीपुर में निगरानी पदाधिकारी

†१४३८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर की सरकार ने अपने मुख्य सचिव को मनीपुर में भ्रष्टाचार, आदि को रोकने के लिये फिर निगरानी पदाधिकारी नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो नियुक्ति से अब तक कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ग) उच्च पदाधिकारियों में, अर्थात् मुख्य सचिव तथा उससे भी उच्च पदाधिकारियों के बारे में कौन-कौन पदाधिकारी पता लगाने के लिये उत्तरदायी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) मनीपुर सरकार के मुख्य सचिव निगरानी पदाधिकारी नियुक्त हुये हैं और आजकल उनके कर्त्तव्य निम्न हैं :

(१) आवश्यकता होने पर भारत सरकार को जानकारी देना ;

(२) मनीपुर सरकार को ऐसी कोई भी प्राविधिक सहायता देना जो ऐसे मामलों को शीघ्र निबटाने के लिये मनीपुर सरकार द्वारा मांगी जाये ; और

(३) निगरानी के मामलों में भारत सरकार और मनीपुर सरकार के बीच सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम करना ।

(ख) जिन मामलों में अनुशासनीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है उनका पता केवल निगरानी पदाधिकारी द्वारा नहीं लगाया जाता । जहां कहीं कोई ऐसा मामला होता ह तुरंत इसकी सूचना निगरानी पदाधिकारी को दी जाती है और वह उनके बारे में शीघ्र कार्यवाही का किया जाना सुनिश्चित करता है ।

(ग) क्योंकि मुख्य सचिव और उसकी श्रेणी के पदाधिकारी तथा इससे ऊंची श्रेणी के पदाधिकारी प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी होते हैं, इसलिये उनके विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । ऐसे मामलों संबंधी कार्यवाही गृह मंत्रालय के निगरानी पदाधिकारी द्वारा की जाती है ।

सरकारी कर्मचारी

†**१४३९. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५५ से जुलाई १९५६ तक मनीपुर के मुख्यायुक्त ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना मनीपुर सरकार की सेवा में कितने श्रेणी १, २ और ३ (घोषित) के अस्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति की ;

(ख) उपरोक्त श्रेणियों के कितने स्थायी पदाधिकारियों को प्रत्यावर्तित करके अस्थायी बनाया गया ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

फाइलों का खोया जाना

†**१४४०. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर सचिवालय के विधि तथा गृह विभाग की दो महत्वपूर्ण फाइलें, जिनका संबंध मनीपुर जेल में स्टाक के बड़े भारी अभावों से है, नहीं मिल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह कैसे हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिये कोई उच्च पदाधिकारी नियुक्त किया है या करेगी ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क). यह सच नहीं है कि मनीपुर राज्य जेल में, जब कि डा० रा० सी० कपूर जेल अधीक्षक थे, स्टाकों के अभाव संबंधी मनीपुर सचिवालय की कोई फाइल, गुम हो गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

†१४४१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर १९५२ से दिसम्बर १९५४ तथा जनवरी १९५५ से जुलाई १९५६ तक सालों में मनीपुर के मुख्यायुक्त ने मनीपुर के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी कार्यवाहियां कीं ;

(ख) उपरोक्त दो सालों में कितने मामले निबटाये गये ;

(ग) कितने कर्मचारियों को विभागीय आधार पर दंड दिया गया तथा उनके अपराध क्या थे ;

(घ) क्या यह सच है कि मुख्यायुक्त ने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध स्वयंविभागीय कार्यवाही की, यद्यपि ऐसी शक्ति विभागीय प्रभारी अधिकारी को प्रदत्त की गई है ;

(ङ) क्या यह सच है कि मनीपुर का मुख्यायुक्त सरकारी कर्मचारियों को दंड देने वाला प्राधिकारी है, तथा मनीपुर राज्य परिवहन तथा सचिवालय में विभागीय कार्यवाही के मामले में अपील सुनने वाला प्राधिकारी भी है ; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क)

	कहां से	कहां तक	विभागीय कर्मचारियों की संख्या
(१)	सितम्बर, १९५२	दिसम्बर, १९५४	शून्य
(२)	जनवरी, १९५५	जुलाई, १९५६	१२

(ख)	कहां से	कहां तक	निबटाये गये मामलों की संख्या
(१)	सितम्बर, १९५२	दिसम्बर, १९५४	शून्य
(२)	जनवरी, १९५५	जुलाई, १९५६	६

(ग) छः कर्मचारियों को विभागीय रूप से दंड दिया गया तथा उनके अपराध निम्न हैं ;

(१) सुरक्षित वन अनाधिकार बसाओ की अनुमति देना,

(२) अपने प्रभाराधीन की परिवहन गाड़ियों को ठीक बनाये रखने को सुनिश्चित करने में असफल रहना,

(३) प्रशासकीय अनुमति तथा टेक्नीकल स्वीकृति के बिना काम करना,

(४) विद्यमान स्थायी अनुदेशों के अन्तर्गतआवश्यक अग्रिम देय के बिना बहुत बड़ी मात्रा में चावल का देना, किसी उचित कारण के बिना और बैंक को भेजे बिना अपने पास बहुत अधिक रुपया रखना, अधिक भुगतान करना, नकदी का ठीक लेखा रखने में असफल रहना, आदि,

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) महत्वपूर्ण कागजों के प्रस्तुत करने में विलम्ब का होना,

(६) काम पर अनुपस्थिति की पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित रहना तथा इस काल में हड़ताल और राजनीतिक प्रदर्शनों में भाग लेना।

(घ) जी नहीं। उपरोक्त (क) (२) में उल्लिखित १२ मामलों में से ११ मामलों में, दिये गये दंड या संबंधित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये विद्यमान नियमों के अधीन दक्ष प्राधिकारी मुख्यायुक्त हैं। दूसरे मामले में विभागाध्यक्ष के परामर्श से विभागीय कार्यवाही की गई थी।

(ङ) और (च). नहीं। मनीपुर सचिवालय के किसी भी श्रेणी ३ या ४ के कर्मचारी के लिये मुख्यायुक्त दंड देने और अपील सुनने वाला अधिकारी नहीं है। मनीपुर राज्य परिवहन विभाग के मामले में, केवल प्रबन्धक और सह-प्रबंधक के लिये मुख्यायुक्त को विद्यमान नियमों के अन्तर्गत दंड देने और अपील सुनने दोनों का अधिकार है, क्योंकि राज्य परिवहन में विभागाध्यक्ष का कोई पद नहीं है।

लन्दन स्थित भारतीय हाई कमिशन द्वारा किया गया भुगतान

१४४२. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास ने सन् १९५५–५६ में विदेशी बैंकों द्वारा कितना भुगतान किया है?

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी): जुलाई, १९५५ से जून १९५६ तक के वर्ष में लगभग १९.५१ करोड़ रुपये। १९५५–५६ के वित्तीय वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

हरिजन दिवस

†१४४३. **श्री ब० स० मूर्त्ति**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन राज्य प्रतिमास हरिजन दिवस मनाते हैं; और

(ख) इन हरिजन दिवसों का यदि कोई कार्यक्रम है, तो क्या है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता में विज्ञान तथा उद्योग अजायबघर

†१४४४. **श्री क० कृ० दास**: क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कलकत्ता में एक विज्ञान तथा उद्योग अजायबघर बनानें का विनिश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका स्थान;

(ग) यह कब बनाया जायेगा;

(घ) इस पर लगभग कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) अब तक कितना कार्य हुआ है?

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) से (ङ). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद का विचार कलकत्ता में बिरला पार्क में एक उद्योग अजायबघर बनाने का है, जिसे श्री जी० डी० बिरला ने दान दिया है। परिषद की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये २० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है तथा परिषद अजायबघर बनाने के संबंध में प्रारंभिक प्रबन्ध कर रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†१४४५. **श्री क० कृ० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने निवृत पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं तथा इस समय आजकल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में काम कर रहे हैं ; और

(ख) उनमें से कितने पदाधिकारियों की आयु साठ वर्ष हो गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) दो।

(ख) एक।

शलाका पेटियां

†१४४६. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह**
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया कि बिहार के विधान सभा सदस्य श्री कामाख्या नारायण सिंह ने बिहार सरकार के पदाधिकारियों के समक्ष यह प्रदर्शित किया था कि शलाका पेटियां मुहर को तोड़े बिना ही खोली जा सकती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है कि शलाका पेटियां कागज़ की मुहर को तोड़े बिना खोली जा सकती ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) ठाकुर युगल किशोर सिंह विधान सभा सदस्य कामाख्या नारायण सिंह के इस दावे के बारे में निर्वाचन आयोग से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं कि वह मुहर तोड़े बिना ही शलाका पेटियां खोल सकते हैं। आयोग इस दावे को ठीक नहीं मानता परन्तु उसने ठाकुल युगर किशोर सिंह से प्रार्थना की है कि वह बिहार के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी के समक्ष श्री कामाख्या नारायण सिंह के दावे के प्रदर्शन का प्रबन्ध करें। भारत सरकार को विदित नहीं है कि श्री कामाख्या नारायण सिंह ने अभी तक ऐसा कोई प्रदर्शन किया है या नहीं।

(ख) अब तक निर्वाचन आयोग के समक्ष किया गया उन व्यक्तियों का प्रत्येक प्रदर्शन जो मुहर तोड़े बिना शलाका पेटियों को खोलने का दावा करते हैं, असफल रहा है। फिर भी, आयोग शलाका पेटियों में सुधार करने संबंधी किसी भी सुझाव का स्वागत करेगा और उन पर विचार करेगा।

अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये सुविधायें

†१४४७. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के लिये पीने के पानी के कुओं के खुदाने और प्रार्थना मंदिरों के बनाने का कार्यक्रम चालू है या बनाये जा रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके लिये १९५५–५६ में कितना धन नियत किया गया ; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम में और गैर-सरकारी एजेंसियों से सहायता ली जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) पीने के पानी के कुयें खोदने के लिये ८,९६,००० रुपये और प्रार्थना मंदिरों के लिये (सामुदायिक केन्द्रों सहित) २,३९,००० रुपये।

(ग) इस कार्यक्रम की कार्यान्विति में पिछले वर्ष तक कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता ली गई थी। परन्तु द्वितीय योजनाकाल में, दोहरे काम से बचने के लिये कार्यक्रम पूर्णरूपेण राज्य सरकारों द्वारा ही कार्यान्वित किया जायेगा।

लखनऊ में अजायबघर

१४४८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा लखनऊ में एक अजायबघर की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या उद्देश्य है ; और

(ग) उस पर एकमुश्त (अनावर्तक) और चालू (आवर्तक) कितना व्यय हुआ है या होने वाला है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) अजायबघर खोलने से वहां के रहने वालों की खनिज पदार्थों के विषय में जानकारी बढ़ेगी और वे देश में पाये जाने वाले खनिज भंडारों को खोजने में सहायता दे सकेंगे ।

(ग) अजायबघर खोलने के लिये कोई अलग धन नहीं दिया गया है। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी ही इस की देखभाल करेंगे। अजायबघर का खर्च विभाग को दिये गये धन में से ही चलेगा।

ग्रामीण संस्थायें

†१४४९. **श्री ह० ग० वैष्णव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नीलोखेरी में एक ग्रामीण संस्था स्थापित करने का विनिश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना क्या होगी तथा उस पर कितने आवर्तक व अनावर्तक व्यय होने की संभावना है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१८५७–७८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८७०	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन	१८५७
१८७२	रूसी-हिन्दी शब्दकोष	१८५७–५८
१८७३	सैनिक फार्म	१८५८–६०
१८७४	दिल्ली विश्वविद्यालय	१८६०–६१
१८७५	टीटेनियम	१८६२–६३
१८७६	विज्ञापन शिक्षा की पाठचर्चा	१८६३–६४
१८७७	दुकान सहायक अधिनियम	१८६४–६५
१८७८	कच्छ में भूचाल	१८६५–६६
१८७९	युवक समस्या संबंधी सर्वेक्षण	१८६६–६८
१८८२	पुरातत्व संबंधी वस्तुयें	१८६८
१८८३	प्रशिक्षण शिविर	१८६८–६९
१८८४	माध्यमिक शिक्षा	१८६९
१८८५	कास्ट एंड वर्क्स अकाउन्टेंट्स इंस्टीच्यूट	१८७०–७१
१८८६	जनसंख्या का वितरण	१८७१–७२
१८८८	नकली वित्त एजेंसियां	१८७२–७४
१८८९	नागा डाक्टर का निधन	१८७४–७५
१८९०	खनिजों का विकास	१८७५–७६
१८९१	रामजिन सोने की खानें	१८७६–७७
१८९२	सेंट्रल आर्डनेंस डिपो के असैनिक कर्मचारी	१८७७–७८
१८९३	सऊदी अरब के साथ सांस्कृतिक संबंध	१८७८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१८७९–९३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८७१	भारत सेवक समाज में छात्रों द्वारा भाग लेना	१८७९
१८८०	आय-कर	१८७९
१८८७	राष्ट्रीय नेताओं के फोटो चित्र	१८८०
१८९४	लोक लेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन	१८८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८९५	ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा .	१८८०
१८९६	अंजार में गर्म पानी के स्रोत . .	१८८१
१८९७	मैसूर विश्वविद्यालय . . .	१८८१
१८९८	पंजाब और राजस्थान में तेल	१८८१
१८९९	खुली नाट्यशाला .	१८८१
१९००	भूकम्पीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण	१८८२
१९०१	सोवियत खान विशेषज्ञ	१८८२
१९०२	पुस्तकों की प्रदर्शनी .	१८८२
१९०३	राष्ट्रीय मानचित्रावली	१८८२–८३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४२०	माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी	१८८३
१४२१	आसाम में वहुप्रयोजनीय स्कूल	१८८३
१४२२	गढ़वाली सैनिक . .	१८८३–८४
१४२३	औद्योगिक वित्त निगम .	१८८४
१४२४	औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम .	१८८४–८५
१४२५	अल्प बचत . .	१८८५
१४२६	त्रावनकोर-कोचीन राज्य परिवहन विभाग .	१८८६
१४२७	जम्मू तथा काश्मीर को ऋण	१८८६
१४२८	स्मारक .	१८८६
१४२९	मिलिट्री डेरी फार्म	१८८६
१४३०	सड़क सम्बंधी गवेषणा-कार्य .	१८८६
१४३१	मेकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीच्यूट	१८८७
१४३२	भारत की सड़कों का मानचित्र	१८८७
१४३३	कलाकारों को सहायता	१८८७
१४३४	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम	१८८७
१४३५	पुरातत्वीय महत्व की वस्तुयें .	१८८८
१४३६	त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों का कल्याण कार्य	१८८८
१४३७	सोना	१८८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः) अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४३८	मनीपुर में निगरानी पदाधिकारी .	१८८८–८९
१४३९	सरकारी कर्मचारी	१८८९
१४४०	फाइलों का खोया जाना . .	१८८९
१४४१	मनीपुर कर्मचारियों के विरुद्ध मामले .	१८९०–९१
१४४२	लंदन स्थित भारतीय हाई कमिशन द्वारा किया गया भुगतान . .	१८९१
१४४३	हरिजन दिवस	१८९१
१४४४	कलकत्ता में विज्ञान तथा उद्योग अजायबघर	१८९१–९२
१४४५	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग .	१८९२
१४४६	शलाका पेटियां	१८९२
१४४७	अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये सुविधायें .	१८९२–९३
१४४८	लखनऊ में अजायबघर . .	१८९३
१४४९	ग्रामीण संस्थायें	१८९३

खण्ड ६—अंक ३९

७ सितम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
9-5-9
Fumigated
0 29-11-83
B
Parliament Library

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प. १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२.०१ म० प०

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव :** श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्न दो संदेशों की सूचना देनी है :

"कि राज्य-सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २० अगस्त १९५६ को पास किये गये निम्नलिखित विधेयकों को बिना किसी संशोधन को स्वीकार कर लिया है :—

(१) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक, १९५६।

(२) जम्मू और काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक, १९५६।

लोक लेखा समिति

बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—उत्तर) : श्रीमान, मैं दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकार (बस विभाग) सम्बधी लोक लेखा समिति (१९५५-५६) का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

साइप्रस में राष्ट्रमण्डलीय तथा अन्य सेनाओं का रखना

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : मैं नियम २१६ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"साइप्रस में राष्ट्रमण्डलीय तथा अन्य सेनाओं का ठहराया जाना"।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : माननीय प्रधान मंत्री की ओर में निम्न वक्तव्य देता हूं :

भारत सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित निकोशिया (साइप्रस) से रायटर का एक समाचार देखा है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रमडंलीय देशों, अमरीकी और फ्रांस की साइप्रस में ठहराई गयी सेनाओं की उपस्थिति के लिये उपवन्ध करने वाला एक औपचारिक आदेश एक असाधारण सूचना पत्र मे प्रकाशित कर के आवकश्यकता पड़ने पर अमरीकी, राष्ट्रमंडलीय और फ्रांस की सेनाओं को साइप्रस में रखने के लिये ब्रिटेन ने रास्ता साफ कर दिया है। समाचारपत्रों में प्रकाशित इस वक्तव्य में राष्ट्रमण्डलीय देशों के नामों का अलग अलग उल्लेख किया गया है और इनमें भारत भी सम्मिलित है ।

भारत सरकार के पास इस विषय में कोई सरकारी या अन्य जानकारी नहीं है और न उसे इस सम्बन्ध में कोई संवाद मिला है। भारत सरकार ने उस सरकारी असाधारण सूचनापत्र में प्रकाशित घोषणा को नहीं देखा है जिसमें कि यह उस समाचार के अनुसार बतायी गयी है।

चूंकि ब्रिटिश सरकार से सरकारी रूप से कोई संवाद नहीं प्राप्त हुआ है और प्रकाशित समाचार में उल्लिखित सरकारी सूचनापत्र में निहित कथित घोषणा को हमने देखा नहीं है और लन्दन स्थित हमारे उच्चआयुक्त अथवा भारत स्थित ब्रिटेन के उच्चआयुक्त से हमे कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है इसलिये भारत सरकार इस प्रकाशित घोषणा पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझती । भारत सरकार को किसी पक्ष ने यह सुझाव नहीं दिया है कि भारतीय सेनाएं साइप्रस में या कहीं और भेजी जाएं ।

साइप्रस में अथवा किसी अन्य क्षेत्र में भारतीय सेनाओं को भेजने का भारत सरकार का कोई इरादा नहीं है। इसलिये, इस विषय में प्रकाशित समाचार के आधार पर चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है ।

समिति के लिये निर्वाचन

विश्व भारती संसद्

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : श्रीमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रथम विश्वविद्यालय संविधि की संविधि ११ के खंड (५) के साथ पठित विश्व भारती अधिनियम, १६५१ की धारा १६ की उपधारा (१) के खंड (१२) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य को, ऐसे ढंग से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, विश्व-भारती संसद् (कोर्ट) का सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान, आज विचार करने तथा पारित करनें के लिये दो विधेयक है। मेरा निवेदन है कि जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक पहले लिया जाये। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विधेयक के लिये कोई समय निश्चित नहीं किया गया है, किन्तु आप अपनी इच्छानुसार समय निश्चित करें और इसे पहले निबटाया जाय । इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति (आदेश संशोधन) विधेयक को लिया जाये

---

†मूल अंग्रेजी में

और उसपर विचारार्थ प्रस्ताव आज पारित कर दिया जाये। इस विधेयक के बारे में लगभग २५० संशोधन हैं और मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक का द्वितिय वाचन सोमवार तक के लिये स्थगित कर दिया जाये और इस बीच हम आपस में सलाह कर लें। इस व्यवस्था के हो जाने से विधेयक को सोमवार को सुविधा के साथ पारित किया जा सकेगा।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हमें श्री बर्मन के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमन्ड हार्बर) : जन प्रतिनिधान (निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना) नियमों सम्बन्धी संशोधनों पर शीघ्र चर्चा की आवश्यकता भी है।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : समय रहा तो।

†**श्री क० कु० बसु** : आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन) विधेयक के लिये ६ घंटे का समय निश्चित कीजिये। दूसरे विधेयक अर्थात जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक के लिये आधे घंटे का समय पर्याप्त होगा।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : जितना समय हम लेंगे उतना द्वितिय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित समय में से कम हो जायेगा। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है। हमारी बैठकें १३ सितम्बर के बाद नहीं होंगी। नियमों पर चर्चा के लिये जितना समय हम लेंगे उतना समय द्वितिय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित समय में से कम किया जायेगा।

†**श्री क० कु० बसु** : वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के लिये ६ घंटे का समय नियत किया गया है। इसका अर्थ यह है कि कल हमारे पास इसके लिये तीन घंटे का समय होगा और इस दौरान हम पहले जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक को आधे या एक घंटे में निबटा दें। इससे हमारे पास नियमो की चर्चा के लिये दो घंटे का समय शेष रहेगा।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : अनुसूचित जातियों के सदस्य यह चाहते हैं कि इस विधेयक को सोमवार को लिया जाये।

†**श्री क० कु० बसु** : सामान्यत: इस कार्यक्रम के अनुसार हम नियमों पर चर्चा कर सकतें हैं क्योंकि हमारे पास दो ढाई घंटे का समय होगा। किन्तु यदि आप जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक को पारित करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक को लेतें हैं और यदि कल द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा की जाती है तो नियमों पर इस सत्र में चर्चा न हो सकेगी।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : हमारे पास समय कम है इस बात को देखते हुए मैं यह सुझाव देता हूं कि आज अपरान्ह में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये निर्धारित समय में विधेयक पुर:स्थापित करने के बाद गैर-सरकारी विधेयकों पर चर्चा किसी अन्य दिन के लिये स्थगित कर दी जाये। इस प्रकार हम दो घंटे बचा सकेगें।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : श्रीमान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक की कार्यवाही के बारे में एक कठिनाई यह है कि ये अनुसूचियां मौजूदा राज्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी है और एक नवम्बर के बाद इन सूचियों को सम्भवत: पुन: बनाना पड़ेगा इसलिये यदि आज इसे पारित किया जाता है तो इस पर पुन: विचार करना होगा। इसलिये आवश्यक है कि इन सूचियों में प्रस्तावित पुनर्गठिन राज्यों के अनुसार परिवर्तन किये जायें अथवा विधेयक में निहित इन सूचियों में संशोधक करने के लिये बाद में एक संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य तथा भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सभा द्वारा जो निर्णय किये गये हैं उनके अनुसार इस विधेयक मे परिवर्तन करने के लिये हमने संशोधनों की सूचना पहले ही दे दी है। इसलिये इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं। गैर-सरकारी विधेयक साढ़े तीन बजे लिये जायेंगे और तब तक के लिये सभा के पास पर्याप्त कार्य होना चाहिए। जन प्रतिनिधान अधिनियम में आगे और संशोधन करनें वाले विधेयक को हम ले सकते हैं और इस में अधिक समय नहीं लगेगा। कार्य सूची में नियम नहीं हैं और मुझे मालूम नहीं कि सभा उन पर विचार कर सकती है अ वा नहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के लिये ६ घंटे का समय नियत किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि अब सामान्य चर्चा हो जाये। यदि सदन की इच्छा हो तो मैं जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक को अभी ले लेता हूं।

†**श्री कामत**: संशोधन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय नहीं है इस लिये उसे कल लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: अभी क्या कार्य किया जायेगा ?

†**श्री क० कु० बसु** : उस विधेयक पर सामान्य चर्चा को क्यो न समाप्त कर लिया जाये ? इस बीच यदि श्री कामत चाहें तो संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : अन्य विधेयकों पर चर्चा के लिये आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए हम निर्धारित समय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी सामान्य चर्चा को ले सकते हैं? उसके लिये कितना समय चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उस विधेयक के लिये लगभग एक घंटा। इस लिये इस विधेयक कि सामान्य चर्चा के लिये सवा दो घंटे का समय शेष रहेगा।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इसी बीच माननीय सदस्य अन्य विधेयक पर चर्चा के लिये तैयारी कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य चर्चा के लिये हम सवा दो घंटे का समय देंगे और खण्डश: विचार को सोमवार तक के लिये स्थगित कर देंगे। इसके बाद हम जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक को लेंगे। इसी बीच श्री कामत तथा जो अन्य माननीय सदस्य संशोधनों की सूचना देना चाहें वे दे सकते हैं।

†**श्री कामत** : मेरा ख्याल है कि द्वितीय पंचवर्षिय योजना के लिये निर्धारित समय कम हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कम नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य गैर-सरकारी कार्य को किसी अन्य दिन के अपरान्ह काल तक स्थगित करनें के लिये तैयार हों तो नियमों पर चर्चा हो सकती है।

†**श्री कामत** : विधेयक पुर:स्थापित किये जा सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, केवल चर्चा स्थगित की गई है।

†**डा० जाटव वीर** (भरतपुर—सबई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, इस शेडयूल्ड कास्टस एंड शेडयूल्ड ट्राइब्स आर्डस (अमेंडमेंट) बिल [अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक,] १९५६ पर विचार करने के लिये बहुत कम

---

†मूल अंग्रेजी में

समय दिया जा रहा है। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और यह उन पिछड़े वर्गों और दलित भाईयों से संबंध रखता है जिनको कि बहुत दिक्कतें और कठिनाईयां हैं और मैं समझता हूं कि जो समय इसके विचार के लिये दिया जा रहा है वह अपर्याप्त है और इसके लिये ज्यादा समय दिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय**: इस के लिये छः घंटे का समय नियत किया गया है। सामान्य चर्चा के लिये सवा दो घंटे का समय रखा गया है। खण्डशः विचार के लिये पर्याप्त समय होगा। इस बीच माननीय सदस्य मंत्री महोदय से विभिन्न बातों पर चर्चा करके कुछ संशोधन स्वीकार करने के लिये कह सकते हैं।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)**: नियमों का क्या होगा ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह**: गैर-सरकारी कार्य के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री आज अपरान्ह में नियमों को लेने के लिये तैयार हैं? सभा में ऐसा एक सुझाव दिया गया है।

†**श्री पाटस्कर**: मैं तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा प्रतीत होता है कि सभा भी आज अपरान्ह में जन प्रतिनिधान अधिनियम के अन्तर्गत नियमों पर चर्चा करनें के लिये तैयार है। आज ३.३० बजे हम इन्हें लेंगे। विधेयकों के पुरःस्थापन के बाद शेष समय में हम इन नियमों को निबटायेंगे। सवा दो घंटे की सामान्य चर्चा समाप्त होते ही हम जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक को लगे और उस निबटा देंगे ।

†**श्री फीरोज गांधी** (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व) : श्रीमान, यह विधेयक और द्वितीय पंचवर्षीय योजना संबंधी चर्चा दोनो ही महत्वपूर्ण हैं और मेरा सुझाव है कि सभा की बैठक रविवार को होनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं। कल हम १० बजे प्रातः से रांत के ८ बजे तक बैठे थे। हम सब को इस सप्ताह की शेष कार्यवाही पूरी करने के लिये तैयार रहना चाहिये । हम केवल यह चाहते हैं कि योजना के लिये निर्धारित समय कम न हो। इन दिनो हम कुछ पहले आ कर बाद में जाने की व्यवस्था करेंगे जैसा कि हमनें कल किया था।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : हम रात के ९ बजे तक बैठनें के लियें तैयार हैं।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : क्या यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि गैर-सरकारी विधेयकों कें लिये निर्धारित समय अगले सप्ताह दिया जायेगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, नही । वे यही सुझाव दे रहे हैं कि विधेयक व्यपगत न हों। अन्यथा उन्हें इस सत्र में नही लिया जा सकेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य तथा भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कुछ जातियों को सम्मिलित करनें के और उन में से कुछ को निकाल देने और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

राष्ट्रपति को संविधान द्वारा पहले ऐसी सूचियां जारी करनें का अधिकार प्राप्त था। इस लिये १९५० में राष्ट्रपति नें संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अन्तर्गत दो आदेश जारी किये जिन में से एक का संबंध अनुसूचित जातियों से और दूसरे का अनुसूचित आदिम जातियों से था। अनुच्छेद ३४१ (२) में यह उपबन्ध है कि संसद विधि द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा निकाली गई अथवा, प्रख्यपित सूची में संशोधन कर सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद ३४२ के उपखंड (२) में यह उपबंध है कि संसद द्वारा पारित किसी विधि द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में भी रूप भेद किया जा सकता है ।

उसके बाद जब पिछड़े वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था तो इस मामले को राष्ट्रपति उस आयोग को सौंप दिया था। आयोग से इन दोनों सूचियों में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव देने के लिये कहा गया था। आयोग ने इस मामले की जांच की और अपने प्रतिवेदन में सुझाव प्रस्तुत किये। आयोग के प्रस्ताव प्रतिवेदन के अंक २ में निहित हैं। आयोग की सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेजी गई थीं और केन्द्रीय सरकार ने संबंधित राज्यों से परामर्श कर के इन सिफारिशों की जांच की। अन्ततोगत्वा अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई और राज्य सरकारों के सुझाव पर इस विधेयक में कुछ और जातियों को सम्मिलित करनें का विचार किया गया। इस लिये, इस विषय की अच्छी प्रकार छान बीन करने के बाद जो अन्तिम निष्कर्ष निकला वह इस विधेयक में दिया हुआ है, जिसे मैंने कुछ समय पहले पुरःस्थापित किया था। इसलिये इस विधेयक द्वारा ऐसे परिवर्तन करने का इरादा है जो पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों और राज्यों से विचार-विनिमय और उनकी टीका-टिप्पणियों तथा सुझावों पर विचार करने के बाद आवश्यक समझे गये हैं ।

इस विधेयक में निहित प्रस्तावों के परिणामस्वरूप सिक्खों में जो अनुसूचित जातियां हैं उन्हें सर्वत्र अनुसूचित जातियां माना जायेगा। उन्हें सब विशेषाधिकार और रियायतें प्राप्त करने का अधिकार होगा जिनका उपबन्ध हमारे संविधान में किया गया है । पुरानें आदेशों और संविधान के अनुसार पजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पैप्सू में सिक्खों की कुल अनुसूचित जातियों को ही वे विशेषाधिकार दिये गये थे जो कि हिन्दुओं की अनुसूचित जातियों को मिले हुए हैं। यह युक्ति दी गई थी कि हिन्दुओं और सिक्खों में कोई अन्तर नहीं है और मेरा ख्याल है कि यह ठीक भी है । दोनों पर एक ही विवाह सम्बन्धी विधियां लाग् होती हैं । हिन्दुओं और सिक्खों में आपस में विवाह संबंध होते हैं। वास्तव में हमनें इन दोनों को सदा एक ही परिवार का सदस्य माना है। ऐसी परिस्थिति में भेदभाव करने के लिये कोई कारण नहीं है। हमने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और तदनुसार आवश्यक परिवर्तन कर दिये हैं ।

अन्य प्रस्तावों का विस्तृत उल्लेख करना आवश्यक नहीं है क्योंकि ये सूचियां काफी बड़ी हैं और यदि मैं प्रत्येक बात को लूं तो संभव है कि मेरा वक्तव्य सभा को कुछ नीरस लगें और मैं सभा को कोई अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहता ।

अनुसूचित आदिम जाति सम्बन्धी प्रस्तावों की भी जांच की गई थी और कुछ परिवर्तन किये गये हैं। सब से पहली बात यह है कि अनुसूचित जातियों के संरक्षित प्रतिनिधित्व के विशेषाधिकार पर प्रतिशत के अनुपात संबन्धी कुछ उपबन्धों के रूप में बन्धन लगे हुए थें । हमने इन उपबन्धों को काफी हद तक ढीला कर दिया है। राजस्थान के संबध में ये प्रतिबन्ध बिल्कुल हटा लिये गये हैं। मध्य भारत के सम्बन्ध में जो अब मध्य प्रदेश में मिल जायेगा, और रूपभेद किया गया है। इन सब परिवर्तनों का परिणाम यह होगा कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या पहले की अपेक्षा २४ लाख अधिक हो जायेगी। यह वृद्धि अधिकांशतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होगी। इसलिये भविष्य में अनुसूचित जातियों को लोक-सभा में चार और राज्य विधान सभाओं में इक्कीस स्थान अधिक मिलेंगे । यह हमारा स्थूल अनुमान है। इसी प्रकार अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या लगभग ३२ लाख बढ़ जायेगी और उन्हें लोक-सभा और राज्य विधान सभाओं में क्रमशः ५ और ३२ स्थान अधिक मिल जायेंगे। मेरा ख्याल है कि जब मैंने अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की वृद्धि के बारे में कहा तब मैंनें २४ लाख की जो संख्या बताई वह गलत है। वह इससे कुछ अधिक होगी; १४ लाख राजस्थान में, १० लाख मध्य प्रदेश में और मध्य भारत में एक लाख के लगभग अधिक होगी। इस लिये हमारा अनुमान यह

है कि अनुसूचित आदिम जातियों को इस सभा में और राज्य विधान सभाओं में क्रमशः पांच और ३२ स्थान अधिक मिलेंगे। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि भविष्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों प्रतिनिधियों की संख्या आज की अपेक्षा अधिक होगी। इस सभा में आने वाले कई महत्वपूर्ण और विशेषकर उनसे संबंध रखने वाले प्रश्नों का निर्णय करनें में वे अपना अंशदान कर सकेंगे।

१९५१ या १९४१ की जनगणना रिपोर्टों में कई जातियों का उल्लेख नहीं है। कुछ का नाम तो १९३१ की जनगणना की रिपोर्ट में भी नहीं है। अतः यह विचार है कि जनगणना की पिछली रिपोर्टों में से जिस किसी में भी किसी जाति का नाम दिया हुआ है उसे लेकर और उसमें दी हुई संख्या को आधार मान कर आम जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसी की औसत के अनुसार उस जाति की जन संख्या में वृद्धि कर दी जायेगी। इस प्रकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सकेगा।

हमारी सदैव यही इच्छा रही है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये और इस विधि के अन्तर्गत उन्हें और अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : जिन जातियों का नाम जनगणना की किसी भी रिपोर्ट में नहीं है उन का क्या होगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : तब तो हम यही समझेंगे कि वे जातियां इस श्रेणी में नहीं है। मुझे पता नहीं कि ऐसा भी कोई मामला है। यदि ऐसी कोई बात हुई तो उसके समाधान का हम यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। मैंनें इस बात की पूरी कोशिश की है कि प्रत्येक स्थिति के लिये उपबन्ध किया जाये। हम जो कुछ कर रहे हैं वह इन जातियों के हित में कर रहे हैं।

मैंनें उन संशोधनों की सूचना दे दी है जो राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी विधियों के पारित होनें के परिणामस्वरूप इस विधेयक में किये जायेंगें। मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक को स्वीकार करेगी। हम उन जातियों के उत्थान के लिये पूरी कोशिश करेंगें जिन के लिये यह विधेयक बनाया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस विषय पर १२ सदस्यों ने भाषण देनें की सूचना दी है और भी जो सदस्य बोलना चाहते हों, वे अपनें स्थानों पर खड़े हो जाये। अच्छा, २६ सदस्य और हैं। माननीय सदस्य अपने भाषण के लिये ५ मिनिट से अधिक समय न ले। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का ध्यान रखते हुए, मैं उन्हें अवसर दूंगा।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन वमावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस विधेयक पर बहुत से संशोधन हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी ५०० सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करनें का अधिकार है।

†**श्री वेलायुधन** : पहला संशोधन मेरा है जिसे मैं प्रस्तुत करता हूं। यह संशोधन विधेयक को नवम्बर, १९५६ के प्रथम सप्ताह तक जनमत जानने के लिये परिचालित करने के बारे में है। मुझे पांच मिनट से कुछ अधिक समय चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं। अच्छा श्री वेलायुधन का संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वेलायुधन** : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर ३०० संशोधन हैं। इसलिये इस पर बोलनें के लिये हमें अधिक समय मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु बोलने वाले भी ५० व्यक्ति हैं। आप अपना भाषण प्रारम्भ कीजिये।

†**श्री वेलायुधन** : मुझे इस बात का खेद है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी विनियम के बारे में बहुत जल्दी की जा रही है।

हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ है और उसमें भी यही कहा गया है कि इस विषय में और अधिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

१९४१ की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सात करोड़ थी, किन्तु १९५१ में उसे घटा कर सवा पांच करोड़ कर दिया गया जिसका स्पष्ट उद्धेश्य यह है कि विधान सभाओं एवं संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम करनें की चेष्टा की जा रही है।

जिन विशेषाधिकार प्राप्त जातियों ने अनेक शताब्दियों तक निर्धन लोगों का दमन किया है। उनकी अब तक वही नीति चल रही है और अधिक दुःख तो इस बात का है कि स्वयं पिछड़े वर्ग आयोग नें ही अस्पृश्य जातियों एवं आदिम जातियों का पक्ष नहीं लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप अपनें भाषण को इस विधेयक के उद्देश्य तक ही सीमित रखें। इस का उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में कौन सी और जातियां शामिल की जाये और निकाली जायें।

†**श्री वेलायुधन** : क्या हम उनकी दशा के बारे में नहीं कह सकते ? मुझे पता नहीं कि इस वाद विवाद को इतना सीमित क्यों किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का निर्णय आप मुझ पर छोड़ दीजिये। मैं यहां इसी काम के लिये बैठा हूं। आपको पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट से इस समय कोई बहस नहीं है। यहां अनुसूचित जातियों पर कोई आम चर्चा नहीं हो रही है।

†**श्री वेलायुधन** : मैं आपकी बात को अपनें विरोध के साथ स्वीकार करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष के विनिश्चय का विरोध नहीं किया जा सकता। ऐसा करना अध्यक्ष तथा सभा दोनो का अपमान करना है।

†**श्री वेलायुधन** : मुझे और कुछ नहीं कहना है।

†**श्री राघवाचारी** : यह ठीक है कि इस विधेयक का उद्देश्य कुछ जातियों को सूची में शामिल करना या निकालना है फिर भी मैं समझता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कुछ और स्थान दिये जानें का प्रयास किया जा रहा है।

मेरे विचार से यदि इन जातियों की जनसंख्या का भली भांति पता लगाया जाये तो उन्हें और अधिक स्थान प्राप्त हो सकते हैं। औसत वद्धि के अनुसार उन की संख्या को आंकना अनुचित है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : नहीं, मेरे विचार में ऐसा नहीं होगा।

†**श्री राघवाचारी** : मुझे तो ऐसा ही विश्वास है। मेरी यह धारणा है कि अभी जल्दी में उन्हें जो थोड़ी सी रियायतें दी जा रही हैं उससे उन्हें वास्तविक लाभ नही होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार उन्हें वैसे भी दस वर्ष के बाद विशेषाधिकार नहीं मिलेगें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेलायुधन** : स्पष्टीकरण के लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरा संशोधन प्रस्तुत समझा गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां ।

†**श्री वेलायुधन** : मैंने तो उस के बारे में केवल कुछ शब्द कहे है। मैंने उसे कायदे से प्रस्तुत नहीं किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उसे प्रस्तुत समझ कर आपको बोलने का अवसर दिया । इस में अब किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नही है। यदि आपको विरोध करना है तो करिये ।

†**श्री वेलायुधन** : मैं इस वाद-विवाद में भाग नहीं लेना चाहता । मैं सभा से जा रहा हूं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** (एलुरु) : भारत की समस्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि उनके लाभ के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। केवल इस चुनाव में ही यह अवसर हमें और मिल सकेगा कि हम उनके प्रतिनिधि बन कर आयें । उस के बाद उनके लिये कोई रक्षित स्थान नही रहेगा । अतः मैं चाहता कि हूं इस समय उनके विशेषाधिकारों की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाये ।

पिछली जनगणना रिपोर्टों के आधार पर उनकी गणना करना और उसमें औसत वृद्धि करना उनके हित में नहीं है क्योंकि उनकी संख्या इससे अधिक है। इतने निर्धन होते हुए भी उन में एक विशेषता है। भगवान की दया से उनके संतान बहुत होती है । अतः मै माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इन जातियों की वास्तविक जनसंख्या का पता लगायें ।

मैं एक उदाहरण गृह-मंत्री के सामनें रखना चाहता हूं । जनगणना के अनुसार आन्ध्र में ३० लाख व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं किन्तु परिसीमन आयोग नें पता नहीं किस आधार पर वहां से लोक-सभा के लिये केवल तीन स्थान निश्चित किये हैं जब कि पिछले चुनाव में चार स्थान थे और वस्तुतः वहां से लोक-सभा में पांच सदस्य अनुसूचित जातियों के थे । मैं आम स्थान से चुना गया था यद्यपि मैं रक्षित स्थान के लिये खड़ा हुआ था । अब उस जिले से रक्षित स्थान ही हटा दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस विषय पर अवश्य ध्यान देगें । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से मनीपुर और आसाम की अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की सूची में बड़ी गड़बड़ हो गयी है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता के आधार पर आंका गया है किन्तु मनीपुर में अस्पृश्यता नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर यैथिबी नामक एक वर्ग के लोगों नें जाति से बाहर निकाल दिया था और वे अलग स्थानों पर रहते हैं। किन्तु लोइयों को अनुसूचित जातियों में नहीं समझा जाना चाहिये। वे आदिम जातीय व्यक्ति हैं जो ५०,००० के लगभग हैं । हिन्दु धर्मावलम्बी हैं। अतएव मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि उन्हें भी कछारियों की भांति अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल किया जाये ।

दूसबी बात मुझे यह कहनी है कि जिस रूप में यह सूची तैयार की गई है, उस के अनुसार आदिम जाति अनेक खंडों में बट जायेगी । व सब नागा जाति के लोग हैं किंतु छोटी छोटी उप-जातियों के रूप में उन्हें पृथक पृथक नामों से सूची में दिया गया है जैसे तांगखुल, माओ, लोथा, आओं, कबुई, सेंमा आदि आदि उपजातियां नागा जाति में सें निकली है । मैं चाहता हूं कि उन्हें पृथक मान्यता न देंकर नागा जाति कें अन्तर्गत रखा जायें। आदिम जातीय लोगों में इस पृथकरण नीति से घोर असन्तोष फेला हुआ है । अतः माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस विषय में मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किये है उनको स्वीकार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं आयोग के सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिन्दुओं तथा सिखों के आपसी भेद मिटा देने की सिफारिश की है तथा उसी सिफारिश के आधार पर यह विधेयक बनाया गया है। मेरा विचार है कि इस भेदभाव को मिटा देने की सिफारिश से समस्त जाति को संतोष हुआ है।

१९४९ में हिन्दू कोड विधेयक की चर्चा के समय मैंने एक संशोधन रखा था कि सिखों को इस विधेयक के उपबंधों से मुक्त रखा जाये, परन्तु माननीय डा० अम्बेडकर ने उत्तर दिया था कि हिन्दुओं तथा सिखों की सामाजिक विधियां समान हैं इसलिये वह भी इनमें सम्मिलित हैं। छः वर्षों से आन्दोलन किया जा रहा है तथा हमें अब प्रसन्नता है कि वह भेदभाव दूर कर दिया गया है और मुझे विश्वास है कि दोनों समुदायों को इतनी लम्बी अवधि से चले आते हुये भेदभाव दूर हो जायगे तथा वह शांति से रहेंगे । हमें समानता की अपेक्षा थी तथा वह अब हमें प्राप्त हो गई है और उसके लिये हम अपने नेताओं के कृतज्ञ हैं।

†**श्री इ० ईयाचरण** (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में यह बताया गया है कि यह विधेयक राज्य सरकारों तथा अनुसूचित जाति आयोग के परामर्श से पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। केवल कुछ जिलों में अनुसूचित जातियों के कुछ सम्प्रदायों को अनुसूचित आदिम जातियों में रख दिया गया है और इस प्रकार इनको वह रियायतें प्राप्त नहीं हैं जो प्राप्त होनी चाहिये। मलाबार तथा त्रावनकोर-कोचीन राज्य के कुछ सम्प्रदाय अधिकारों के अभाव में अन्य जिलों में चले जाते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मलाबार तथा त्रावनकोर राज्य को एक से सम्प्रदायों को समस्त केरल राज्य के सम्प्रदायों जैसे ही अधिकार होने चाहिये।

१९५१ की जनगणना के अनुसार मलाबार जिले के तीन सम्प्रदायों, कनक्कन, पुलायन तथा वैत्तुवान की संख्या क्रमशः २६,६००, २८,२०७ तथा ३४,१७५ है परन्तु इनको सूची में नहीं रखा गया है और इस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व उस जिले में बहुत कम हो गया है। इसलिये मेरी गृह मंत्री से प्रार्थना है कि वह इन सब बातों पर विचार करें।

†**श्री आनन्द चन्द** (बिलासपुर): सबसे पहले १९३१ में कुछ जातियों को दलित जातियां घोषित किया गया था। वह तीन प्रकार की थीं। एक तो वह जिन्हें छू कर सवर्ण हिन्दू भ्रष्ट हो जाते थे, दूसरे जिनको मन्दिर प्रवेश की अनुमति नहीं थी तथा तीसरे वह जो कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। १९५१ में संविधान के पारित होने के पश्चात अनुसूची ३४१ के अधीन राष्ट्रपति ने आदेश जारी किये थे तथा अब इन्ही का संशोधन किया जा रहा है।

१९५१ की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या ६.७५ करोड़ थी। परन्तु पिछड़े वर्ग आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि १९५१ में भी इनकी संख्या ७.३० करोड़ थी। सन् १९५१ की गणना के अनुसार मेरे क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या २.३७ लाख है। परन्तु पिछड़े वर्ग आयोग के अनुसार यह संख्या ३.१५ लाख होनी चाहिये। विधेयक में हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की संख्या ७८,००० बढ़ा दी गई है तथा मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं।

परन्तु दो, तीन अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में मुझे कुछ शंकायें हैं। यह जातियां जोगी, लोहार तथा कोली है। सबसे पहले मैं कोलीयों के सम्बन्ध में कुछ कहुंगा। हिमालय की पहाड़ियों में कोली एक निम्न जाति है तथा इसकी गणना अनुसूचित जातियों में ठीक ही की गई है। परन्तु बिलासपुर में कोली अस्पृश्य नहीं माने जाते हैं। मैं कांगड़ा जिले के गजेटियर से यह सिद्ध करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि बिलासपुर के उत्तर-पश्चिम में राजगिरि में पर्याप्त संख्या में कोली रहते हैं। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री इस ओर ध्यान दे

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा प्रश्न जोगी तथा लुहारों के सम्बन्ध में हैं। इनके सम्बन्ध में, रोज ने लिखा है कि एक प्रकार के जोगी तो शिव के भक्त होते हैं तथा दूसरी प्रकार के निम्न जाति के फकीर होते हैं तथा इनमें अधिकांशतः मुसलमान होते हैं। लोहारों के सम्बन्ध में यह ज्ञात होता है कि यह हिन्दू, सिख, तथा मुसलमान सभी जातियों के लोग होते हैं जो अस्पृश्य नहीं माने जाते हैं। मेरा इस सब कथन से यह तात्पर्य है कि लुहारों में ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो जाति से ब्राम्हण हों।

अब मैं हिमाचल प्रदेश की आदिम जातियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं आदिम जातियों में गद्दी तथा गूजरों के सम्मिलन का स्वागत करता हूं। गद्दियों में लगभग सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। गूजर राजस्थान से आकर यहां बसे हैं तथा उनको इनमें सम्मिलित करना ठीक ही है। मुझे हाली, सिपि आदि के सम्बन्ध में शंका है। गजेटियर में इनके सम्बन्ध में कहा गया है कि यह पशुओं की खाल आदि का व्यापार करते हैं तथा गद्दियों में आते हैं। यदि हाली तथा सिपि अनुसूचित जाति के हैं तो उन्हें बागियों तथा कोलियों से विवाह आदि करने चाहिये। तथा यदि यह गद्दियों में है तो इनको अनुसूचित जाति में न रखकर आदिम जातियों में रखना चाहिये मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

†**श्री वीरस्वामी** (मयूरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे पूर्ण विश्वास है कि १९५१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों की वास्तविक जनसंख्या नहीं बताई गई है। डा० अम्बेदकर ने अपनी पुस्तक में १९४१ में लिखा था कि अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कम दिखाई जाती है जिससे कहीं वह अखिल भारतीय तथा राज्य सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग न करने लगे। इसीलिये मेरा विश्वास है कि १९५१ की अनुसूचित जाति की जनसंख्या वास्तविक जनसंख्या नहीं है तथा कम दिखाई गई है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार अनुसूचित जातियों के विकास के लिये बहुत कुछ कर रही है तथा इसीलिये उसने पिछड़े वग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। हमें आशा है कि अनुसूचित जातियों को संसद में कुछ और स्थान प्राप्त हो जायेंगे।

मैं मद्रास राज्य में चंडाला तथा पुलायन जातियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मद्रास में इनको अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है, इसलिये इनके नाम सूची से हटा देने चाहिये। ईसाइयों में जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनको ऊंची जाति के हिन्दू अस्पृश्य ही समझते हैं इसलिये इनको भी वही विशेषाधिकार मिलने चाहिये जो अनुसूचित जातियों को प्राप्त हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक न एक दिन हमारा देश ऐसा हो जाना चाहिये जिसमें कोई जाति न हो।

†**श्री न० राचय्या** (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह विधेयक माननीय गृह मंत्री ने अप्रैल, १९५६ में प्रस्तुत किया था परन्तु इसको प्रवर समिति को सौंपन का प्रस्ताव अब तक प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। इस विधेयक के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। मुझे शंका है कि यह इतनी शीघ्रता से पारित किया जा रहा है कि कुछ अनुसूचित जातियों के सम्प्रदाय इसमें सम्मिलित नहीं हो पायेंगे।

राष्ट्रपति के आदेशानुसार मैसूर राज्य में छः अनुसूचित जातियां है, परन्तु आयोग ने सिफारिशों में आठ और जातियां बढ़ा दी है। परन्तु उन्हें एक शंका है कि क्या नवीन मैसूर राज्य की विधान सभा में वही २८ रक्षित स्थान अनुसूचित जाति के लिये रहेंगे। अब १ नवम्बर १९५६ से नवीन राज्य बन जाने के पश्चात से इनकी संख्या ४५ लाख हो जायेगी। इसीलिये विधान-सभा तथा लोक-सभा में इनके रक्षीत स्थान भी बढ़ जाने चाहिये इसीलिये मैंने संशोधन संख्या २२० प्रस्तुत किया है। इसमें मैंने उन नामों को रखा है कि जो जनता में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० राचय्या]

प्रचलित हैं तथा यदि इनका भी ध्यान रखा जाये तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति की २२ से २५ लाख जनसंख्या बढ़ जायेगी। मेरी यही प्रार्थना है कि गृह-मंत्री परिसीमन आयोग तथा निर्वाचन आयोग को इस सम्बन्ध मे आदेश देंगे। अथवा आदिम जाति की जनता डरती रहेगी कि उनकी ५५ अथवा ६० प्रतिशत जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये अथवा आश्वासन दिया जाये कि कर्नाटक में मिलाये जाने वाले क्षेत्रों में नवीन मैसूर राज्य मिलने वाले क्षेत्र की इन जातियों की सूची में इनको रखा जायेगा। क्योंकि अंकों के हिसाब से अनुसूचित जाति इस नवीन राज्य में सबसे अधिक हो जायेगी परन्तु निर्वाचन आयोग द्वारा विधान-सभा तथा लोक-सभा के स्थानों को निश्चित करने से इन जातियों के मन मे शंका उत्पन्न हो गई है। इसको दूर करना आवश्यक है।

मुझे इसका बड़ा खेद है कि परिसीमन आयोग में अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया ह। जब भी कोई स्थान रिक्त होता है तब अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति का विचार नहीं किया जाता है। यही स्थिति निर्वाचन आयोग की है तथा इसी के परिणामस्वरूप कर्नाटक क्षेत्र में इतने कम स्थान अनुसूचित जातियों के लिये हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री विशिष्ट आदेश दें कि अनुसूचित जाति के स्थानों को रक्षित करते समय वह इस का ध्यान रखे। हमारा यह कथन केवल कर्नाटक के सम्बन्ध में ही नहीं है परन्तु समस्त देश के सम्बन्ध में है।

विधेयक में कुछ जातियां अनुसूचित जातियों में नहीं रखी गई हैं जैसे जायुमली जाति तथा दैक्कीपिक्की। मेरा सुझाव है कि यह दो नाम इस सूची में सम्मिलित कर लेने चाहिये।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय गृह-मंत्री जी को इस बात पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से उन्होंने गृहमंत्रालय का कार्यभार संभाला है तब से हरिजनों और आदिवासियों की हालत बहुत ही ज्यादा सुधर रही है। इस कारण आदिवासियों और हरिजनों का माननीय गृह-मंत्री पर अधिक विश्वास हो गया है।

हम यह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार हरिजनों और आदिवासियों की उन्नति के लिए लगनशील है। लेकिन हमें इस बात पर कभी कभी दुःख मालूम पड़ता है कि कतिपय प्रान्तीय सरकारें हरिजनों और अदिवासियों को समुन्नत करनें में थोड़ी हिचकिचाहट दिखलाती हैं। इसके कुछ नमूने मैं यहां आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं केवल सिद्धान्त की बात करना चाहता हूं। हमने देखा है कि कई जातियों को शिड्यूल्ड कास्ट में शामिल करने की सिफारिश बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन नें की है, प्रान्तीय सरकारों नें नहीं की है। कुछ जातियों को शामिल किया गया है, दूसरी जातियों को नहीं किया गया। हम देखते हैं कि प्रान्तीय सरकारों और बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन (पिछड़ी जाति आयोग) के विचारो को महत्व दिया जाता है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस सदन के सदस्यों के विचारों को भी महत्व दिया जाता है या नहीं। यह सदन इस देश की सब से महत्वपूर्ण संस्था है। मैं समझता हूं कि इस सदन के सदस्य जो सलाह देंगे उसका पालन हमारे माननीय गृह-मंत्री अवश्य करेंगे क्योंकि वे लोकतंत्र के पक्के परिपोषक हैं। यहां पर संसद् सदस्य आपको अपने दिल की बात बतलाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि किसी भी जाति को केवल राजनीतिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से हरिजनों में शामिल किया जाये। मैं नहीं चाहता कि जो जातियां इसकी अधिकारी नहीं हैं उनको यैनकैन प्रकारेण हरिजनों में या अदिवासियों में शामिल कर लिया जाये। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जिन मौलिक आधारों को लेकर आपने इन जातियों का वर्गीकरण किया है उन आधारों का आप पूर्णतया पालन करें। मैं देखता हूं कि यह जो शिड्यूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियां) एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स (और अनुसूचित आदिम जातियां) आर्डर्स अमेंडमेंट, बिल (विधेयक) पेश किया गया है इसमें बहुत सी गलतियां हो गयी हैं। मैं चाहता हूं कि इन आधारों का सरकार अच्छी तरह पालन करे। हमारे हरिजनों और आदिवासियों का यह अन्तिम चुनाव है।

हमारी अब यह अन्तिम अवधि है। इस अविध में केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों को हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिये लगनशीलता से काम करना चाहिये और उनके प्रति अपने कर्तव्य को वफादारी के साथ पालन करना चाहिये तभी जाकर हम भारत की सरकार के सामान्य जनता के कृतज्ञ हो सकेंगे । बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो कि आपके आधारों के अनुसार हरिजनों और आदिवासियों में शामिल की जानीं चाहिए। उनको शामिल किया जाये। उदाहरण के लिए आज भी मध्य प्रदेश में चार पांच ऐसी जातियां हैं जो हरिजनों के समान समझी जाती हैं उनकी हालत हरिजनों से भी बदतर है। उनको क्यों नहीं हरिजनों में शामिल किया जाता। वे जातियां गांडा, पनका, धोबी, माला, पासी, कोहली आदि हैं। ये जातियां अभी भी बहुत नीची समझी जाती हैं। इनके प्रति छुआछूत बरती जाती है। बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन (पिछड़ी जाति आयोग) नें इनमें से दो एक जातियों को शामिल करनें की सिफारिश भी की है। पर मैं समझता हूं कि आपको कई जातियां को शामिल करना चाहिए। मैं यहां पर यह बतलाना चाहता नही कि उनकी जनसंख्या कितनी है। मैं तो यहां सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं। मैं तहे दिल से कहता हूं कि कई ऐसी अनूसूचित जातियां हैं। पांच साल तक आपनें उनको अधिकार नहीं दिया। यदि अगली पांच वर्षों में भी हम उनको कोई अधिकार नहीं देंगे तो कैसे हम उनके प्रति वफादारी से पेश आ सकेंगे। और उनको कब अधिकार मिलेंगे ताकि वह कहें कि हम भी किसी जमानें में हरिजन थे और हरिजन होते हुए हमारे ऊपर सरकार ने कुठाराघात किया है, ऐसा कहने का हम मौका नहीं देना चाहते ।

इसी प्रकार से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारी कई जातियां ऐसी हैं जो कि अधिक जन संख्या होनें के कारण से और काम न मिलने के कारण से बंगाल बिहार, और आसाम आदि में स्थानों में जाकर बस गयी हैं और हमारे सतनामी भाई बिहार, बंगाल और आसाम के प्रान्तों में घनी आबादी होने के कारण से सैंकड़ों साल से वहां पर बस गये हैं और वहां पर कोयला खदानों में मजदूरी का काम करते हैं, चमड़े के कारखानों में और हड्डी के कारखानों में काम करतें हैं, उनके साथ छुआछूत और दुराभाव वर्ता जाता है और मैं नहीं समझता कि उनको हरिजन और या अनुसूचित जाति क्यों न माना जाय।

डिलिमिटशन कमीशन (परिसीमन आयोग) के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ५ प्रदेशों में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है और यहां पर जो डिलिमिटेशन कमीशन (परिसीमन आयोग) बनाया गया है वह वस्तुतः यहां पर हरिजनों और भूमिजनों की संख्या बढ़ जानें के कारण या उनकी जन संख्या में हेरफेर होनें और उसकी पुर्ननिधारण करने के लिए ही बनाया गया है। क्या ही अच्छा होता यदि हर एक प्रदेश के डिलिमिटेशन कमीशन के सहयोगी सदस्यों में एक एक हरिजन या भूमिजन सदस्य और शामिल कर लिया जाता क्योंकि हमारे देखनें में आया है कि डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य लोग केवल भूगोल के नकशे के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर बिनाँ अनुभव के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं और जो १०० मील की लम्बाई चौड़ाई के अन्दर ही बन सकती है उसे २००, २०० और ३००, ३०० मील लम्बा चौड़ा बना देते हैं और ऐसा इस लिये हो जाता है क्यों कि उसे अनुभव नहीं है कि कौन सी नदी या सड़क वहां पर है या नहीं, क्षेत्र सघन है या नहीं लेकिन हरिजनों को इन से सम्पर्क होनें के कारण पूरा अनुभव रहता है और इसीलिये हरिजन सदस्यों को डिलिमिटेशन कमीशन में शामिल किये जानें का मैंनें सुझाव दिया है।

अब मैं आपको बतलाऊ कि मध्य भारत और मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बहुत काफी संख्या रहती है लेकिन आदिम जातियों के लिये निर्धारण में जो क्षेत्रीय संकीर्णता बर्ती जाति है जैसा कि रायपुर में या दूसरे जिलों में उनकी उपजाति चली जाती है तो वे आदिवासी नहीं गिनें जाते हैं, उस संकीर्णता को दूर करकें सम्पूर्ण प्रदेशों में उनको आदिम जाति या हरिजन माना जाय । पनका और गाडा जातियां सतनामी या चमारों से भी बदल रहे हैं । भूमिहीन और गृहहीन हैं। आज के दिन उनके साथ छुआछूत और दुराभाव बर्ता जाता है और उनको शैक्षणिक तथा आवश्यक सुविधायें नहीं

[श्री जांगड़े]

प्राप्त हैं और यह खेद का विषय है कि प्रान्तीय सरकारों नें उन जातियों को हरिजनों में शुमार करनें की सिफारिश नहीं की है और मैं चाहता हूं कि उनको हरिजन माना जाय। मैं चाहूंगा कि किसी भी जाति को या किसी भी बनवासी को संपूर्ण प्रदेश भर में आदिवासी या हरिजन माना जाय।

आज कुछ लोगों में मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि अपने को हरिजनों मे रखते हुए भी अपने को आम हरिजनों से ऊंचा समझते हैं और अपने को हरिजनों का राजा या ब्राम्हण समझते हैं। यह चीज मैं समझता हूं उचित नहीं है क्यों कि वे भी हरिजन हैं और जैसे और हरिजन भाइयों की हालत है वैसी ही उनकी भी हालत है तब इस तरह की ऊंचनीच और भेदभाव वर्तना सही नहीं है। वे अपने को चमार नहीं गिनते अपनें को महार नहीं मानते और वे अपने को हरिजनों में राजा और ब्राम्हण समझते हैं और इस तरह की प्रवृत्ति हरिजनों में भेदभाव फैलाती है और इसका जल्दी से जल्दी खात्मा होना चाहिये।

इसके उपरान्त मै यह कहना चाहता हूं कि अभी जैसा कि माननिय गृह मंत्री ने जो संशोधन धारा ६ में किया है वह अत्यन्त प्रशसनीय है लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहना चाहता हूं कि कई जातियां ऐसी हो सकती है जिन्होंनें कि अपना नाम सेंशस में अपनी अपढ़ता और अविद्या के कारण नहीं बताया, मैं चाहूंगा कि जिन जातियों का उल्लेख सेंशस में १९११, १९२१, या १९३१ की लोकगणना में न हो तो सन १९०१, १९११, १९२१, के आधार पर किसी अन्य पद्धति से उनकी जनसंख्या जानी जाय। यह मानी हुई बात है कि जो जितना गरीब होता है, उसकी जनसंख्या उतनीं ही ज्यादा होती है, धनिक लोगों की जनसंख्या कम होती है और मैं समझता हूं कि बनवासी हरिजनों की जनसंख्या का अगर एव्रेज परसेंटेज़ लिया जाये तो हर एक अन्य जाति से उनकी जनसंख्या ज्यादा निकलेगी। मैं चाहूंगा कि उनके साथ सहृदयता का व्यवहार हो। इसी के साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि नागरिको की राष्ट्रीय पंजी (नेशनल रजिस्टर आफ सिटिज़ंस) कई प्रान्तों में १९५१ की जनसंख्या के आधार पर मिल सकते हैं जिनमें कि हरिजनों का जातिवार व्योरा दिया गया है और उनको ताज़ी फीगर्स (आंकड़े) प्राप्त हो सकती हैं, केवल थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इसलिये मैं चाहूंगा कि हरिजनों और भूमिजनों की संख्या निर्धारित करते समय नेशनल रजिस्टर आफ सिटिज़्स की सहायता ली जाय। गृह मंत्रालय और लोकगणना विभाग अगर जरासी मेहनत करें तो यह आसानीं से प्राप्त हो सकते हैं और ऐसा करना हरिजनों और भूमिजनों के लिए न्यायानुकूल होगा। ऐसा होनें पर ही हमारा कल्याण हो सकता है।

डिलिमिटेशन कमिशन अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में कई सज्जनों ने बड़ा महात्वपूर्ण भाग लिया है। हमारे गृह मंत्री महोदय, ला मिनिस्टर और शेडयूल्ड कास्ट कमिशनर (अनुसूचित जाति आयुक्त) ने और श्री डी० एन० तिवारी नें इस विषय में इतना महत्वपूर्ण भाग लिया है कि हम सदा के लिये उनके कृत्तज्ञ रहेंगे और हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि अब जब हमारे ऊपर अन्याय होगा वह आग बढ़ कर उस अन्याय को दूर करनें का प्रयत्न करेंगे।

श्री काजरोल्कर (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे गृह मंत्री महोदय जी नें शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेडयूल्ड ट्राइब्स आर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल [अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक] लाये हैं, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम हरिजनों और गिरिजनों पर बहुत सालों से अन्याय होता आया है, उस अन्याय को कुछ हद तक दूर करने का प्रयत्न इस बिल के द्वारा किया जा रहा और इस नाते यह स्वागत के योग्य है और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं।

बैकवर्ड क्लासेज कमिशन की जब नियुक्ति हुई और हमारे प्रेसीडेंट साहब ने उस कमिशन को हरिजनों और गिरिजन जातियों की लिस्टों को रिवाइज करने का काम भी सुपुर्द किया, उसके लिए हम हरिजन और गिरिजन उनको धन्यावाद देते हैं। यह जाहिर बात है कि अगर यह लिस्टें रिवाइज न की गई होतीं तो आज जो हमारी बहुत सी शेडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स जातियां की संख्या बढ़ गई हैं वे न बढ़ती और इन लोगों को जो सुविधा मिलने वाली थी वह नहीं मिल पाती।

साथ ही हमनें यह भी देखा कि बैक्वर्ड क्लासेज़ कमिशन की रिपोर्ट प्रकाशित होनें में देरी लगन वाली थी और आगामी चुनाव काफी नज़दीक आगये थे, उसके लिय हमारे कमिशन के चेयरमन काका साहब कालेलकर और अन्य सदस्यों नें जो इंटैरिम रिपोर्ट फौरन भेजनें का इन्तजाम कराया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि अगर ऐसा न होता तो जो सुविधा अभी हमारे हरिजन और गिरिजन भाइयों को मिलने वाली है वह नहीं मिल पाती।

हमारे गृह मंत्री जी ने अभी बताया है कि इस बिल के पास हो जानें से हरिजनों और गिरिजनों की संख्या २४ लाख और ३२ लाख बढ़ जायेगी साथ ही पार्लियामेंट (संसद्) में ९ सीटें और असेम्बलियों के अन्दर ५३ सीटें बढ़ जायेंगी। मैं सच कहता हूं कि अगर बैकवर्ड क्लासेज कमिशन (पिछड़ी जाति आयोग) की जो रिकमेंडेशन्स (सिफारिशें) हैं, उन में से सब की सब मान ली जाती तो यह संख्या इस से भी ज्यादा बढ़ सकती थी। मैं कहता हूं कि अब भी समय है, हमारे मित्रों नें जिन जातियों का प्रवेश नहीं किया गया है, उन के लिये अमेंडमेंट्स दिये हैं। जब हमारे गृह मंत्री नें हम लोगों से मिलनें और बात करनें के लिये दो दिन दिये हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह उन संशोधनों पर भी विचार करें। शायद कुछ लोग ऐसे समझें कि यह जो ५६ लाख हरिजनों और गिरिजनों के लिये हमें कुछ सीटे ज्यादा मिल गई हैं। मैं कहता हूं कि यह कोई मेहरबानीं हमारे ऊपर नहीं है। हां यह जरूर है कि जो अन्याय हम पर हो रहा है, वह अन्याय दूर हो गया है, भले ही पूरा अन्याय न दूर हुआ हो। इस के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो एक प्रान्त के अछूत हैं परन्तु दूसरे प्रान्तों के अंदर अछूत नहीं मानी जाती हैं। इस संबध में कमिशन के सामनें बड़ी कठिनाईयां थीं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रान्त में अछूत माना जाता है तो वह दूसरे प्रान्त में भी अछूत माना जाना चाहिये। अगर वह अपनें प्रान्त से किसी दूसरे प्रान्त में चला जाता है, तो वहां पर भी उस को वही सुविधा मिलनीं चाहिये जो कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को मिलती है। आज कल यह होता है कि बहुत सी जातियों के लोग नौकरी करनें के लिये या शिक्षा प्राप्त करनें के लिये दूसरी जगह चले जाते हैं। हो सकता है कि उनकी जाति का नाम राजकीय दृष्टि से उस राज्य की शेडयूल्ड ट्राइब्ज और शेडयूल्ड कास्ट्स की लिस्ट के अन्दर न हो, लेकिन चूंकि वह अपने यहां शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट में होता है, इस लिये नौकरी और शिक्षा के संबंध में उनको अपने यहां जैसी ही सुविधा मिलनी चाहिए ।

सेन्सस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सन् १९५१ का सेन्सस हुआ तो उसमें मैंनें देखा कि जो एन्युमरेटर्स होते थे वह सवर्ण हिन्दू होते थे। मैं इस मामले में सब को दोष नहीं देना चाहता केवल यह बतलाना चाहता हूं। जब वह एन्युमरेटर्स (गिननें वाले) किसी के यहां जाते थे तो उससे पूछते थे कि तुम हरिजन हो न न वह कहते हैं कि हां हम अछूत हैं। इस तरह बहुत से लोगों के नाम हरिजनो में और अछतों में लिख लिये गये। यह बात कमीशन के सामनें अवश्य आई होगी। बहुत सी जो गल्तियां थीं सेन्सस में वह दुरूस्त कर दी गई। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, उन के लिय भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन को दूर कर देना चाहिये। जो हमारे भाईयों नें अमडमट्स (संशोधन) दिये हैं उन पर हमारे गृह मंत्री जी ध्यान दें और स्वीकार कर लें। साथ ही आप हमार लिए जो बिल लाए उन के लिये धन्यवाद भी देता हूं ।

†**श्री नवल प्रभाकर** (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां): माननिय अध्यक्ष महोदय मैं यह जो अनुसूचित जातियों का संशोधन विधेयक है, उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मेरें मन में कुछ संदेह है और वह मैं माननिय मंत्री जी की सेवा में प्रकट करना चाहता हूं।

पिछली बार जो अनुसूचित जातियों की सूची थी, उस में एक जाति और उस से संबंध रखने वाली दूसरी जातियों के नाम लिखे थे। किन्तु इस बार एक जाति से सम्बद्ध कई जातियां उसके साथ जोड़ दी गई हैं। जैसा अभी श्री जांगड़े ने कहा हमें जाति पांति के झगड़े में नहीं जाना चाहिये, मैं उनके इस विचार का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि जातियां जितनी कम होंगी उतना ही अच्छा होगा साथ ही देश की एकता भी बढ़ेगी। किन्तु मेरे मन में एक सन्देह है और वह यह कि बैकवर्ड क्लासेज कमिशन की जो रिपोर्ट (प्रतिवेदन) है उस के अन्दर जातियों के नाम लिखे हुए हैं और साथ में उन जातियों की एस्टिमेट की हुई संख्या लिखी हुई है। परन्तु बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिन के नाम के आगे उनकी जन संख्या नहीं दी गई है, जैसा कि पिछली बार दिल्ली में हुआ। दिल्ली की सन् १९५१ की जनगणना में न जानें किस पालिसी की वजह से दिल्ली की जो ४१ जातियों की सूची थी, उस को प्रयोग में न ला कर पंजाब की सूची को प्रयोग में लाया गया जिस में जातियों की संख्या कम थी। उस में दिल्ली की १७ जातियां ऐसी थी जिन के नाम नहीं थे, हालां कि वह दिल्ली के अन्दर काफी संख्या में पाई जाती हैं और अनुसूचित जातियों में गिनी जाती हैं। जो जातियां यहां पर नहीं हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, किन्तु जो लगभग १७ जातियां यहां पर पहले सूची में थीं और जो कि पंजाब की सूची में नहीं थीं, उन की जनसंख्या इस जनगणना में नहीं आ सकी। इसी के कारण जितनीं हम लोगों की जनसंख्या यहां होनीं चाहिये उतनी नहीं हो सकी। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था। मैंनें देखा कि रिपोर्ट में बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो अब तक हमारी जातियों में लिखी हुई थीं, सन १९५१ में भी थीं और उनके तीन चार साल पहले तक थीं। उसके बाद तीन चार जातियां के लिये बेकवर्ड क्लासेज कमिशन नें सिफारिश की है, उन को भी हमारे माननीय मंत्रीजी नें कृपा करके इस विधेयक के अन्दर सम्मिलित कर लिया है। मैंनें जब देखा कि पेपर नं० ४ में जो कि सन् १९५२ में प्रकाशित हुआ था, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम नें पंजाब की सूची का प्रयोग किया है तो उस समय भी मैंनें माननिय मंत्री डा० काटजू की सेवा में एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि इसको ठीक किया जाय। उन्होंनें कृपा कर के अपनें जनगणना के विभाग को लिखा, और उस के बाद एस्टिमेट तैयार किया गया। जब एस्टिमेंट (प्रक्कल्लन) तयार किया गया तो उस में भी ऐसी अछूत जातियां थीं, जिन के संबंध में उन्होंनें कहा कि उनके कोई आंकड़े उनको पिछली जन गणना के अन्दर प्राप्त नहीं हुए। ऐसी अवस्था में दिल्ली के अन्दर ६० या ६५ हजार संख्या अनुसूचित जातियां की बढ़ जाती। यहां पर उन की सन् १९५१ में २ लाख ८ हजार जन संख्या बताई गई, अगर यह ६५ हजार जनसंख्या और बढ़ा दी जाती तो उन की संख्या २ लाख ६५ हजार से ज्यादा हो जाती।

मैं जब डिलिमिटेशन कमिशन (परिसीमन आयोग) के सामनें गवाह के रूप में गया और उस से प्रार्थना की कि गृह मंत्रालय नें जनगणना की दोबारा जांच की है और वह यह कहता है कि यहां के हरिजनो और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या २ लाख ६५ हजार के लगभग पहुंचती है तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष ने कहा की मेरे सामने कुछ काननी दिक्कतें हैं। यदि आप उन आंकड़ो को जो कि आपको मिले हैं, प्रार्थना पत्र के साथ मेरे पास भेजें और उन आँकड़ों को गजट करा लें, तो मैं यह समझ सकता हूं कि वह आंकड़े प्रमाणित हैं। इस संबंध में हमारे शेडयूल्ड कास्टस कमिश्नर नें अपनी रिपोर्ट दी है और उस के अन्दर उन्होंने जिक्र किया है तथा माना है कि एस्टिमेट करने पर मालूम हुआ है कि दिल्ली की जनसंख्या इस तरह से बढ़ गई है। इस बिल को देखनें से मेरे मन में जो संदेह है, मैं चाहता हूं कि उस का निवारण हो जाय। उसमें यह किया गया है कि एक जाति लिखी हुई है और उसके साथ ६ या ७ जातियां रख दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह उस एक जाति में ही शुमार की जायेंगी या अन्य एस्टिमेट की हुई जातियां समझी जायेंगी जिन के एस्टिमेट करनें से बढ़े हुए

---

†मूल अंग्रेजी में

फिगर्स (आंकड़े) आ जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालें। यह एक इस दिल्ली राज्य का ही प्रश्न नहीं है, इसी तरह के प्रश्न हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर में भी उत्पन्न होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी जगहें हैं जहां पर नई जातियों को शुमार तो कर लिया गया है, उनको सम्मिलित तो कर लिया गया है किन्तु उन नई जातियों की संख्या पर्याप्त नहीं होती हैं। ऐसी अवस्था में वे क्या करेंगी। अभी भाई जांगडे जी ने कहा कि नेशनल रिजिस्टर से देख लिया जाएगा। जब दिल्ली का मसला सामने आया था उस वक्त मैंने यह प्रार्थना की थी कि नैशनल रिजिस्टर (पंजी) से इस चीज को देखा जा सकता है लेकिन यह नहीं हो सका और सम्भवत: नैशनल रिजिस्टर (राष्ट्रीय पंजी) में भी दिल्ली के बारे में इस तरह के आकड़े प्राप्त नहीं थे और वह बात वहीं रह गई।

दूसरा विचार जो मेरे मन में है वह यह है कि एक जाति के लोग जो कि मान लीजिये बम्बई में रहते हैं और अब दिल्ली में आगये हैं या किसी पड़ोसी राज्य में चले गए और यदि अनुसूचित जातियों या गिरिजातियों की सूचियों के अन्दर उनका नाम आता है तो कम से कम जो केन्द्रीय सुविधायें उनको दी जाती है, ये सुविधायें उनको भी प्राप्त होनी चाहिएं। ये सुविधायें ऐसी हैं जैसे कि केन्द्रीय सरकार उनको वजीफे देती है, छात्रवृतियां देती है या दूसरी प्रकार की सुविधायें देती है वे सब उनको मिलनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार के दफतरों में नौकरियां होती हैं उमनमें से भी उनको, जैसे दूसरों को दिया जाता है, प्रेफ्रेंस (अधिमान) दिया जाना चाहिये। मैं आपको एक केस बतलाना चाहता हूं जो बहुत छोटा सा है। एक छात्र जो कि फर्स्ट डिविजन में पास हुआ था, यह उसका केस है। वह पंजाब की अनुसूचित जातियों में गिना जाता है। दुर्भाग्यवश.....

†**अध्यक्ष महोदय**: हम मुख्य प्रयोजन से दूर जा रहे हैं जो कि अनुसूचित जातियों के लिए कतिपय जगाहों के संबंध में है

†**श्री नवल प्रभाकर**: इन जातियों के संबंध में ही मैं कह रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय**: इसके अन्तर्गत सभी कुछ नहीं लिया जा सकता।

†**श्री नवल प्रभाकर**: फर्स्ट डिविजन में वह आया था। वह मेरे पास आया। वह सेंटर से स्कालरशिप चाहता था। मैंने पत्र लिखा किन्तु उसे इस लिये स्वीकार नहीं किया गया कि वह पंजाब का है और अब दिल्ली में आया है और दिल्ली से उसने पास किया है। तो जो ऐसे केस होते हैं, उनके संबंध में मैं चाहूंगा कि कोई निति निर्धारित होनी चाहिये और सहानुभूति पूर्वक ऐसे केसिस पर विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री गणपति राम** (जिला जौनपुर–पूर्व–रक्षित–अनुसूचित जातियां): यू०पी० के हरिजनों के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय**: बहुत अच्छा।

†**श्री बाल्मीकी** (जिला बुलन्दशहर–रक्षित–अनुसूचित जातियां): अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं और मुझे भी समय दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: आप भी यू० पी० से हैं।

†**श्री श्री बाल्मीकी**: जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय**: हर एक प्रदेश के मैम्बर को मैं बोलने का मौका दे रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित--अनुसूचित जातियां): माननीय गृह मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की उन्नति के लिये उत्सुक हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम भी उनको सहायता देने को तत्पर हैं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का विधेयक सदैव सत्र के अन्त में प्रस्तुत किया जाता है जिसके कारण इस पर चर्चा में शीघ्रता की जाती ह। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि भविष्य में वह इसका ध्यान रखें जिस से इस पर चर्चा के लिये सदस्यों को पर्याप्त समय मिल सके। जैसा कि श्री काजरोल्कर ने बताया विधेयक में कुछ अन्य जातियां सम्मिलित की गई हैं परन्तु समय की कमी के कारण हमें उन जातियों के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं है। इसी प्रकार कुछ जातियां अनुसूचित जाति की सूची से निकाल दी गई हैं तथा बहुत से सदस्य नहीं जानते कि वह कौनसी जातियां हैं। यदि हमको पर्याप्त समय मिलता तो हम इनके संबंध में पूर्ण अध्ययन कर सकते थे।

मैं कुछ मामलों में जानता हूं कि कुछ जातियां अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित कर दी गई है परन्तु मैं जानता हूं कि कुछ राज्यों में यह अनुसूचित जातियां हैं परन्तु इन जातियों में इनको नहीं रखा गया है। इस लिये उन में कुछ असंतोष है कि उनको सिफारिशों पर विचार का उचित समय नहीं मिला है। मैं मानता हूं कि सरकार अस्पृष्यता निवारण शिक्षा की सहायता आदि से इन जातियों की स्तर ऊंचा करने का प्रयत्न कर रही है परन्तु हमारी यही शिकायत है कि हमको विचार करने के लिये पूर्ण समय नहीं दिया जाता है।

अदिम जातियों के संबंध में मैं एक बात कहूंगा कि कुछ नियंत्रित क्षेत्रों में कुछ जातियां, आदिम जातियां मान ली गई ह तथा जब वह इस नियंत्रित क्षेत्र में से बाहर जाती हैं तब हम बाहरी क्षेत्र की उसी जाति को सुविधाओं का उपयोग उठाने का अधिकार इन बाहर जाने वाली जातियों को नहीं मिलता है।

मैं अपने राज्य का ही एक उदाहरण देता हूं और माननीय गृह कार्य मंत्री का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

डा० पशुपति मंडल का एक संशोधन संख्या ६७ है जो सुनारी नामक जाति के संबध में है। बात वास्तव में यह है कि साहा में दो जातियां हैं— एक अननुसूचित और दूसरी अनुसूचित: दूसरी जाति के लोग बसिया हैं। अत: केवल साहा से गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है अर्थात कुछ ऐसे लोग इससे लाभ उठायेंगे जो इस के अधिकारी नहीं हैं जबकि सुनारी लोग उससे अलग समझे जायेंगे।

भारत सरकार तो अपने कर्मचारियों पर ही निर्भर करेगी, यदि कोई कर्मचारी यह कहता है। कि चूंकि कोई व्यक्ति अपनें नाम के साथ साहा लिखता है, इस कारण वह अनुसूचित जाति का नहीं है। अत: मेरा निवेदन है कि गृह कार्य मंत्री यह देखे कि जो लोग राष्ट्रीयता के पदचिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं उनके साथ पूर्ण न्याय किया जाना चाहिये।

†**डा० गंगाधर शिव** (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं अपनी जाति के मामलों कें बारे में कुछ कहना चाहूंगा। १९२६ में अंग्रजों और महात्मा गांधी में इस बारे में बड़ी चर्चा हुई कि हम लोगों का संयुक्त निर्वाचन हो अथवा अलग। साइमन आयोग की नियुक्ति भी इसी बारे में की गई। मैंने भी साइमन आयोग के समक्ष साक्ष्य दिया था। उस समय महात्मा गांधी ने संयुक्त निर्वाचन के लिये अपना पूर्ण जोर लगाया । जबकि अनुसूचित जाति के कुछ सदस्यों नें जो सरकार के पक्ष में थे, अलग निर्वाचन का समर्थन किया था। १९३२ में गांधीजी ने सामुदायिक पंचाट के विरोधमें आमरण अनशन किया था। बम्बई में अनुसूचित जाति के लोगों की एक बैठक बुलाई गई जिसके परिणामस्वरूप राजा मुंजे समझौता किया गया। अलग निर्वाचन के विरोधियों में से मैं भी एक था। इस प्रकार महात्मा जी हरिजनों के लिये संयुक्त निर्वाचन रखने के बारे मे आजीवन लड़ते रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद तथा विधान सभाओं मे हमारी संख्या इतनी कम होने के कारण सम्भवत: यह है कि गणना करने वालों ने ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं किया। कुछ वर्ष पूर्व हमारी संख्या कुल जन संख्या का १/६ भाग थी जिसे अब जान बूझ कर कम कर दिया गया है। वास्तव मे देखा जाय तो यह संख्या तो सारे समुदाय की आर्थिक दशा सुधारने और सामाजिक कल्याण के लिये कुछ कर सकती हैं।

आंध्र और विशेषकर रायलसीमा भारत के राज्यों में सब से अच्छा है जिसकी जनसंख्या ५ करोड़ है जिसमें लगभग ५०–६० लाख हरिजन हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि फिर वहां से केवल तीन ही प्रतिनिधि क्यों लिये गये। मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले की जांच करें। पहले रायलसीमा के लिये चार सीटें रखी गई थीं जिसमें से एक अब अनन्तपुर के लिये कर दी गई है। मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह रायलसीमा की चार सीटें ज्यों की त्यों बनी रहने दें।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अब डा० जाटव वीर को बोलने के लिए कहता हूं।

†**श्री उइके** (मंडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल का सम्बन्ध आदिवासियों से भी है, लेकिन अभी तक एक के सिवा किसी को समय नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि आदिवासियों को भी समय दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, इसके बाद।

सरदार अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : टाइम खत्म हो जायगा, फिर बड़ी मुश्किल पड़ेगी। आखिर हम लोगों को रिप्रेजेन्ट करना पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संसद् सदस्यों को ही तो बोलने के लिये कह रहा हूं।

†**श्री जाटव वीर** (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि इस हाउस में परिगणित जातियों को घटाने बढ़ाने, उनमें आर्थिक उन्नति के कार्य करने और उनके सामाजिक सुधार के विषय में चर्चा हो रही है। मैं माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को यहां पर ला कर यह प्रेरणा दी है कि इस समय जो जातियां गिरी हुई हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान करके उनके स्तर को ऊंचा उठाया जाय। मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

हमारे देश में एक जाटव जाति है, जिसकी संख्या भारत की हरिजन जातियों में सबसे अधिक है। १९३८ में इस जाति की तरफ से एक डेपुटेशन माननीय गृह मंत्री के पास गया और एक अभिनंदन-पत्र देकर कहा कि जाटव जाति की दशा बड़ी दयनीय है। उसका नाम अनुसूचित जातियों में नहीं है। इस जाति के ऊपर सवर्णों की तरफ से बड़े अत्याचार किये जाते हैं और उन लोगों के साथ छुआछूत बरती जाती है। अगर इस जाति के लोगों की दशा का खाका खींचा जाय, तो वह बड़ा शोचनीय और दर्दनाक होगा। उन्होंने वह पत्र लिया और सैक्रेटरी के पास भेज दिया और वह स्वीकार हो गया। तब सारे राज्य में घोषणा हो गई कि जाटव हरिजन जाति में हैं। १९५१ में भोपाल, उत्तर प्रदेश, अजमेर, राजस्थान और दिल्ली में इस सम्बन्ध में घोषणा की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश मध्य भारत में इसकी घोषणा नहीं की गई। वहां पर आन्दोलन हुआ। मध्य भारत में जाटवों की आबादी लगभग पांच लाख है। १–७–५१ को दस हजार लोगों के दस्तखत करा कर भारत सरकार के पास भेजे गये। उसके बाद हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर (अनुसूचित जाति आयुक्त) श्री श्रीकान्त ग्वालियर पधारे। यह १९५२ की बात है। उनको अभिनंदन-पत्र दिया गया और उनसे निवेदन किया गया कि यहां पर पांच लाख के करीब जाटव रहते हैं। उनके हाथ का छूआ हुआ कोई नहीं खाता है। वे खाट पर नहीं बैठ सकते हैं और अगर कोई व्याह-शादी के समय पकवान बना ले, तो उस पकवान को लूट लिया जाता है। यह अभिनन्दन पत्र सन

†मूल अंग्रजी में

[श्री जाटव वीर]

१९५२ में दिया गया था। उन्होंने इस कठिनाई को दूर करने का आश्वासन भी दिया था। इसके बाद हमने श्री जगजीवनराम को भी मध्य भारत की जाटव जाति की कठिनाइयों के बारे में एक स्मृतिपत्र दिया था। सन् ४७ में जब ग्वालियर में रियासत थी उस समय भी हमने राज्य को एक स्मृतिपत्र दिया था और राज्य ने उस पर विचार किया था। मैं चाहता हूं कि यह स्वीकार किया जाये कि जाटव भी सज्जनों के अंग हैं। किसी को नीच कहना तो एक प्रकार से भेदभाव फैलाना है। मैं तो चाहता हूं कि यहां कि जितनी भी जातियां हैं सबको एक जाति लिखा जावे। मैं तो चाहता हूं कि चमार, भंगी और सवर्ण सब को एक जाति का समझा जावे। मैं तो चाहता हूं कि वह दिन आवे जब कि यहां केवल एक भारतीय जाति ही रह जाये और हम भारत के सब रहने वाले बराबर हों। हम यही चाहते हैं। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार इस ओर प्रयत्नशील है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी पिछली बार छुआछूत दूर करने का बिल लाये थे। मैं समझता हूं कि सरकार के इस प्रकार के प्रयत्नों से इस देश का कल्याण बहुत जल्दी हो जायेगा। मैंने कुछ संशोधन दिये हैं। आशा है उनको स्वीकार किया जायेगा।

यहां पर कुछ भाइयों ने कहा कि जाटव लोग तो ऊंचे बढ़ गये हैं। मैं उन भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि उनके ये शब्द तो निकले। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मध्य भारत में जाटव लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। अभी कोई महीना भर हुआ कि घर बनाने पर कत्ल हो गया। अगर हम जरा भी ऊंचा सिर उठाते हैं तो हमको दबाया जाता है। इसका प्रमाण हमारे माननीय श्रीकान्त जी हैं जिनके पास इस प्रकार की शिकायतों की हजारों अर्जियां आती हैं। आज हम लोगों की यह दशा है। कोई लोग अपने को सूर्यवंशी कहते हैं, कोई अपने को यदुवंशी कहते हैं। पर हमारा तो यह दावा है कि हम कृष्ण वंशी हैं लेकिन हमको दबादबा कर नीचा चमार कर दिया गया है। हम कहते हैं कि सवर्ण हिन्दू सब कुछ के हकदार हैं। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हमसे अछूत जैसा व्यवहार किया जाये। हम तो वह दिन देखना चाहते हैं जब कि सारे देश में केवल एक ही भारतीय जाति रह जाये। तभी देश का कल्याण होगा। यदि कोई आदमी चमड़े का काम करता है तो उसको इस वजह से चमार कहना और नीच समझना, या अगर कोई कोली का काम करता है तो उसको नीच समझना गलत है। हमारे भाइयों ने काम के अनुसार जातियां बना दीं। मैं समझता हूं कि किसी काम के करने के कारण किसी को नीच ऊंच समझना गलत है। मैं तो चाहता हूं कि पांच वर्ष बाद वह दिन आवे कि जब यहां केवल एक ही जाति हो और इस हाउस में किसी का अलग अलग प्रतिनिधित्व न हो। मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा प्रयत्न करें कि वह दिन शीघ्र आवे।

†**श्री केशव आयंगार** (बंगलौर उत्तर) : मैं एक स्पष्टीकरण के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक स्वागत करने योग्य है क्योंकि सरकार द्वारा आयुक्त की स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। परन्तु इस विधेयक में मैसूर राज्य में जो अनुसूचित जातियां सम्मिलित की गई हैं उनमें मद्रास, हैदराबाद, बम्बई के मिलाये जाने वाले क्षेत्रों की जातियां सम्मिलित नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री से पूछा गया था उन्होंने उत्तर दिया है कि वे पुनर्गठित राज्यों के अनुकूल विधेयक बनाने के लिये संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री उइके : अध्यक्ष महोदय, भारत में आदिवासियों का वर्ग विशेष पिछड़ा हुआ है, गरीब है और अशिक्षित है। गरीब और अशिक्षित तो और जातियों में भी हैं लेकिन आदिवासियों में कुछ खास बातें हैं। उनमें भोलापन है और लजीला पन है। इस भोलेपन के कारण वह दिन रात लूटे जाते हैं। अपने लजीले पन के कारण वे किसी से मिलते नहीं। अगर बस्ती में रहेंगे तो दूसरे लोगों से अपने मुहल्ले अलग बसा कर रहेंगे, और अगर मैदान और जंगल में रहेंगे तो भी सबसे अलग रहेंगे। इस कारण उनका किसी से मेल नहीं होता और इस कारण उनका उत्थान नहीं हो

---

†मूल अंग्रेजी में

सकता है। इसके अलावा उनके कुछ सामाजिक कृत्य भी विशेष प्रकार के हैं। तो इस भोलेपन, लजीलेपन और खास आचार विचार के कारण आदिवासियों के साथ खास व्यवहार किया जाना चाहिये। हमारे विधान निर्माताओं ने उनकी इन विशेषताओं की रक्षा करने के लिये संविधान में बहुत सेफगार्ड्स भी रखे हैं। हमारी संविधान २६ जनवरी १९५० को लागू हुआ। उस दिन सारे भारतवर्ष में आदिवासियों ने बड़ी खुशी मनायी और जलसे किये। लेकिन ३० मार्च सन् १९५० का जो राष्ट्रपति का आदेश निकला और उसमें जो आदिवासियों की संख्या निकली उससे हम लोगों को घोर निराशा हुई। हम नहीं समझ सके कि हम लोगों के साथ यह अन्याय क्यों किया गया। सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार हमारी संख्या २,४१,३४,००० थी, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार वह १,७८,७३,००० रह गयी, यानी लगभग ६२ लाख हमारी संख्या कम हो गयी। बाद में हमको मालूम हुआ कि इस कमी का कारण क्या था। हम यह मानते हैं कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार हमारे शिक्षण के लिये और दूसरी बातों में सहायता करने के लिये रुपया देने में आगापीछा नहीं करती और हमको सहायता दी जा रही है। लेकिन हमारी संख्या कम करने का कारण यह मालूम होता है कि हमारे अधिक प्रतिनिधि विधान सभाओं में और पार्लियामेंट में न आवें। इसी कारण हमारी संख्या ६२ लाख कम कर दी गयी है। मैं समझता हूं कि इस मामले में राज्य सरकारें अड़ंगा डालती हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने यहां पर विधान की धारा ३४१ और ३४२ का हवाला दिया। इन धाराओं में साफ कहा गया है कि इस संख्या का परिवर्तन पार्लियामेंट कर सकती है। आज हमारे ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने कि पहाड़ जैसे रिआर्गेनाइजेशन आफ स्टेट्स (राज्य पुनर्गठन) के काम को पूरा किया और अच्छे ढंग से किया। उनके लिये हमारी संख्या पूरी करना सरल काम है। हमारी प्रार्थना है कि इन ६२ लाख आदिवासियों को आदिवासी घोषित न करने से हमारा कितना नुकसान होता है उसकी ओर वे ध्यान दें। जब तक यह नहीं हो जाता हम अपने को उन आदिवासी लोगों के सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं समझते और हम अपने को उनके प्रातनिधि होने योग्य नहीं समझते और हमारे मन में यह भावना आती है कि हम इस्तैफा देकर चले जायें। लेकिन हम अपने गृह मंत्री जी का जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार देखते चले आ रहे हैं उससे हमको आशा और विश्वास होता है कि हमारी यह कठिनाई दूर की जायेगी। अगर इन ६२ लाख आदिवासियों को आदिवासी घोषित कर दिया जाता है तो परिणाम यह होगा कि असेम्बलीज में ६२ हमारे मेम्बर आ जावेंगे और पार्लियामेंट में दस मेम्बर आ जावेंगे। लेकिन इससे किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। यह सिर्फ एक ही मर्तबा तो होगा क्योंकि पांच साल बाद तो ये लोग नहीं आ सकेंगे क्योंकि इसमें धनी लोग बहुत कम हैं। और अगर कोई लाख में एक धनी है भी तो उसका जनता के साथ सम्पर्क न होने के कारण चुनकर आना सम्भव नहीं है। केवल पैसे के बल पर तो कोई चुनकर नहीं आ सकता। आज हालत यह है कि जो गरीब हैं और जिनका कि जनता के साथ सम्पर्क है उनके पास इतना धन नहीं है कि वह चुनाव में रुपया खर्च करके इलेक्शन लड़ कर यहां पार्लियामेंट में आ सकें। और हमारी जैसी आर्थिक अवस्था है उसको देखते हुए पांच साल बाद पार्लियामेंट की सारी सीटें आपको मुबारक हों और हमारे भाई उन पर हाथ नहीं डाल सकेंगे और हाथ डालना तो दूर रहा अगर हम उधर आंख भी करेंगे तो आप हमारी आंख निकाल देंगे।

अगर खाली आदिवासियों के लिए वजीफे, फ्रीशिप्स और स्कालरशिप्स (छात्रवृत्तियां) देने की बात होती तो मैं इस तरह पार्लियामेंट में अपना कलेजा सुखाता भी नहीं लेकिन मैं तो आज उस मूल बात के लिये रोने खड़ा हुआ हूं, अर्थात् आदिवासी को आदिवासी न घोषित करना, और ऐसा न होने से आज हमारे भाइयों की जिस तरह दुर्दशा हो रही है और उनको अनेकों कष्ट भोगने पड़ रहे हैं और मैं इस अवसर पर उसी घोषणा को कराने के लिये कि हमारे ऐसे बहुत से भाई जिनको कि आदिवासी नहीं माना जाता है, उनको आदिवासी माना जाय, इसको कराने के लिए रो रहा हूं। आज ऐसा न होने से परिणाम यह हो रहा है कि आपके जो सोशल रिफार्म्स ऐक्ट (सुधार अधिनियम) जैसे सक्सैशन ऐक्ट (उत्तराधिकार अधिनियम) और स्पेशल मैरिज ऐक्ट (विशेष विवाह अधिनियम) इत्यादि जो बने हैं, उनसे आदिवासी एग्जेम्टड रखते हैं। अब कानून

[श्री उइके]

के मुताबिक एक स्त्री के रहते आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता लेकिन हमारे आदिवासी २५ औरतें कर सकते हैं और उसी तरह एक औरत भी अपने जीवन में २५ आदमियों के पास पंचायत में छोड़ चिठ्ठी देकर जा सकती है, यह प्रथा आदिवासियों में अभी तक चली आती है। इसका कारण यह है कि हमारे आदिवासियों की आर्थिक अवस्था इतनी दर्दनाक है कि वह यह सोचता है कि अगर उसके तीन औरतें होंगी तो अगर हर एक ४, ४ आने के लकड़ी या घास के बोझ लायेंगी तो १२ आने रोज उसे मिल जायेंगे और इसलिए तीन-तीन और चार-चार औरतें रखते हैं। यह आर्थिक सवाल है। अगर आप उसको आदिवासी घोषित नहीं करते हैं तो उनको ऊपरी सोशल रिफार्म के कायदे लागू होंगे और उनकी आर्थिक हालत और भी बिगड़ जायगी। उसकी झोपड़ी और थोड़ी जमीन उसके पास यदि हो तो उसको भी आप नीलाम करवा सकते हैं। अगर उसको आदिवासी घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये एक यह सेफगार्ड दिया हुआ है कि उनकी वह प्रापरटीं जो मूवेबुल नहीं है वह कोई नहीं ले सकता और यह प्रोटेक्शन उनको आदिवासी होने की हैसियत में हासिल है लेकिन आदिवासी घोषित न होने से उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और उस हालत में उन गरीब भाइयों की झोपड़ियां भी उनके पास नहीं रहेगी क्योंकि १०० में १०० आदिवासी कर्जदार रहते हैं। आदिवासी घोषित न होने से उनका सब कुछ नीलाम हो जायगा। यह जो मैंने आपको बतलाया है अतिश्योक्ति नहीं है बल्कि वास्तविक है। मैं इस अवसर पर अपने आदिवासियों का अर्थात् दरिद्रनारायण का सच्चा और नग्न स्वरूप हाउस के सामने रख रहा हूं और मेरा कहना है कि अगर आप हम पर दया करके और हमारे कष्टों को कम करने के लिये उन हमारे ६२ लाख आदिवासियों को आदिवासी घोषित कर दें तो कोई विशेष बात होने वाली नहीं है। भारत पर संकट नहीं आयेगा।

अब मैं अपने प्रान्त की बात जहां पर कि हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और मैं आपको बतलाता हूं कि वहां पर रीजनल बेसिस पर लोगों को आदिवासी माना गया है और इसका परिणाम यह हुआ है कि मैं तो आदिवासी हूं लेकिन नदी के उस पार मेरी जो लड़की रहती है उसको आदिवासी नहीं माना गया है और उसके लिये कायदे कानून दूसरे हैं। मेरे प्रान्त में ११० ताल्लुक हैं जिनमें से ३५ ताल्लुक पहले आदिवासी क्षेत्र घोषित किये गये थे और अब इस बिल के अनुसार १५ ताल्लुक और आदिवासी क्षेत्र में मिलाये जा रहे हैं अभी ६० तहसील आदिवासी क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। उस क्षेत्र में मैदानी इलाके भी शामिल हैं लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि आदिवासी आपको मैदानी गांवों में नहीं मिलेंगे, वे तो आपको पहाड़ों और जंगलों में मिलेंगे। हर ताल्लुकें में पहाड़ी और जंगली भाग हैं, उनमें अधिक तर हैं। जो १०००, २,००० या ५०० आदिवासी शहरों में होंगे भी, तो वे मजदूरी करते होंगे और उनके पास कोई ज़मीन नहीं होगी। भारत के अन्य प्रान्तों में बसने वाले आदिवासी भाइयों को तो पूरे प्रान्त में मान लिया गया है और मैं पूछता हूं कि जब बम्बई शहर म रहने वाले हमारे भाइयों को वहां की सरकार आदिवासी मानती है तो क्या कारण है कि मध्य-प्रदेश जो कि सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त है और जो कि एक जंगली और पहाड़ी इलाका है, वहां नागपुर में बसने वाले दूसरे आदिवासी भाइयों को आदिवासी न माना जाय? सिर्फ मध्य प्रदेश और मध्य भारत के आदिवासियों ने क्या पाप किया है। यह क्या उनके साथ न्याय करना है? मैं तो समझता हूं कि यह उनके साथ अन्याय हो रहा है और मैं नहीं समझता कि पंत जी के मौजूद रहते इस तरह का अन्याय अब और अधिक समय तक बने रहने दिया जायगा और अगर हमारे आदिवासियों के साथ इस तरह का अन्याय बना रहा तो मैं यह कहने पर मजबूर हो जाऊंगा कि यहां कोई न्याय नहीं है बल्कि अन्याय है। लेकिन मेरी आत्मा अंदर से बोलती है कि पंत जी के मौजूद रहते ऐसा अन्याय और अधिक समय तक चलने नहीं दिया जायगा और हमारे भाइयों के साथ न्याय होगा। कल रात जब हम कुछ लोग इस विधेयक के सम्बन्ध में पंत जी से मिले तो उन्होंने जिस तरह से हमारी बातों को सुना और हमें विश्वास दिलाया और आश्वासन दिया उससे हम लोगों को बहुत संतोष हुआ और कल रात हम लोग अपने अपने घरों पर जाकर सुख

की नींद सो सके कि चलो अब हमारे साथ आगे अन्याय नहीं हो सकेगा। यह हकीकत है कि जब से यह बिल निकला है तब से हम लोगों को तरह तरह की आशंकाएं थीं और हम लोग सुख और चैन की नींद नहीं सो पाते थे। लेकिन कल पन्त जी से मिलने के बाद हमें आशा और विश्वास हो चला है कि हमारे साथ न्याय होगा।

आज कौन नहीं जानता कि हमारी कैसी खराब हालत है और किस दुर्दशा को हमारे गरीब और पिछड़े हुए भाई प्राप्त हो रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही किस्म का एक्सप्लायटेशन नहीं चलता है बल्कि आर्थिक एक्सप्लायटेशन के साथ साथ सामाजिक, और धार्मिक एक्सप्लायटेशन (शोषण) भी होने लगा है और हम देख रहे हैं कि इस एक्सप्लायटेशन के फलस्वरूप हमारे बहुत भाई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और यह चीज ऐसी है जो कि हमारे लिये गंभीर चिंता का विषय होना चाहिये। आज भी अगर हम न चेते और हम ने उनकी सामाजिक अवस्था में सुधार न किया और उनको एक्सप्लाएट करना बंद नहीं किया तो आज तक हमारे यह भाई जो कि हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति को अपनाये रखे हैं, परिस्थितियों से बाध्य होकर अपना धर्म छोड़ कर ईसाई धर्म में चले जाने वाले हैं और ऐसा न होने देने के लिये आपको फौरन उनको गले लगाना है और उनके साथ हर प्रकार से न्याय करना है। बस मैं और अधिक न कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस चर्चा के लिये २।। घंटे नियत किये गये थे जिसमें से २ घंटे २० मिनट व्यतीत हो चुके हैं। माननीय मंत्री से मैं सोमवार को उत्तर देने के लिये कहूंगा। इस विधेयक के लिये नियत छः घंटों में से लगभग ३।। घंटे शेष रह गये हैं। बहुत से सदस्यों ने संशोधनों की पूर्व सूचना भी दी है। अब उन सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिलेगा जिन्हें खण्डवार चर्चा में बोलने का अवसर नहीं मिला था। अतः यह कार्य सोमवार तक स्थगित रहेगा।

जिन माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर न मिला हो वे अपने नाम एक कागज पर लिख कर दे सकते हैं। मैं उनकी सूची बना लूंगा।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : हम पहले ही अपने नाम की चिटें भेज चुके हैं।

†**एक माननीय सदस्य** : आप तो अनुसूचित जाति के नहीं हैं।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : मैं पांच का प्रतिनिधित्व करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। हम अब अगले विधेयक को लेंगे।

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : श्रीमान्, श्री विश्वास की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह बहुत छोटा किन्तु एक दृष्टि से महत्वपूर्ण विधेयक है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमने नागरिकता विधेयक पारित किया है, जो इस सभा द्वारा तथा तदुपरान्त राज्य-सभा द्वारा २७ दिसम्बर, १९५५ को पारित किया गया था। उसके पश्चात् यह अधिनियम बन गया और ३० दिसम्बर, १९५५ से लागू हो गया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस नागरिकता अधिनियम में कुछ ऐसे नियम हैं जो उन लोगों के पंजीयन के लिये बनाये जा रहे हैं जो बाहर से और विशेषकर पाकिस्तान से भारत में नागरिक की हैसियत से आये हैं।

ये नियम बनाये गये थे और ७ जुलाई, १९५६ को अधिसूचित किये गये थे। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि नागरिकता विधेयक पर विचार करते समय, सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

गया था कि जो विस्थापित व्यक्ति भारत आयेंगे और यहां बसेंगे उन्हें आगामी चुनावों में मताधिकार दिया जायेगा। यह विधान उसी आश्वासन को पूरा करने के लिये रखा गया है। मैं संक्षेप में यह बताऊंगा कि इस विधेयक के खण्डों के निर्देश में इस प्रकार के विधान का होना क्यों आवश्यक है।

जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० के अधीन, किसी व्यक्ति के भारत के नागरिक होने पर तथा १ मार्च, १९५६ तक उस क्षेत्र का सामान्य निवासी होने पर उसका नाम सूची में दर्ज कर लिया जाता हैं। अतः इन सूचियों को तैयार करने में सबसे प्रमुख शर्त यह रहती है कि उस व्यक्ति को उस समय नागरिक अवश्य होना चाहिये। जब कि १ मार्च, १९५६ को वह भारत का सामान्य नागरिक होने का हकदार हो जाता है। विस्थापित व्यक्तियों का पंजीयन नागरिकता अधिनियम की धारा ५(१) के अधीन किया जा रहा है। हम आगामी चुनाव करने की तैयारियां करने जा रहे हैं, अतः यह आवश्यक समझा गया कि इस वर्ष के अन्त तक हम कुछ ऐसा उपबन्ध कर लें जिससे ऐसे सारे लोगों का नाम मतदाताओं की सूची में दर्ज हो सके।

अतः जिन लोगों का पंजीयन १ नवम्बर, १९५६ से पूर्व भारत के नागरिक के रूप में हो जायेगा, इस बात की व्यवस्था की गई है कि नागरिक के रूप में इस प्रकार २१ वर्ष से अधिक आयु वाले जितने लोगों का पंजीयन किया जाये पंजीयन करने वाले प्राधिकारों को चाहिये कि इसकी सूचना वे मतदाता पंजीयन पदाधिकारियों को दे दें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इतना हो जाने के पश्चात कुछ जांच करने के बाद मतदाता पंजीयन पदाधिकारी उनके नाम मतदाताओं की सूची में दर्ज कर लेगा। इसी दृष्टिकोण से यह विधेयक जन प्रतिनिधान अधिनियम में संशोधन करने के लिये रखा गया है।

माननीय सदस्य देखेंगे कि विधेयक के उपबन्ध बड़े साधारण हैं। खण्ड २ निम्न प्रकार से है :

"धारा १६, १७ और १८ के उपबन्धों के अधीन,

ये उपबन्ध मतदाता के रूप में दर्ज किये जाने वाले लोगों की अर्हता * और अनर्हता** के बारे में हैं--

"प्रत्येक व्यक्ति जिसका नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा ५ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) के अधीन १ नवम्बर, १९५६ से पूर्व भारत के नागरिक की हैसियत से पंजीयन किया जा चुका है, किसी चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होने का हकदार होगा, यदि वह व्यक्ति १ मार्च, १९५६ को २१ मार्च वर्ष से कम आयु का नहीं था और साधारणतः उक्त निर्वाचन क्षेत्र का निवासी था।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हम पहले जो अधिनियम पारित कर चुके हैं उसमें हमने १ मार्च, १९५६ की तिथि निश्चित की है। समानता की दृष्टि से हमने यहां भी उसी तिथि का उल्लेख किया है। वह व्यक्ति उस तिथि अर्थात् १ मार्च, १९५६ को साधारणतः उस निर्वाचन क्षेत्र विशेष का निवासी होना चाहिये जिससे उसका नाम सूची में दर्ज किया जा सके।

खण्ड २ और आगे निम्न प्रकार से है :

"उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन साधारणतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी का भारत के नागरिक के रूप में पंजीयन करने वाला प्रत्येक अधिकारी, ३१ अक्तूबर, १९५६ के पश्चात यथाशीघ्र किन्तु ३१ दिसम्बर, १९५६ के बाद नहीं, उस निर्वाचन

---

*Qualification.

**Disqualification.

क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी के पास १ मार्च, १९५६ तक इस प्रकार पंजीबद्ध किये गये लोगों की निर्धारित फार्म पर एक सूची भेजेगा जिनकी अवस्था २१ वर्ष से कम नहीं थी ।"

पुन: धारा २४ (३) का खण्ड २ से निम्न प्रकार का संशोधन करने का विचार है :

"(३) उप-धारा (२) के अधीन सूची प्राप्त होने पर निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी निर्धारित किये जाने वाले तरीके से सूची की शुद्धता की जांच करके उन सारे लोगों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने का निर्देश देगा, जो उसकी राय में, उप-धारा (१) के अधीन निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होने के हकदार हैं ।"

अत: माननीय सदस्य देखेंगे कि यह बड़े साधारण प्रकार का विधान है जो कुछ विस्थापित व्यक्तियों को सूची में अपने नाम दर्ज करवाने के प्रयोजन से रखा गया है ।

मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक को स्वीकार करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक जो सभा में पुर:स्थापित किया गया है, स्वागत किये जाने योग्य विधान है । नागरिकता विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के समय हमारे दल ने ही सर्वप्रथम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पंजीयन का प्रश्न उठाया था। मैंने बताया था कि बारीसाल में बहुत बड़ा दंगा हुआ था । जिसके परिणाम-स्वरूप, तथा पाकिस्तान और हमारे देश के सम्बन्ध खराब हो जाने से, हमारे यहां शरणार्थियों का तांता लग गया । पिछले वर्ष पश्चिमी बंगाल से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी आये थे ।

मैंने उस समय यह प्रश्न उठाया था कि ये लोग वास्तव में भारत के नागरिक हैं और उनका मतदाता सूचि में पंजीयन किया जाये । हम लोगों ने सरकार से यह भी निवेदन किया था कि ऐसे लोगों को बिना किसी कठिनाई अथवा विलम्ब के नागरिकता के अधिकार मिल जाने चाहियें । हमारे अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचि ३१ अगस्त को बन कर तैयार हो गयी है । इस संशोधनकारी विधेयक के द्वारा हम यह तिथि ३१ दिसम्बर, १९५६ रखना चाहते हैं । जिससे उन सारे लोगों के नाम इस में दर्ज हो सकें जो मार्च १९५६ में भारत के नागरिक बन चुके थे ।

• इसमें एक कठिनाई है कि इन लोगों को मत देने के पूरे अधिकार शायद दूसरी बार में दिये जा सकेंगे । कुछ पंजीयन कार्यालयों की स्थापना तथा निदेश देनें के बारे में विशेष प्रयत्न किये जाने चाहियें जिससे वे यह जान सकें कि उन्हें अपना पंजीयन किस प्रकार कराना है क्योंकि उनमें से बहुत अपढ़ लोग भी हैं जो पूर्वी पाकिस्तान में खेती किया करते थे । बहुत से लोग राज्य विहीन ही हो जायेंगे क्योंकि वे यह नहीं जानते कि नागरिकता प्राप्त करने के लिये किस प्रकार आवेदन किया जाता है ।

पंजीयंन प्राधिकारी सम्भवत: कलक्टर है । जिसके पास तक पहुंच पाना गांव वालों के लिये असम्भव सा है । अत: कुछ उप निर्वाचन कार्यालय खोले जा सकते हैं जिससे उन्हें अपना पंजीयन कराने में असुविधा न हो । कलक्टर के पास तक पहुंचने उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां है जिन्हें हल कर पाना उनके लिये वश के बाहर की बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

इस विधेयक की यह सबसे बड़ी कमी है जिसे दूर करना बड़ा आवश्यक है । अन्यथा हजारों लाखों की संख्या में शरणार्थी यों ही रह जायेंगे और उनका पंजीयन तक नहीं हो सकेगा। अतः उप कार्यालयों की स्थापना यथाशीघ्र की जानी चाहिये क्योंकि समय बहुत कम रह गया है । उन्हें ३१ अक्तूबर, १९५६ से पूर्व ही अपना पंजीयन करा लेना चाहिये ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि विधेयक के खंड २ में इस उपबन्ध की क्या आवश्यकता थी कि सूचि की शुद्धता की जांच कर लेने के बाद पश्चात मतदाता सूचि में नाम दर्ज करनें का निदेश निर्वाचक पंजीयक पदाधिकारी देगा । एक बार सारी औपचारिकतायें पूरी हो जानें के पश्चात फिर उसमें जांच करनें की क्या आवश्यकता रह जाती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इस प्रकार की शर्त रखनें का तात्पर्य तो विलम्ब करना है और उनको परेशान करना है । अतः यह शर्त हटा दी जानी चाहिये ।

सूचि में नाम दर्ज करने में निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी का स्वविवेक नहीं माना जाना चाहिये उसके लिये तो हमारे पास नागरिकता अधिनियम मौजूद है । इससे कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, अतः यह उपबन्ध समाप्त कर दिया जाना चाहिये । एक बार भारत के नागरिक के रूप में किसी का नाम पंजीबद्ध हो जानें के बाद उसका नाम मतदाता सूचि में स्वतः ही रखा जाना चाहिये ।

आज शरणार्थियों की परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह उनके पंजीयन की उचित व्यवस्था करे । अतः मैं चाहूंगी कि अधिकाधिक लोगों का शीघ्रातिशीघ्र पंजीयन किया जाना चाहिये जिससे आगामी आम चुनावों में उन्हें मत देने का अधिकार मिल सके ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : आगामी चुनावों के लिये मतदाता सूचि तैयार करने का काम इसी सत्र में हो जाना चाहिये । यदि यह कार्य इस सत्र में न हो सका तो फिर यह मामला खटाई में पड़ जायेगा । इस कारण मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ, १—

पंक्ति २६ के पश्चात यह जोड़िये :—

"(४) भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसका पंजीयन १९५४ में किसी निर्वाचन क्षेत्र मतदाता की सूचि में किया जा चुका था किन्तु जो इस समय गोआ अथवा भारत की पुर्तगाली बस्तियों में निराद्ध अथवा बन्दी है, उस निर्वाचन-क्षेत्र की चालू मतदाता सूचि में पंजीबद्ध होने का हकदार होगा ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सम्भवतः पुर्णरूपेण नियम संगत नहीं होगा ।

†**श्री कामत** : भले ही यह विधेयक के क्षेत्र में न आता हो किन्तु इस पर उचित विचार करने की आवश्यकता है ।

मैं चाहूंगा कि सरकार इस संशोधन की भावना को रखे और आज ही सभा में अपना निर्णय घोषित कर दे । यदि आवश्यक हो तो और भी संशोधन रखे जा सकते हैं । मैं चाहूंगा कि सत्र समाप्त होनें से कई दिन पहले ही विधेयक के उपबन्ध सभा के सम्मुख रखे जायें ।

इस संशोधन के महत्व के बारे में मैं कुछ कहनें की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि हमारे सहयोगी तथा कुछ अन्य लोग अभी भी गोआ में बन्दी हैं । कोई नहीं कह सकता कि यह मामला कब तक तय होगा और उन लोगों को कब तक जेल में रहना पड़ेगा । अतः आम चुनाव की मतदाता सूचि तैयार करनें में इन साथियों को भुलाया नहीं जा सकता है । विरोधी दल के सुझावों में से यह एक

---

†मूल अंग्रेजी में

महत्वपूर्ण सुझाव है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि उनके नाम स्वतः ही उनके निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में रख दिये जायें जिससे उनको यथासमय नाम-निर्वाचन पत्र प्राप्त हो सकें। मैं सभा से तथा मंत्री जी से इस संशोधन को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पूर्वी पाकिस्तान से अभी तक शरणार्थियों का आना जारी है। मुझे हर्ष है कि जो लोग यहां आ गये हैं सरकार उन सभी को मताधिकार दे रही है। मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के इस सुझाव से सहमत हूं कि सरल प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। अतः जिन लोगों का पंजीयन हो चुका है उनका नाम स्वतः ही मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाना चाहिये। उन लोगों को सारी सुविधायें दी जानी चाहिये तथा मार्ग की रुकावटें दूर की जानी चाहियें।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके द्वारा अनेकों विस्थापित व्यक्तियों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। पिछले सामान्य चुनावों में हमारे अनेकों विस्थापित भाई मत देने से वंचित रह गये थे क्योंकि एक विशेष विधि से वे भारत के नागरिक नहीं समझे गये थे। अब इस विधेयक द्वारा इस प्रकार की अड़चन दूर हो जायेगी ।

अब भारत में पंजीबद्ध होने वाले प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति का नाम स्वतः निर्वाचन नामावली में सम्मिलित कर लिया जायेगा। जन तंत्र की दृष्टि से यह बड़ा आवश्यक है कि भारत में आने वाले प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को मत देनें का अधिकार हो

किन्तु हमने अब भी उनके नामों को निर्वाचन नामावली में दर्ज करने से पहले पंजीयन की शर्त लगा रखी है। अगर हम नागरिकता विधेयक की इस शर्त का कठोरता से पालन करेंगे तो अब भी हजारों व्यक्ति जो प्रतिमास भारत में आ रहे हैं वे आगामी चुनावों में मत नहीं दे सकेगें।

हमें यदि यह शर्त रखनी ही है, तो पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। इस समय एक व्यक्ति को आपनें आप को पंजीबद्ध करवाने के लिये सपरिवार कलक्टर के पास जाना पड़ता है। किन्तु भारत के लोग अभी न तो इतने सजग ही हैं कि वे इस कार्य के लिये कलक्टर तक जाना आवश्यक समझें, और न ही वे इतने सम्पन्न हैं कि वे उस प्रकार का मुफ्त का व्यय मोल लें सकें। फिर कई लोग तो इतने दूर दराज के गांवों में रहते हैं कि उनको पंजीयन अधिकारियों तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है। उनको इस कार्य के लिये अनेक दिनों तक भटकना पड़ेगा । अतः मेरा यह निवेदन है कि आप इस प्रक्रिया को बहुत सरल बनाने का प्रयत्न करें । लोगों को उनके निवास स्थान पर ही पंजीबद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिये । उनके लिये कलक्टर अथवा कोई अन्य अधिकारी स्वयं दौरा करके पहुंच सकता है । अभी अनेकों विस्थापित व्यक्ति कैम्पों में हैं । उनको वहीं पर पंजीबद्ध कर लेना चाहिये । इस प्रकार कुछ अन्य व्यक्ति कुछ विशेष बस्तियों में बसे हुए हैं । उनको भी वहीं पर पंजीबद्ध कर लेना चाहिये ।

इसके पश्चात् इस विधेयक में एक और बात कही गयी है । पंजीयन अधिकारी से मिलने वाली सूचियों को निर्वाचन अधिकारी अपने आप ही निर्वाचक नामावली में नहीं दर्ज कर लेगा । इससे पहले वह इनके सही होने की पडताल करेगा मेरी समझ में नहीं आता है कि लाखों व्यक्तियों की इस सूची की वह कैसे पड़ताल करेगा। फिर उसमें इतना समय लग जायेगा कि यह सामान्य निर्वाचन भी बीत जायेंगे । इस कठिनाई को दूर करने के लिये ही मैं ने संशोधन संख्या २ प्रस्तुत किया है । मेरे विचार में निर्वाचक अधिकारी को सब सूचियों की पड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे सब सूचियां भी सरकारी एवं जिम्मेवार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

अधिकारी द्वारा ही भेजी जायेंगी। उसे केवल यही देखना चाहिये कि पंजीबद्ध व्यक्ति जन प्रतिनिधान अधिनियम की धारा १६ से १८ के अन्तर्गत मत देने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। और यह कार्य भी उसे उन्हीं अवस्थाओं में करना चाहिये जिनके मामले में कि कोई खास शिकायत हो। यदि आप ऐसा नहीं करगे तो इस बार फिर लाखों विस्थापित व्यक्तियों को अपने मतदान के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा।

अन्त में मैं एक और निवेदन करूंगा कि अगर भूल से किसी विस्थापित व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में न दर्ज हुआ हो तो उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के नियम २६ के अनुसार अपना नाम दर्ज कराने के लिये आवेदन शुल्क देने के लिये न कहा जाये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक से भारतीय नागरिकता का क्षेत्र बढ़ जायेगा। हजारों लोग जो अब पूर्वी बंगाल अथवा पश्चिमी पाकिस्तान से बिना किसी कसूर के खदेड़े जा रहे हैं वे अब आसानी से भारत के सामान्य निर्वाचनों में मत दे सकेंगे।

मेरे मित्रों ने जो इस विधेयक की जो आलोचना की है वह अधिकतर संदेहों अथवा अनास्था के कारण ही की है। मैं समझता हूं इस विधेयक से विस्थापितों के पंजीयन में किसी प्रकार की बाधा नहीं उपस्थित होगी और वे किसी भी प्रकार मत देने से वंचित नहीं रहेंगे।

आखिर हमें भारत में आने वाले लोगों का कुछ न कुछ रिकार्ड तो रखना ही होगा। उसके लिये यह पंजीयन की प्रक्रिया निकाली गई है। हम संसार का कोई भी कार्य किसी न किसी प्रक्रिया का आश्रय लिये बिना नहीं कर सकते हैं। हां, यदि इस प्रक्रिया से हमारे उद्देश्य में किसी प्रकार की बाधा पहुंचती हो तो हम उसको सुधार सकते हैं। मैं अपने विरोधी मित्रों की इस बात से सर्वथा सहमत हूं कि यह पंजीयन कैम्पों में तथा विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों आदि में ही स्थानीय आधार पर किया जाये। हमें यथा सम्भव लोगों के घरों के समीपतम स्थानों पर ही उनके पंजीयन का प्रबन्ध करना चाहिये।

श्री कामत ने एक बड़ी आवश्यक बात कही है। उन्होंने हमें गोआ जेल में बंदी हमारे देश-भक्त साथी श्री टी० के० चौधरी की याद दिलाई है। वह देश का साहसी सेनानी आज स्वतन्त्रता के पश्चात् भी गोआ की जेल में बन्द है, वहां के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिये, हमें उसका नाम भी अवश्य निर्वाचन नामावली में रखना चाहिये। हमें साथ ही इस प्रकार के अन्य सभी व्यक्तियों का भी ध्यान रखना चाहिये। उनके लिये देश में निवास की शर्त आदि में छूट दे देनी चाहिये। मैं श्री कामत की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : मैंने श्री कामत के साथ मिल कर एक संशोधन प्रस्तुत किया था। उसका प्रो० शर्मा ने भी समर्थन किया है। अतः अब हमारी संसद् को गोआ विमोचन सेना के सैनिकों के मतदान के अधिकार का ध्यान रखना पहला कर्तव्य हो जाता है। अगर हमें उन लोगों के मतदान के अधिकार को बहाल रखने के लिये अपने नियमों में संशोधन भी करना पड़े तो उसके लिये सदा तत्पर रहना चाहिये। मैं समझता हूं इस बात के लिये उस सभा के सभी दल एकमत हैं। अतः अब मंत्री महोदय को शीघ्र ही एतदर्थ कोई संशोधन ला कर इस सभा की भावनाओं को कृतकार्य बनाने का यत्न करना चाहिये।

इसके बाद एक और विचारणीय बात है। हमारे नागरिकता नियमों में यह कहा गया है कि जब तक कोई विस्थापित व्यक्ति भारत में एक वर्ष तक नहीं रह लेता, तब तक उसका भारत के नागरिक के रूप में पंजीयन नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में १९५६ के प्रारम्भ से अनेकों विस्थापित व्यक्ति आ चुके हैं, अब इस नियम के अनुसार आगामी आम चुनावों में क्योंकि

---

†मूल अंग्रजी में

उन्हे यहां आये एक वर्ष पूरा नहीं हुआ होगा अतः वे मतदान नहीं दे सकेंगे। मेरा निवेदन है कि हमें इस एक वर्ष की अवधि पर अधिक बल नहीं देना चाहिये। अगर पंजीयन अधिकारी को उनको यहां रहने की निष्ठा का विश्वास हो जाये तो उसी को पर्याप्त मान कर उनका नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज कर लेना चाहिये। मुझे आशा है मंत्री महोदय इस सुझाव पर भी विचार करेंगे।

मैं अपने पूर्व वक्ताओं के पंजीयन को सरल तथा सुगम बनाने के सुझावों का पूर्ण समर्थन करता हूं। उनसे पंजीयन आदि की कोई फीस भी नहीं ली जानी चाहिये। क्योंकि मूलतः वे भारत के ही निवासी हैं। अंत में मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन सभी बातों का ध्यान रखकर इस संशोधन से विधेयक को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा-पूर्व) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अगले आम चुनावों से पहले पहले सभी विस्थापित व्यक्तियों का पंजीयन कर लिया जायेगा तथा उनका नाम मतदाता सूचियों में दर्ज कर लिया जायेगा।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे इस बात को देखकर बड़ा हर्ष हुआ है कि इस सभा के सभी लोगों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। इसके लिये कुछ सुझाव भी दिये गये हैं। मैं उनकी भावना से पूर्णतः सहमत हूं किन्तु यदि वे सुझाव किसी गलतफहमी के कारण दिये गये हों तो मैं उसको दूर करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता हूं।

इस खंड विशेष में तीन बातों का उपबन्ध किया गया है। उपखंड (१) एक में ऐसे सभी व्यक्तियों को मतदाता सूची में नाम लिखाने का अधिकार दिया गया है जो कि भारत के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध हो चुके होंगे। अगले उपखंड में हमने इसके लिये नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का यत्न किया है। हमें इन सब लोगों की कठिनाइयों का भलीभांति ज्ञान है। हम जानते हैं कि इनमें से अधिकांश लोग निर्धन तथा अपढ़ हैं और वे इस समय मुसीबतजदा लोग हैं। इसलिये हमने यह उपबन्ध किया है कि जो भी अधिकारी उनका पंजीयन करे वह उनके नामों आदि की एक सूची निर्वाचक अधिकारी के पास भी भेज दे और वह निर्वाचक अधिकारी उनके नामों को स्वतः ही मतदाताओं की सूची में दर्ज कर ले। इस प्रकार हम इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि लोगों को मतदाता सूची में नाम लिखाने के लिये स्वयं प्रार्थना पत्र देने चाहियें। मेरे विचार में हमने जो उक्त प्रक्रिया अपनायी है इस स्थिति में वही एकमात्र सबसे अच्छी और सम्भव प्रक्रिया हो सकती है। इससे सभी लोगो को बड़ी सहूलियत हो जायेगी।

तीसरी बात जो हमने इस खंड में कही है वह यह है कि निर्वाचक पंजीयन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह पंजीयन अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचियों के सही होने का पड़ताल करने के पश्चात् और इस बात का विश्वास हो जाने के पश्चात् कि कोई व्यक्ति उपखंड (१) के अन्तर्गत उस क्षेत्र से मत देने का अधिकार रखता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करे। कई सदस्यों ने इस उपखंड की आलोचना की है। वास्तव में निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ही मतदाताओं का नाम दर्ज करने के लिये उत्तरदायी होता है। अतः उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेजी गई सूची के सही होने की पड़ताल का अधिकार होना ही चाहिये ताकि किसी प्रकार की गलती अथवा धोखा धड़ी न हो सके। मैं नहीं समझता कि आप इसे बुरा कहेंगे। क्योंकि आखिरकार वही व्यक्ति निर्वाचक नामावलियां बनाने का उत्तरदायी होता है। तब हमने व्यवस्था की है कि :

"उन समस्त लोगों के—जो उप सूची में है—नामों को, जो कि उनके मतानुसार उप-धारा (१) के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में लिये जाने के अधिकारी हैं, निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित किये जाने का आदेश दें।"

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री पाटस्कर]

नामावली में लोगों के नाम दर्ज करने सम्बन्धित सभी मामले औपचारिक ही हैं। भारतीय नागरिकों के मामले में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी पंजीयन का कार्य करता है और निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करता है। यही व्यवस्था यहां भी की गयी है, क्योंकि अन्तिम रूप से नामावली के शुद्ध होने का दायित्व उसी पर ही है। केवल यही बात यहां की गई है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई विचार नहीं कि पहले से ही परेशान व्यक्तियों को और अधिक परेशान किया जाये और उनके नामों के निर्वाचक नामावली में दरज किये जाने के मार्ग में कठिनाइयां पैदा की जायें।

मुझे आशा है कि इस स्पष्टीकरण से उन माननीय सदस्यों की भी सन्तुष्टि हो गयी होगी जिन्होंने संशोधनों की सूचना दे रखी है। इन मामलों में सरकार जो कुछ भी कर सकती थी वह कर दिया गया है ताकि इन लोगों का नाम सरलता से नामावलियों में दरज हो जाये।

विशेषकर, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान धारा २४ की उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जिसमें हमने यह विशेष व्यवस्था की है कि उनके नागरिकों के रूप में पंजीबद्ध किये जाने के तुरन्त बाद ही उन्हें पंजीबद्ध करने वाला प्राधिकारी ऐसे सभी लोगों की सूची निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को भेज देगा। हमने व्यवस्था की ह कि "किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास करने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त खंड (क) के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीबद्ध करने वाला प्रत्येक प्राधिकारी..... इस प्रकार पंजीबद्ध किये गये सभी व्यक्तियों की सूची एक निर्धारित प्रपत्र में उस क्षेत्र के लिये नियुक्त निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को साधारणतः तुरन्त ही भेज देगा।" मेरा विचार है कि इससे सदन के सभी वर्गों को सन्तोष हो जाना चाहिये।

मेरे माननीय मित्रों, श्री कामत और श्री क० कु० बसु के संशोधन के संबंध में, मेरा निवेदन है कि यद्यपि वह विधेयक की परिधि में नहीं आता तथापि मैं उसकी भावना से सहमत हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरा व्यक्तिगत मत यह ह कि हाल ही में अधिनियम में संशोधन करने से जो व्यवस्था की गई है वह काफी है, और इससे इन लोगों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किये जा सकेंगे।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान धारा १९ और २० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धारा १९ में कहा गया है कि :

"पंजीयन की शर्तें हम भाग के पूर्वगामी उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुए, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि विशेषक विधि को २१ वर्ष से कम आयु का न हो और साधारणतः उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो...."

पहले अधिनियम में उस निर्वाचन क्षेत्र में निवास करन की कुछ अवधि विशेष का उपबन्ध था पर उसे हटा दिया गया है—

"उसे उस क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम पंजीबद्ध कराने का अधिकार होगा।"

उस मामले में यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि किंन स्थितियों में उस व्यक्ति को उस क्षेत्र का साधारण निवासी माना जा सकता है। उसके लिये खंड २० है जिसमें 'साधारण निवासी' की परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है :

"साधारणतः निवासी का अर्थ अत्रपंश्चात् किये गये उपबन्ध के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र का साधारणतः निवासी तभी समझा जायेगा, यदि वह वहां साधारणतः रहता हो अथवा उस क्षेत्र में उसका कोई अपना मकान हो या वहां उसके कब्जे में कोई निवास स्थान हो।"

मेरे विचार में इनमें से अधिकांश व्यक्ति भारत में किसी न किसी स्थान पर या तो मकानों के मालिक होंगे अथवा किरायेदार के रूप में रहते होंगे। वह कहीं न कहीं रहते अवश्य होंगे। इसीलिए हमने यहां इस प्रकार की व्यवस्था की है।

मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (२) में यह व्यवस्था है कि :

"ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी संस्था में रोगी के रूप में रहता हो, जो मुख्यतया अथवा पूर्ण रूप से मानसिक रोगों अथवा मानसिक विकारों का इलाज करता हो, अथवा वह किसी ऐसे स्थान पर जेल में नजरबन्द हो अथवा किसी अन्य प्रकार की वैधानिक अभिरक्षा में हो तो उसे इसी कारण से उस स्थान का साधारण निवासी नहीं माना जायेगा।"

†**श्री कामत** : गोआ तो भारत से बाहर है।

†**श्री पाटस्कर** : माननीय सदस्य जरा शांति रखे, इसमें कोई मतभेद नहीं है।

अब प्रश्न उठाया जा सकता है और यह तर्क किया जा सकता है कि उन्हें अब गोआ के किसी स्थान का साधारण निवासी माना जाता है। इसी प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए ही, इस संशोधन विधेयक पर चर्चा के समय हमने अधिनियम में धारा २० की उपधारा (२) को सम्मिलित किया था। इस में यह उपबन्ध है कि जो व्यक्ति किसी जेल में बंदी है अथवा किसी वैधानिक अभिरक्षा में निरुद्ध है उसे उस क्षेत्र का साधारण निवासी नहीं समझा जायगा। उस समय हमें गोआ का तो विचार भी नहीं था। परन्तु इस प्रकार के मामलों का हमने विचार कर लिया था। उदाहरणाथ, मान लीजिये कि एक व्यक्ति कलकत्ता निवासी है और वह दुर्व्यवहार करता है और उसे साबरमती अथवा और किसी स्थान पर जेल में बन्द कर दिया जाता है। तो केवल इसी आधार पर वह यह नहीं कह सकता है कि वह साबरमती अथवा और किसी स्थान का साधारण निवासी था, और इसलिए उसका मत देने का अधिकार समाप्त हो जाता है ऐसी बातों के बचाव के लिये ही हमने यह उपबन्ध रखा था। मेरे विचार से यह उपबन्ध गोआ के कारावास में पड़े व्यक्तियों की समस्या को भी हल कर देता है। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी कि वह वहां जेल में बन्द है। परन्तु फिर भी यदि कोई कठिनाई हुई, तो मैं अवश्य इस मामले पर ध्यान दूंगा और देखूंगा कि इस पवित्र कार्य के लिये अपनी स्वतन्त्रता का बलिदान देने वालों को कोई हानि न पहुंचे और केवल गोआ में निरुद्ध होने के कारण ही वे मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाये।

एक कदम आगें यह भी कहा जा सकता है कि सरकार अथवा सम्बद्ध प्राधिकारी के लिये ऐसे व्यक्तियों का नाम जान सकना संभव नहीं हो सकता है। इसके लिये, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनका नाम गलती से अथवा अज्ञान से सूची में सम्मिलित नहीं किया गया, तो मुझे इसकी सूचना दी जानी चाहिये, और मैं उनके नामों को चुनाव आयुक्त के पास भेजूंगा, क्योंकि इन मामलों का अन्तिम प्रभारी तो वही है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं संशोधन की भावना और उसके आधारभूत उद्देश्य से पूर्णतः सहमत हूं।

परन्तु इस समय मेरा विचार यह है कि वर्तमान व्यवस्था ऐसे लोगों के नामों के पंजीबद्ध किये जाने के लिए काफी होगी, यद्यपि वे इस समय गोआ में कैद हैं। केवल इसी कारण से उनको अपने नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इस कारण मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। साथ ही, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह संशोधन इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : स्पष्टीकरण के हेतु, यदि इन लोगों के नाम नामावली में न हों, तो क्या उनकी ओर से किसी दूसरे को समुचित प्राधिकार के समक्ष उनके नामों को सूची में सम्मिलित किये जाने का दावा करने की अनुमति होगी ?

†**श्री पाटस्कर** : मेरे विचार से ऐसे नाम बहुत थोड़े ही होंगे। इस लिये चाहे नियम कुछ भी क्यों न हो, मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे ध्यान में यह बात लाये कि इनमें से किसी के नाम छूट गये हैं तो मैं यह देखने का पूरा प्रयत्न करूंगा कि ऐसे व्यक्ति केवल एक पवित्र कार्य के लिये गोआ में कैद होने के कारण अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे। क्या कोई माननीय सदस्य कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

†**श्री कामत** : मंत्री महोदय के आश्वासन के कारण मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सूची की शुद्धता के लिये किस प्रकार की जांच करने का विचार है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इस बात का उत्तर पहले ही दे दिया है।

†**श्री पाटस्कर** : मैं बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में प्रक्रिया बहुत सरल होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्योंकि कोई संशोधन नहीं है इसलिए मैं सभी खंडों, अधिनियमन सूत्र और विधेयक को नाम को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

इकसठवां प्रतिवेदन

†**श्री अल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकसठवें प्रतिवेदन से, जो ४ सितम्बर १९५६ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है"

यह रिपोर्ट दो संविधान संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में है। एक श्री रघुनाथ सिंह का अनुच्छेद १०७ के संशोधन के सम्बन्ध में है। उसके सम्बन्ध में कोई अधिक मतभेद नहीं है। इसका उद्देश्य इस अनुच्छेद को लोक-सभा के प्रक्रिया नियम संख्या ३१९ के उपबन्ध के समान बना कर इस कमी को दूर करना है। इसे करना या न करना सदन का काम है।

दूसरा श्री क० कु० बसु का संविधान (संशोधन) विधेयक है। यह राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को उल्लंघन करने वाले आदेशों, कार्यपालिका कार्य अथवा विधियों को अवैध घोषित करने का उपबन्ध करता है। वह यह भी चाहते हैं कि राजाओं की निजी थैलियों पर भी आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाया जाय। तीसरे इनकी इच्छा यह है कि आई० सी० एस० के अधिकारियों के वेतनों के बारे में भी कुछ परिवर्तन किये जायें।

ये सब मामले सार्वजनिक हित के हैं, इसलिए समिति की राय यह है कि इन्हें प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

तीसरा मामला बड़ा सरल है, और उसका सम्बन्ध प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक १९५६ से है। राज्य-सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है और इस सदन में इस पर चर्चा अभी होनी है। इसके लिये १॥ घंटा रखा गया है।

मैं रिपोर्ट के स्वीकार किये जाने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकसठवें प्रतिवेदन से, जो ४ सितम्बर, १९५६ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक

(धारा १, २ और ३ आदि)

†**श्री गौतम** (बाला घाट) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मजूरी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, १९३६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गज़ट भाग २, विभाग २, दिनांक ७-९-५६ में प्रकाशित।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मजूरी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, १९३६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री गौतम** : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

---

*निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक

(धारा ३, ७, ८ और १० का संशोधन)

†**श्री क० कु० बसु** (डायमन्ड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति की जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री क० कु० बसु** : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

---

*भारतीय लाइट रेलवे राष्ट्रीयकरण विधेयक

†**श्री शूलन सिंह** (सारन उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में वर्तमान लाइट रेलवेज के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि देश में वर्तमान लाइट रेलवेज के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री शूलन सिंह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४९७ का लोप)

†**श्री डाभी** (कैरा उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड विधान, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, विभाग २, दिनांक ७-९-५६ में प्रकाशित ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड विधान, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री डाभी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद ३७, २९१ और २१४ का संशोधन)

†**श्री क० कु० बसु** (डायमन्ड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री क० कु० बसु** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियमों के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियमों, १९५६ पर विचार करेगी । इन नियमों पर विचार करने के लिये दो घंटे नियत किये गये हैं ।

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैंने नियमों को पटल पर रख दिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सदस्य इन नियमों से सम्बन्धित संशोधनों को प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) द्वारा नियम संख्या ११ में संशोधन संख्या १, २, ३; **श्री क० कु० बसु** (डायमन्ड हार्बर) द्वारा नियम संख्या २ में संशोधन संख्या ४, ५, ६, ७, ८ और ९; **श्री कामत** (होशंगाबाद) द्वारा नियम संख्या १० (उपनियम २—नया) में संशोधन संख्या १०, ११, १२, १३, १४ और १५ तथा **श्री डाभी** (कैरा उत्तर) द्वारा नियम संख्या ८ में संशोधन संख्या १६, १७, १८, २४ और २५ और **श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा मध्य) द्वारा नियम संख्या २६ (उपनियम (१) और (२) में संशोधन संख्या १९ और २० सभा में प्रस्तुत किये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी प्रस्ताव और नियम सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : मेरे संशोधन नियमों ११ और २६ के सम्बन्ध में हैं । नियम ११ निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप के प्रचार के सम्बन्ध में है । हमारे देश में इस नियम को उचित रूप में बनाया जाना नितान्त प्रावश्यक है, क्योंकि मतदाताओं के नाम दर्ज करने में बड़ी कठिनाई पड़ती हैं । हमारे यहां जनसंख्या बहुत अधिक है और साथ ही लोग अशिक्षा के कारण मताधिकार का मल्य भी पूरा पूरा नहीं समझते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, विभाग २, दिनांक ७-९-१९५६ में प्रकाशित ।

[श्री साधन गुप्त]

अशिक्षा का ही दूसरा परिणाम यह है कि जनता स्वयं निर्वाचक नामावलियों में अपने नामों की जांच नही कर पाती है । इसलिये उनके नाम सम्मिलित करने की कोई व्यवस्था की जानी अत्यावश्यक है । मेरा संशोधन इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिया गया है । नियम ११ में निर्वाचक नामावलियों के प्रचार की व्यवस्था यह की गई है कि उनके अलग-अलग भागों की प्रतियां एक निश्चित स्थान पर जनता के देखने के लिये रख दी जायेंगी और निर्वाचन पंजीयन अधिकारी जिस प्रकार की उचित समझेगा उनका प्रचार करेगा । यह दोनों व्यवस्थायें अपर्याप्त हैं । इन दोनों में अपढ़ मतदाताओं को अपने नाम दर्ज करा सकने की सुविधा नहीं है । हो सकता है कि अज्ञान के कारण भी जनता उस निश्चित स्थान पर जाकर अपने नामों को न देख सके । ऐसे लोगों को मताधिकार नहीं मिल सकेगा । इसलिये, हमें उनके लिय कोई व्यवस्था करनी चाहिये ।

इसका सर्वोत्तम उपाय क्या है ? यह कार्य सरकार की नौकरशाही व्यवस्था पर नहीं छोड़ा जा सकता है । गिननेवाले अच्छे भी हो सकते हैं, और बुरे भी । वे एक औपचारिक रीति से भी अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं और कहीं कहीं उनके लिये समूचे क्षेत्र में जाना असम्भव भी हो सकता है । इसलिये, इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि उन संगठनों को, जो अपनी ओर से जनता के दावों को प्रस्तुत करते हैं कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता दी जाये ।

इसलिये , मैं अपने संशोधन संख्या १ में यह सुझाव रखा है कि निर्वाचक नामावलियों के प्रत्येक अलग अलग भागों को दो-दो प्रतियां प्रत्येक उस राजनीतिक दल को दे दी जायें, जिन्हें निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह दिया है । श्री बसु का यह संशोधन और भी अच्छा है कि निर्वाचन आयोग और भी जिन-जिन राजनीतिक दलों को ठीक समझे, इन प्रतियों को दे दे । उदाहरण के लिये, गांव की कुछ क्लबें भी इसमें उपयोगी सहायता कर सकती हैं । लेकिन राजनीतिक दलों को तो ये प्रतियां दी ही जानी चाहिये, जिससे कि वे उनकी जांच सकें ।

अभी निर्वाचक नामावलियां डाकखानों या पुलिस थानों में रखी जाती हैं, और संगठनों के प्रतिनिधियों को वहीं जाकर उन्हें देखना पड़ता है । वहां उनकी ठीक तरह से जांच करना असम्भव नहीं होता है । लेकिन यदि उन्हें निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां निःशुल्क दे दी जाये, तो वे संगठन स्थानीय रूप से अपने कार्यकर्त्ताओं को घर-घर भेज कर उनकी जांच कर सकते हैं । गिनती करने वालों से यह कहीं अच्छा उपाय होगा । निर्वाचकों के सही-सही पंजीयन के लिये यह अत्यावश्यक है ।

मेरे दूसरे दो संशोधन नियम २६ के उपनियमों (१) और (२) के बारे में हैं । धारा २३ के उपनियम (१) के अन्तर्गत नाम दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया जाये तो उसके साथ १० रुपये और यदि निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को दिया जाय तो एक रुपया फीस देना आवश्यक है । हमारे जैसे गरीब देश के लिये यह ठीक नहीं है । धारा २३ का उद्देश्य तो यही है कि निर्वाचक नामावलियों तैयार किये जाते समय जिनके नाम छट गये हों, उन्हे बाद में सम्मिलित किया जा सके । इस दृष्टि से धारा २३ बहुत ही महत्वपूर्ण है । लेकिन, पंजीयन की इतनी अधिक फीस के कारण उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है । कितने निर्वाचक दस रुपये दे सकते हैं ? इसीलिये मैंने इसे घटाकर दो रुपये रखा है । व्यक्तिगत तौर पर तो मेरा विचार ह कि इसके लिये कोई भी फीस नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का यह सुझाव मानने को तैयार हूं कि यह फीस घटाकर पांच रुपया कर दी जाय ।

†**श्री साधन गुप्त** : अधिसूचना जारी होने से पहले निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र के लिये एक रुपया फीस रखी गई है । यह भी अधिक है । इसे घटाकर चार आना कर दिया जाना चाहिये । अधिसूचना से पहले, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के समय

---

†मूल अंग्रेजी में

जिनके भी नाम रह गये हों, उन्हें सम्मिलित कराने के लिये चार आना फीस ही रहनी चाहिये। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने शायद इसे आठ आना रखा ह। लेकिन यह भी अधिक है और लोकतंत्र के हित मे इसे चार ही आना रखा जाना चाहिये। अधिकांश जनता के लिये एक रुपया फीस अधिक पड़ेगी।

मैं उन अन्य संशोधनों का समर्थन करता हूं जिनमें उम्मीदवारों को निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां देनें की बात कही गई है।

संसदीय निर्वाचन के उम्मीदवारों को सबसे अधिक कठिनाई इसी कारण पड़ती है कि निर्वाचक नामावलियों का मूल्य बहुत अधिक है। इसलिये, लोकतंत्र के हित में यही है कि उम्मीदवारों को निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां निःशुल्क दी जायें और उम्मीदवारों को रियायती मूल्य पर अधिक प्रतियां खरीदने की अनुमति होनी चाहिये।

†**श्री क० कु० बसु** : मैंने जन प्रतिनिधान (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियमों के इस वर्ष के संशोधित रूप में कई संशोधनों की सूचना दी है। हम अनुभव करते हैं कि यदि हम अपने देश में संसदीय लोकतंत्र को उचित रूप में चलाना चाहते हैं, तो हमें निर्वाचक नामावलियों को अधिक से अधिक शुद्ध बनाने का भरसक प्रयास करना चाहिये। हमें प्रत्येक नागरिक को मतदाता बनाने में सहायता देनी चाहिये। सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह यह देखे कि चुनाव के समय कोई भी मताधिकार से वंचित न रह जाये। मेरे संशोधनों का यही उद्देश्य है।

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियमों के नियम २ के सम्बन्ध में मैंने इस संशोधन की सूचना दी है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी की परिभाषा को संशोधित किया जाय। पहले के नियमों के अन्तर्गत तो उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होनी चाहिये थी, और वह नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी किये गये विशेष अनुदेश के अधीन की जाती थी। लेकिन, अब इस बार के नियमों में उसकी नियुक्ति की शक्ति राज्य सरकारों को ही दे दी गई है। हम जानते हैं कि राज्य निर्वाचन अधिकारी अधिकांशतः इसके लिये पूरा समय काम करने वाले अधिकारी नहीं होते हैं। उन्हें अन्य सरकारी कार्यों को भी देखना पड़ता है। वे उस राज्य विशेष की सरकार के प्रभाव में रहते हैं। हमारे देश की एक दलील सरकार की व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल राज्य का प्रशासन व्यवस्था पर काफी प्रभाव डाल सकता है। इसलिये, मेरा विचार है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के समय किसी भी दल को कोई शिकायत का अवसर नहीं मिलना चाहिये। इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिये। इसीलिये मेरे संशोधन में कहा गया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी कार्यपालिका अधिकारी नहीं होना चाहिये, क्योंकि ये सत्तारूढ़ दल के निकट सम्पर्क में रहते हैं। उन पर सत्तारूढ़ दल का प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिये, मैंने अपने संशोधन द्वारा नियम २ (ग) जोड़ा है और कहा है कि न्यायिक अधिकारी इस कार्य के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं। प्रशासकीय दृष्टि से इतने अधिक न्यायिक अधिकारियों की व्यवस्था करना बहुत कठिन है, इसलिये मैंने अर्द्ध-न्यायिक अधिकारियों को भी उसमें सम्मिलित कर लिया है। लेकिन उसे किसी भी प्रकार से कार्यपालिका अधिकारी नहीं होना चाहिये। सरकार से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित अर्द्ध-न्यायिक अधिकारियों को ही इसके नियुक्त किया जाना चाहिये।

मैंने पहले अधिनियम के उपबन्ध को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। मेरा संशोधन है कि यह नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होनी चाहिये। निर्वाचन आयुक्त दल गत प्रभाव से मुक्त एक संवैधानिक प्राधिकारी होता है। इसे पूरी तौर से सरकारी व्यवस्था के अधीन नहीं रहने देना चाहिये। आशा है सरकार इस परिभाषा को स्वीकार कर लेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० कु० बसु]

नियम ६ के अनुसार निर्वाचक नामावलियों में मतदाताओं के नाम मकान के नम्बरों के हिसाब से रखें जायेंगे, लेकिन यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निश्चित कर दे कि उनके किसी भाग को वर्णानुक्रम से रखा जाय तो उस भाग को वर्णानुक्रम से रखा जायेगा। मेरा संशोधन यह है कि नामों को मकान नम्बरों के हिसाब से ही रखना चाहिये। गत चुनाव में कुछ राज्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने यह कहा था कि कुछ मकानों पर नम्बर ही नहीं थे। लेकिन यह गलत है। बोर्ड कर, या पंचायत कर, या जनगणना के कारण भारत में प्रत्येक मकान पर कोई न कोई नम्बर तो डाला ही गया है, और प्रशासकीय दृष्टिकोण से उन के अनुसार निर्वाचक नामावलियाँ तयार करना कठिन नहीं है।

वर्णानुक्रम में कठिनाई यह होती है कि एक ही घर के विभिन्न व्यक्ति विभिन्न मतदान स्थानों से सम्बद्ध कर दिये जाते हैं और इसके कारण बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है, विशेष कर महिलाओं को। अतः बहुत से व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग ही नहीं करते। इसलिये, निर्वाचक नामावलियां मकान नम्बर के हिसाब से ही तैयार की जानी चाहियें और यदि कहीं उन्हें वर्णानुक्रम से तैयार करना आवश्यक ही हो, तो उसके लिखित कारण बताये जाने चाहियें। यह इसलिये कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अधिकतर राज्य अधिकारी भी होते हैं और वे वास्तविक तथ्य नहीं बताते हैं। इसलिये निर्वाचन आयुक्त को लिखित कारण बताये जाना आवश्यक है।

निर्वाचक नामावलियों के अंशतः मकान नम्बरों के हिसाब से और अंशतः वर्णानुक्रम से तैयार किये जाने के मैं बिलकुल विरुद्ध हूं। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली एक ही प्रकार से तैयार की जानी चाहिये। हां, गांवों और शहरों की नामावलियां भिन्न भिन्न प्रकार से तैयार की जा सकती हैं। मिली जुली व्यवस्था से निर्वाचन की व्यवस्था उचित रूप से नहीं की जा सकती है।

एक माननीय सदस्य ने नियम ११ में इस संशोधन की सूचना दी है कि निर्वाचक नामावलियों की प्रारूप प्रतियां मान्यता-प्राप्त दलों और महत्वपूर्ण संस्थाओं को निःशुल्क दी जानी चाहियें। सरकार की नौकरशाही व्यवस्था कभी भी पूरी पूरी निर्वाचक नामावलियां तैयार नहीं कर सकती है। सरकार इसके लिये अंशकालिक पदाधिकारी नियुक्त करती ह, और वे पूरा समय दिये बिना नामावलियां ठीक प्रकार से नहीं बना सकते हैं। विधान सभाओं और संसद् के सदस्यों तक के नाम उनमें से छूट गये हैं। निर्वाचन आयुक्त ने इस स्थिति को सुधारने के निदेश जारी किये ह। व्यवस्था यह है कि इसके लिये निर्वाचन क्षेत्र के किसी स्थान का निर्णय निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। इसमें स्वयंविवेक की शक्ति दी गई है और बहुधा उसका दुरुपयोग भी किया गया है। चौबीस परगना के देहाती क्षेत्र में यही हुआ था। इसके कारण व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई होती है। उन्हें जांच करने दूर तक जाना पड़ता है।

इसीलिये मेरा सुझाव है कि प्रत्येक दल और प्रत्येक महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संगठन की निर्वाचक नामावलियों की एक प्रति निःशुल्क दी जानी चाहिये। हमारे देश में सभी जगह ऐसे गैर-सरकारी संगठन हैं जो जनता के बीच कार्य करते हैं, जैसे ग्रामोद्योग समितियां हैं था [illegible]क संघ आदि हैं। उन्हें चुनने का स्वयंविवेक निर्वाचन आयोग कर होना चाहिये। [illegible] यता-प्राप्त राजनैतिक दल चाहते हैं कि निर्वाचक नामावलियों में उनके प्रभाव के सभी मतदाताओं के नाम सम्मिलित हों। इसलिये, यह नितान्त आवश्यक है।

†**श्री पाटस्कर** : मैंने इसे स्वीकार करने के लिये एक संशोधन का प्रारूप तैयार करने के लिये प्रारूपकार से कह दिया है। हम इसे इस प्रकार रखेंगे : "निर्वाचन आयुक्त द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह प्राप्त करने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल को निर्वाचक नामावली के प्रत्येक अलग अलग भाग की दो प्रतियां निःशुल्क दी जायें।" मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का भी आशय यही है

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० कु० बसु** : निर्वाचक नामावलियों को स्थानीय डाक्टर या पुलिस थाने जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रखा जाना चाहिये । बोर्ड के सभापति के कार्यालय या मकान पर उन्हें रखने में कठिनाई यह हो सकती है कि यदि वह भी किसी दल में दिलचस्पी रखता हो तो वह कुछ मतदाताओं के निर्वाचन नामावलियों के देखने में कुछ अड़चनें भी डाल सकता है । इसलिये, इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर ही रखा जाना चाहिये ।

निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों के लिये २१ दिन की अवधि निर्धारित की गई है । यह समय कम है । इसे छः सप्ताह होना चाहिये ।

उपयुक्त मतदाता अपना नाम मतदाताओं की सूची में लिखा सकते हैं या नहीं, इस बात की जांच के लिये अभी जितनी जांचें की जाती हैं वे ताल्लुके के मुख्य कार्यालय या अधिकतर सब डिवीजनल कार्यालयों में ही की जाती हैं । कहीं कहीं तो ये कार्यालय मतदाताओं के स्थानों से २४ मील दूर होते हैं । देश की निर्धन जनता को इससे बड़ी कठिनाई होती है । निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता का नाम न होना, सरकार की त्रुटि का द्योतक है, इसलिये सरकार को ही यह व्यवस्थ करनी चाहिये कि इस जांच पड़ताल की कार्यवाही मतदाताओं के स्थानों से एक या दो मील की दूरी पर ही की जाये । यदि आप इसे नियमों में सम्मिलित नहीं कर सकते, तो कार्य पालिका व्यवस्था द्वारा इसे किया जाना चाहिये । यह आवश्यक नहीं है कि बड़े बड़े पदाधिकारी ही यह कार्य करें । आशा है कि सरकार इसपर ध्यान रखेगी ।

एक और महत्वपूर्ण संशोधन है । अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने भी उसका समर्थन किया है । फीस घटाने के लिये, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं । आशा है कि पांच रुपये की फीस दोनों ही मामलों के लिये कर दी गई है ।

†**श्री पाटस्कर** : जी, हां ।

†**श्री क० कु० बसु** : अब मैं अन्तिम प्रस्ताव को लेता हूं । वह है उम्मीदवारों को निःशुल्क प्रतियां दिये जाने के सम्बन्ध में । गत चुनावों में, बम्बई राज्य में प्रत्येक उम्मीदवार को रियायती दर पर प्रतियां दी गई थीं । प्रत्येक उम्मीदवार के पास इन्हें खरीदने योग्य धन नहीं होता है । गत चुनावों में, कुछ राज्यों में निर्वाचक नामावलियां इसलिये पड़ी रह गई थीं कि उन्हें खरीदा नहीं गया था । यदि उनका मूल्य कम रखा जाता , तो तमाम उम्मीदवार उन्हें खरीद लेते । इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक उम्मेदवार को दो प्रतियां मुफ्त और कुछ रियायती दर पर मिलनी चाहियें । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे और संबद्ध राज्यों को उचित निदेश जारी कर देंगे ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : नियम ४ में उपबंध किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट भाषा में प्रकाशित की जाएगी । परन्तु इस में एक कठिनाई यह होती है, विशेषकर द्विभाषी राज्यों में, कि निर्वाचक नामावली केवल एक ही भाषा में प्रकाशित की जाती है और दूसरी भाषामें नहीं । इसलिये निर्वाचन आयोग को अनुदेश दिया जाना चाहिये कि वह दोनों भाषाओं में निर्वाचक नामावली प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करे ।

नियम २६ में कुछ फीस देने पर पंजीयन का उपबंध किया गया है । मैं समझता हूं कि विधि-कार्य मंत्री इसमें कुछ कमी करने का विचार करते हैं । इस को ध्यान में रखा जाना चाहिये । नियम २६ के उपखण्ड २ में उपबंध है कि शुल्क अन्यायिक टिकटों के द्वारा दिया जायेगा । ये अन्यायिक टिकट केवल दीवानी अदालतों में या पंजीयन कार्यालयों में ही मिल सकते हैं । इस से लोगों को इन टिकटों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होगी । अत : इस के स्थान पर कोई और व्यवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

की जानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक ग्राम अफसर या पंचायत के कार्यपालिका कर्मचारी के पास कुछ रसीदें और प्रार्थना पत्र रख दिये जायें ताकि वे आवश्यक पंजीयन शुल्क लेकर रसीद दे सकें और उस रसीद के साथ प्रार्थनापत्र संबद्ध अधिकारी को दिया जा सके।

बहुत बार निर्वाचक नामावली गलत छपती है, किसी स्तम्भ में किसी दूसरे का नाम होता है। इसलिये छपाई की ऐसी गलती के कारण निर्वाचक को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिये। कई बार मृत व्यक्तियों के नाम भी छप जाते हैं और साथ ही यह भी लिखा होता है कि वह मर चुका है इसलिये निर्वाचक नामावली तयार करते समय बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये और सही नाम ही छापे जाने चाहियें।

मैं अन्य सदस्यों से सहमत हूं कि निर्वाचक नामावलियों का मूल्य घटा दिया जाना चाहिये, विशेषकर दो सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में, और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को निर्वाचक नामावलियां रियायती दर पर दी जानी चाहियें।

माननीय मंत्री ने राजनीतिक दलों को प्रतियां देने की बात कही है, परन्तु स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी प्रतियां मिलनी चाहियें, यदि उनको चुनाव चिन्ह मिल चुके हों तो।

निर्वाचक नामावलियां कागज पर एक ओर ही छापी जानी चाहियें। इस से यह लाभ होगा कि उम्मीदवार निर्वाचक नामावलियों के पृष्ठ आसानी से निकाल कर भिन्न भिन्न कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं और समय तथा धन की बचत हो सकती है। इन की बिक्री बहुत होगी, अतः सरकार को अधिक हानि नहीं होगी।

सरकार निर्वाचक नामावलियों के लिये कागज सीधे ही खरीदती है, और थोक व्यापारियों या परचून व्यापारियों को लाभ नहीं होता है, इसलिये इन का मूल्य अनिवार्यतः कम होना चाहिये।

निर्वाचक नामावलियाँ प्रत्येक ग्राम या नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के अनुसार छपवाई जानी चाहियें, ताकि प्रचार करने में सुविधा हो सके।

श्री श्रीनारायण दास: श्रीमान मैं समझता हूं कि चुनावों में धन का ही महत्व नहीं होना चाहिये।

पहले माननीय मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह यह देखें कि प्रत्येक अर्ह व्यक्ति का नाम मतदाताओं की सूची में आजाता है। नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली के प्रारूप में न हो तो उसे प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा किन्तु ऐसे व्यक्तियों का नाम दर्ज करने का प्रयास निर्वाचन अधिकारियों को करना चाहिये।

जिन व्यक्तियों के नाम रह जायें उनके नाम पुनरीक्षण अधिकारियों को उनके इलाकों में जाकर दर्ज करने चाहियें। दूसरे तरीकों से लागत अधिक आयेगी, इस लिये सरकारी अधिकारियों को ही वहां जाना चाहिये।

जैसा कि मेरे मित्र श्री बसु ने कहा है नियमों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि एक व्यक्ति को कहीं भी दो मील से अधिक अपना नाम दर्ज कराने के लिये न जाना पड़े।

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में फीस नहीं ली जानी चाहिये। जैसा कि अधिनियम की धारा २३ में उपबन्धित है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली से छूट गया है, दस रुपये देकर प्रार्थना पत्र भेजे किन्तु यह नहीं होना चाहिये। उसका नाम, यदि वह अन्यथा अर्ह है तो वैसे ही दर्ज किया जाना चाहिये।

अब इस रकम को घटाकर पांच रुपये कर दिया गया है—यह अच्छी बात है किन्तु यह भी नहीं होना चाहिये। जिस आदमी का नाम छट गया हो उसे सज़ा क्यों दी जाये। इससे गरीब लोग अपने नाम दर्ज नहीं करा सकेंगे और अमीरों को ही अवसर मिलेंगे क्योंकि उनके पास रुपया होता है। सरकार को भारतीय संविधान के निदेशक तत्वों का अनुसरण करना चाहिये और सभी को समान अवसर देना चाहिये।

अपने निर्वाचन क्षेत्र में, मुझे पता लगा कि कुछ लोगों के नाम छूट गये थे—मैं ने उनसे नाम दर्ज कराने के लिये कहा किन्तु उन्होंने बताया कि इसके लिये रुपया देना पड़ता है और वह दे नहीं सकते। इसलिये मैं यही प्रार्थना करूंगा कि केवल प्रार्थना पत्र ही उनसे मांगा जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे और फीस को हटा दिया जायेगा।

जहां तक निर्वाचक नामावलियों क दिये जाने का संबंध है—यह सरकार का कर्तव्य है कि वह उन्हें बिना मूल्य दे। पिछली बार बिहार में एक निर्वाचक नामावलि की कीमत ५० रुपये रखी गई थी और कुछ लोग इसे खरीद ही नहीं सके थे। इसलिये कम से कम पांच प्रतियां बिना मूल्य दी जानी चाहियें।

अखबारों में जो अधिसूचनायें छापी जाती हैं उनके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी बहुत ही कम जनता समाचार पत्र पढ़ती है—इसलिये छोटे छोटे इश्तिहार छपवाये जाने चाहियें और उन्हें बांटना चाहिये। इससे सभी को इस का ज्ञान हो जायगा। निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना भी इसी प्रकार दी जानी चाहिये।

मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं कि कार्यपालिका अधिकारियों के स्थान पर न्याय-पालिका अधिकारियों को पुनरीक्षण का काम सौंपा जाय। मेरे विचार में कार्यपालिका अधिकारी ही इस कार्य के लिये ठीक होंगे।

जहां तक नाम दर्ज कराने की अवधि का संबंध है मेरे विचार में कम से कम एक महीने का समय अवश्य दिया जाना चाहिये।

बिहार में वर्णानुक्रम से नाम दर्ज नहीं किये गये है किन्तु घरों के नम्बरों के हिसाब से लिखे गये हैं। ऐसा जनगणना के समय किया गया था—जो भी प्रक्रिया इस संबंध में अपनाई जाये उसे साफ साफ बता दिया जाना चाहिये ताकि लोग जान लें कि यह क्या है। अन्यथा निर्वाचनों के समय लोग अपने नाम नहीं ढूंड सकेंगे।

अन्त में मैं फिर से अपने संशोधन के बारे में कहना चाहता हूं कि नाम दर्ज कराने के लिये कोई फ़ीस नहीं ली जानी चाहिये। यह सरकार का कर्तव्य है। फीस घटाना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार में लोकतंत्रात्मक प्रणाली में हमें अमीरों गरीबों सभी का बराबर ध्यान रखना चाहिये और रुपये को महत्व नहीं देना चाहिये।

†**श्री डाभी** : वर्तमान नियम के अनुसार सूची को कुछ व्यक्तियों को भेजने का उपबंध है। वास्तव में साधारण अनपढ़ लोगों को ऐसी सूचियों की आवश्यकता होती है। निर्वाचक नामावलियों में बहुत सी गलतियां होने की लगातार शिकायत आ रही हैं—स्त्रियों के नाम के स्थान पर पुरुषों के नाम और पुरुषों के नाम के स्थान पर स्त्रियों के नाम छप जाते हैं। हमें इन गलतियों को नहीं होने देना चाहिये। इन गलतियों का कारण यह है कि नगरपालिकाओं के क्लर्क और गांवों में मुहर्रर आदि घर पर बैठकर ही सूचियां तैयार कर लेते हैं और लोगों के मकानों तक जाने का कष्ट नहीं करते हैं। इसलिये सूचियां प्रत्येक घर में भेजी जानी चाहियें, और कुछ विशेष व्यक्तियों को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री डाभी]

ही नहीं भेजी जानी चाहियें। फिर कर्मचारी घर घर जाकर लोगों से नाम पूछ कर सही निर्वाचक नामावली तैयार कर सकते हैं। इसलिये घर घर जाकर सूची तैयार की जानी चाहिये। तब कोई गलती नहीं रह सकती है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचक नामावली की चार प्रतियां मुफ्त दी जानी चाहियें। यदि चार नहीं, तो तीन अवश्य ही दी जानी चाहियें। बम्बई राज्य में पिछले निर्वाचनों में प्रत्येक उम्मीदवार को छः प्रतियां मुफ्त दी गई थीं। इसलिये मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यदि हम चार या तीन की सीमा लगा देंगे तो जो राज्य अधिक प्रतियां दे रहे हैं, वे कहेंगे कि हम क्यों चार या तीन प्रतियां दें। इसलिये यह उल्लेख कर दिया जाना चाहिये कि यदि कोई राज्य सरकार मुफ्त प्रतियां देना चाहे तो वह दे सकती है। इन प्रतियों की निर्वाचनों में अत्यन्त आवश्यकता होती है, इसलिये कम से कम चार प्रतियां तो मुफ्त दी ही जानी चाहियें। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बम्बई राज्य छः प्रतियां देती रही है। अतः मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

†**श्री कामत** : मैं श्री बसु के संशोधन संख्या १०, १२, १४ और १५ का समर्थन करता हूं। यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री ने शुल्क को १० रुपये से घटा कर पांच रुपये कर देने के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वचन दिया है।

प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां न केवल मान्यता-प्राप्त दलों को मिलनी चाहियें, अपितु उन राजनीतिक दलों को भी मिलनी चाहियें, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये इस भेद को मानने का कोई कारण नहीं है। स्वतंत्र और उचित निर्वाचन के लिये यह आवश्यक है कि सब दलों को प्रारूप सूचियां दी जायें ताकि वे भी उसे ठीक तथा पूर्ण करने में सहयोग दे सकें।

संशोधन संख्या १५ में प्रस्ताव है कि प्रत्येक उम्मेदवार को दो प्रतियां मुफ्त और छः प्रतियां आधी या तिहाई मूल्य पर दी जानी चाहियें। हमारी सरकार कहती है कि निर्वाचन इतने स्वतंत्र होंगे कि निर्धन से निर्धन व्यक्तियों को धनिकों का निर्वाचन में मुकाबला करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु दूसरी ओर सरकार सब उपायों से धन जुटाने पर तुली हुई है, ताकि केवल धनी उम्मेदवार ही निर्वाचन लड़ सकें और जीत सकें। एक बड़े राजनीतिक दार्शनिक श्री लास्कनी ने कहा है कि लन्दन के रिहज होटल के बारे में यह कहना कि वह निर्धन और धनी दोनों के लिये खुला है, सर्वथा गलत है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति के पास इतना धन ही कहां है कि वह वहां तक पहुंच सके। हमारी सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आमिद जातियों के प्रति सहानुभूति की बातें तो करती है, परन्तु सत्तारूढ़ दल को १० करोड़ रुपया मिल सकता है परन्तु विरोधी पक्ष के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मेदवारों को क्या मिलेगा ?

गरीब लोग, जो प्रायः ईमानदार होते हैं, सत्तारूढ़ दल के धनी उम्मीदवारों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं जब तक कि मतदाता समझदार और पढ़े लिखे न हों। यदि मतदाता समझदार हों तो आपका रुपया काम नहीं कर सकेगा और मत नहीं खरीदे जा सकेंगे। हाल ही के उप-निर्वाचनों में यह नारा लगाया जाता रहा है :

'नोट लो उनका, दो वोट हमको'

और कई निर्वाचन क्षेत्रों में इस पर अमल भी किया गया है। इस से लोकतन्त्र की स्थापना में सहायता मिलेगी। अतः मेरा सुझाव है कि जहां तक सम्भव हो गरीब और अमीर उम्मीदवारों को समान सुविधा दी जानी चाहियें। बड़े दुख की बात है कि भारत जैसे गरीब देश में जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय २५० रुपये है एक उम्मीदवार को मध्यप्रदेश में संसद के निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के लिये ६०० से ७०० रुपये तक देना पड़ता है। सरदार सहगल को भी यह विदित है परन्तु उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। उनका दल सदा उनकी सहायता करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप निष्पक्ष निर्वाचन करना चाहते हैं—मुझे इसमें बहुत सन्देह है—तो आप उम्मीदवारों को बराबर का अवसर दीजिये, उनको निर्वाचक नामावलियां निष्शुल्क दीजिये। आप प्रतिभूति जमा करा लेते हैं। इस प्रश्न पर भी लोक-सभा में वाद-विवाद हो चुका है कि इसे घटाया जाना चाहिये। हो सकता है कि निर्वाचन में भाग लेने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति में सभी योग्यतायें और अर्हतायें होते हुए भी उसे रुपये की तंगी हो। अतः सब से पहले सरकार को यह करना चाहिये कि वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों को निर्वाचक नामावलियों की दो प्रतियां निःशुल्क दे। अपने संशोधन में मैं ने यह भी सुझाव दिया है कि अतिरिक्त प्रतियां आधे मूल्य पर दी जाये। सरकार को ऐसा करने में इसकी लागत के आधार पर आपत्ति हो सकती है। माननीय विधि कार्य मंत्री बता सकते हैं कि इन निर्वाचक नामावलियों पर सरकार को प्रति पृष्ठ कितना खर्च करना पड़ता है। मेरे विचार से विक्रय मूल्य लागत व्यय के एक चौथाई से भी कम था। जहां सरकार ने इतना बलिदान किया वहां थोड़ा और सही। इससे निर्वाचन निष्पक्ष रूप से हो सकेंगे। निर्वाचनों को निष्पक्ष रूप से करने के लिये और बातों की भी आवश्यकता है परन्तु यह आशा नहीं की जा सकती कि सरकार वह सब करेगी।

संशोधन संख्या १२ का अभिप्राय यह है कि जांच का स्थान दावेदारों के रहने के स्थान से दो या तीन मील से अधिक दूर नहीं होना चाहिये।

कोई एक मास पहले लोक-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि मध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल के निर्वाचन मंडलों में भारी कमी हुई है। मध्य प्रदेश में इस रहस्यपुर्ण कमी का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आया है और यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए।

कुछ दिन पश्चात जब यह प्रश्न दोहराया गया तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि पदाधिकारियों को हिदायतें दी गई थीं कि पहली गलतियों को दूर करके ठीक ठीक निर्वाचन नामावलियां तैयार की जायें। परन्तु यह नहीं बताया गया कि निर्वाचन मंडल में कई लाख की कमी कैसे हो गई।

मध्य भारत अथवा मध्य प्रदेश से बंगाल अथवा पंजाब को कोई सामूहिक निष्क्रमण नहीं हुआ है। त्रावनकोर–कोचीन के कुछ परिवारों को भोपाल में बसाया गया है। इस से तो निर्वाचन मंडल में वृद्धि होनी चाहिये थी परन्तु इसकी बजाये निर्वाचकों की संख्या कम हो गई है। इस समय जब कि निर्वाचक नामावालियों के बारे में चर्चा हो रही है तो माननीय मंत्री को इस मामले की जांच रखनी चाहिये।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ हुए सम्मेलन में मैं और श्री त्रिलोकी सिंह अपने दल के प्रतिनिधयों के रूप में गये थे परन्तु वहां इस मामले पर विशिष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई थी अपितु यह बताया गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले ही इस मामले में कार्यवाही कर रहे है और शीघ्र ही यह मामला हल हो जायेगा।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (कोल्हापुर व सतारा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मेरे कुछ माननीय मित्रों ने निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां निःशुल्क दिये जाने का प्रस्ताव किया है। यदि ऐसा हो जाये तो यह बहुत ठीक होगा। मैं श्री डाभी के संशोधन से सहमत हूं परन्तु यदि ऐसा करना संभव न हो तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के रक्षित स्थानों के उम्मीदवारों को अवश्य ही यह निःशुल्क दी जानी चाहिये क्योंकि लोगों को खरीदने में बड़ी कठनाई होती है।

सरदार अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिप्रिजेंटेशन आफ दी पीपल रूल्स (लोक प्रतिनिधान नियम) में एमेंडमेंट करने की मोशन है जिस को कि माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। आज ही माननीय मंत्री रिप्रिजेंटेशन

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार अ० सिं० सहगल]

आफ पीपल एमेंडमेंट बिल लाये थे जिस के ज़रिये से डिसप्लेस्ड परसंस (विस्थापित व्यक्तियों) को वोट देने का हक वह देना चाहते थे। ये जो सिटिज़नशिप रूल्स (नागरिकता नियम) हैं ये ७ जुलाई, १९५६ से फोर्स में आ गए हैं। इस बिल के मुताबिक यह लोग हिन्दुस्थान के सिटिज़न बन सकेंगे और अपना नाम एक्स वोटर रजिस्टर करा सकेंगे....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उस बिल का हवाला दे रहे हैं जो कि पास हो चुका है। अब दूसरी चीज़ पर गौर हो रहा है।

सरदार अ० सिं० सहगल : मैं उस बिल का हवाला इस लिये दे रहा हूं कि उस बिल के मुताबिक जो लोग ७ जुलाई, १९५६ तक यहां आ चुके थे वे भारत के सिटिज़न हो जायेंगे और उनको वोटिंग (मतदान) के राइट (अधिकार) देने हैं या नहीं देने हैं, अब इसका फैसला होना है। इस के बारे में मेरी यह राय है कि यह अच्छी चीज़ है कि हम उन लोगों को वोट देने का हक दे रहे हैं।

इसके अलावा जो इलैक्टोरल रोल्स (निर्वाचक नामावलियां) होते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। ये रोल्स हर प्रान्त में तैयार किये जाते हैं। यदि आप इन रोल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि जिन के नाम उनमें दर्ज होते हैं, उनकी वलदियत आम तौर पर गलत दर्ज कर दी जाती है। जब तक जो कैंडिडेट (उम्मीदवार) है वह इस चीज़ को जाकर ठीक नहीं कराता है यह ठीक नहीं होती है। जब वह आदमी अपना वोट देने के लिये जाता है, उसको इसलिये वोट देने का हक नहीं दिया जाता है कि जो वलदियत लिखी हुई है वह गलत होती है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, इनको बनाते वक्त ज़रा ज्यादा ध्यान से काम लिया जाना चाहिये। जो प्रान्तीय सरकारें हैं तथा जो जिले के अधिकारी हैं और जो अफ़सर हैं उनको प्रान्तीय सरकारों के ज़रिये ये आदेश दिये जाने चाहियें कि इन रोल्ज को बनाते वक्त वे इस ओर खास तवज्जह दें।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो मतदाता सूचियां होती हैं उनके बारे में अभी कहा गया है और एमेंडमेंट भी पेश किए गए हैं कि इन को शैड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेटस (अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों) को तथा शैड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेटस को मुफत दिया जाना चाहिये। मेरी एक माननीय बहन ने अभी यह कहा है कि इन सूचियों को औरतों को भी सप्लाई कर देना चाहिये। तो जो दूसरे मेम्बर्स हैं, जो दूसरे कैंडिडेटस खड़े होना चाहते हैं, आखिर उन्होंने कौन सा अपराध किया है कि दूसरों को तो वोटर्स लिस्ट (मतदाता सूची) मिले, लेकिन उनको न मिले। मैं कहूंगा कि जो श्री डाभी का एमेंडमेंट है, उस के मुताबिक जरूर गवर्नमेंट को लिस्ट सपलाई करनी चाहिये। जिस तरह से बम्बई सरकार अपने यहां के कैंडिडेटस को, जो कि एलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, वोटर्स लिस्ट देती है उसी तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने कानून में तरमीम कर के अपने यहां के आफिस को इस बात का आदेश दे कि जो कैंडिडेटस हों, चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट्स के हों, चाहे शैड्यूल्ड ट्राइबज़ (अनुसूचित आदिम जातियां) के हों, चाहे स्त्री समाज के हों, सब को वह एलेक्टोरल रोल की कापियां दे।

इस के साथ साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो घरों पर नम्बर दिये जाते हैं म्यूनिसिपैलिटि (नगर पालिका) की तरफ से, वह परमनेंट तरीके से दिये जायें ताकि जो घर वाले हों, उनको मालूम रहे कि हमारे घर का परमनेंट नम्बर यह है। आज तो यह होता है कि जब चुनाव नज़दीक होता है तो हर एक घर पर नम्बर दिया जाता है, जब चुनाव खत्म होजाता है तो उस नम्बर को पोत दिया जाता है। अगर परमनेंट नम्बर दिया जायेगा तो उस से बड़ी आसानी हो जायेगी। हर एक आदमी यह समझ सकेगा कि मैं फलां मोहल्ले का रहने वाला हूं और मेरा ब्लाक और मेरे घर का नम्बर यह है। इस लिये चाहे म्युनिसिपालिटी हो चाहे नोटिफाइड एरिया हो, चाहे देहात हो, हर जगह पर परमनेंट नम्बर होना चाहिये। इस से यह होगा कि जब एलेक्टोरल रोल बनेंगे तो वह बड़ी आसानी से देखा जा सकेगा। इसलिये मैं इस तरमीम की भी ताईद करता हूं।

अभी एक मित्र कह रहे थे सन् १९५१ में मध्य भारत में, भोपाल में और दूसरी जगहों पर मर्दुम शुमारी में संख्यायें कम दिखाई गई हैं, मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक सच है और इस लिये मैं इस पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दूसरी जगहों पर भी जा कर देखें और अगर यह पायें कि एलेक्टोरल रोल्स के बनानें में कोई कमी रह गई है, तो उस को दूर करें। आप की मर्दुम शुमारी में और एलेक्टोरल रोल्स के बनानें में खामियां जरूर हैं, मैं नहीं कहता कि वह जान बूझ कर की गई हैं, लेकिन यह जरूर होना चाहिये कि जब फाइनल एलेक्टोरल रोल बनता है तो वहां पर कोई जिम्मेदार अफसर जा कर देखें कि जो एलेक्टोरल रोल बनाये गये हैं वह ठीक बनाये गये हैं या नहीं, और अगर कोई कमी पाई जाये तो उस को फौरन ठीक किया जाय।

इन शब्दों के साथ जो तरमीम रखी गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ मध्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हमारे माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनमें से बहुत सी बातों का समर्थन करती हूं। मैं भी इस बात को कहना चाहती हूं कि हमारे शहरों में और देहातो में जब एलेक्टोरल रोल बनते हैं तो वहां पर मर्दों के सिवा स्त्रियों के नाम बहुत कम आ पाते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बात यह है कि स्त्रियां स्वयं कुछ बताती नहीं हैं और पुरुष इस बात की परवाह नहीं करते कि वह अपने यहां की स्त्रियों के नाम लिखवायें। एलेक्टोरल रोल बनाने वाले खाली मर्दों के नाम लिख कर चले आते हैं। महल्लों महल्लों में ऐसा होता है कि सिर्फ आधे निवासियों के नाम एलेक्टोरल रोल में आ पाते हैं। होता यह है कि यूनिवर्सिटीज़ के लड़के या दूसरी जगहों के लड़के ३०, ३० रुपयों पर रख लिये जाते हैं ताकि वह मुहल्लों में जाकर सब लोगों के नाम लिख लें। उन को किस बात की चिन्ता हो सकती है, वह इधर उधर थोड़ा बहुत घूम घाम आते हैं और आ कर कह देते हैं कि हमने फलां मोहल्ला पूरा कर लिया। लेकिन अगर उन मोहल्लों में जाकर देखा जाये तो आधे से भी कम नाम ऐसे होते हैं जो कि एलेक्टोरल रोल पर आ पाते हैं। इस की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जब शहरों की आबादी बढ़ती चली जाती है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि एलेक्टोरल रोल्स के वोटर्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ती, वह संख्या उतनी की उतनी ही बनी रहती है। सच बात तो यह है कि जो पुराने एलेक्टोरल रोल्स होते हैं, उनकी ही नकल कर ली जाती है। जब कि पुराने आदमियों में से हजारों आदमी बाहर चले गये होते हैं, हजारों मर चुके होते हैं, और जब चुनाव होता है तो थोड़े से लोग ही ऐसे निकलते हैं जो कि सच्चे वोट डालने वाले होते हैं। उनमें से भी किसी का पता गलत लिखा होता है, किसी की माता का नाम गलत होता है, किसी के पिता का नाम गलत होता है। इस लिये उन में से भी बहुत से वोटर्स बेकार हो जाते हैं। इस लिये मैं चाहती हूं कि जो चुनाव आ रहे हैं, उन में लिस्ट बहुत एहतियात से बनाई जाय और अच्छी तरह से लोगों को सूचना दे दी जाय कि वोटर्स लिस्ट बन कर तैयार हो गई है, लोग आयें और आ कर देख लें। जिस किसी का नाम उसमें न हो, वह अपने नाम उस में दर्ज करवालें। जब एलेक्शन बहुत नज़दीक आ जाते हैं, उस समय अगर कोई शख्स अपना नाम ठीक करवाना चाहता है तो उसको ५० रु० देने पड़ते हैं। इस लिये ज़रूरत है कि वह अपना नाम जल्दी से जल्दी ठीक करवा ले, तभी उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ५० रु० दे कर के अपना नाम नहीं लिखावाना चाहेंगे। नतीजा यह होगा कि उन का नाम लिस्ट में नहीं आ पायेगा।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि जो वोटर्स लिस्ट बने वह सब कैंडिडेटस को दी जाय तो अच्छा है क्योंकि जितने लोग खड़े होते हैं, उनकी बड़ी मुश्किलें होतीं हैं। सब कैंडिडेटस को वोटर्स लिस्ट तो चाहिये ही। अगर उन को वह नहीं मिलती है तो उन को पैसा दे कर उसको लेना पड़ता है। इस लिये अगर यह निर्णय हो जाये कि वोटर्स लिस्ट हर कैन्डिडेट को मिलेगी तो प्रसन्नता की बात होगी। मैं भी इसका स्वागत करूंगी।

इन शब्दों के साथ मैं इन तमाम बातों का समर्थन करती हूं।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां): निर्वाचक नामावलियां करने के बारे में जो विचार व्यक्त किये गये हैं मैंने उन्हें बड़े आदर से सुना है। मुझे तो जंगली क्षेत्रों की चिन्ता है। यदि आप प्रारूप निर्वाचक नामावलियां तैयार करने संबंधी नियम थाने अथवा दंडाधीश कार्यालय में रख देते हैं तो उस से इन क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वे लोग निरक्षर हैं।

मैं समझता हूं कि जैसे कर एकत्र करना सरकार का कर्तव्य है उसी प्रकार उसका यह भी कर्तव्य होना चाहिये कि देश के किसी वयस्क का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से रह न जाये। यदि कोई नाम रह जाता है तो उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति को बड़ा दण्ड मिलना चाहिये। शहरी लोग तो स्वयं इन बातों का पता लगा सकते हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में जहां लोकतन्त्र स्थापित किया जाना है ऐसा होना अभी कठिन दिखाई देता है।

प्रत्येक गांव में चौकीदार, मुखिया अथवा प्रधान होता है। उसका कर्तव्य होना चाहिये कि वह इस बात का ध्यान रखे कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे मताधिकार का हक्क है निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से रह न जाये। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है कि २५ प्रतिशत निर्वाचकों के नाम दर्ज नहीं किये गये थे। इसका कारण यह है कि ग्रामपंचायतों के निर्वाचनों में सफल हुए जिन पक्षों को यह काम सौंपा गया उन्होंने अपने पक्ष के लोगों के नाम तो दर्ज कर लिये और दूसरे पक्ष वालों के नाम छोड़ दिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई स्थान मुख्य स्थानों स ३५ मील दूर हैं। क्या आप आशा करते हैं कि पाठशाला के अध्यापक इतनी दूर जायेंगे। और यदि वह बाजार के दिन जाते हैं तो उनको वहां कोई नहीं मिलेगा। जो दो चार व्यक्ति मिलेंगे उनका नाम लिख कर वह अपना काम समाप्त कर देंगा।

गत सामान्य निर्वाचनों में जंगली क्षेत्रों ने अद्भुत अनुशासन का प्रदर्शन किया था। संविधान द्वारा दी गई इस शक्ति का उन्होंनें बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग किया। वहां सभी लोग यह समझ कर कि वे मतदाता हैं मतदान क लिय चले गये थे परन्तु वहां जाकर उन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि नामावलियों में बहुत सों के नाम नहीं थे। मैं तो इन नामावलियों के प्रकाशन को व्यर्थ समझता हूं। यदि निर्वाचन प्रत्येक गांव में अथवा कुछ गावों को मिला कर किया जाय तो करोड़ों रुपये बच सकते हैं।

बम्बई के एक सदस्य ने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचक नामावलियों की छः प्रतियां दी गई थीं। परन्तु इसका परिणाम यह निकला कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पुस्तकें नहीं दी जा सकीं।

हम स्वयं अपने आप से अधिक इन छपी हुई बातों पर जिन में अनेक गलतियां होती हैं विश्वास करने लगे हैं। इनके प्रकाशन पर व्यर्थ धन व्यय किया जाता है। यदि हम अपनीं जनता पर विश्वास रखें और प्रत्येक ग्राम मतदान केन्द्र हो और यदि फिर भी कोई गलती होती है तो चौकीदार को दंड दिया जाना चाहिये। परन्तु अब तो एक प्रकार से निर्वाचक को ही दंड दिया जाता है। लोक तंत्र का यह अर्थ नहीं है कि ५ या १० रुपये दे सकने वाले निर्वाचक ही मताधिकार के अधिकारी को काम में ला सकें। हर एक व्यक्ति में यह समर्थ होना चाहिये कि वह इस अधिकार का प्रयोग कर सके।

कहा गया है कि कुछ राज्यों में निर्वाचक नामावलियों की एक प्रति खरीदने के लिये ६०० रुपये देने पड़ते हैं। यह राशि बहुद अधिक है। यदि गांव को इकाई बना कर चौकिदार को उत्तर-दायित्व सौंप दिया जाये तो कोई धोखेबाजी नहीं होगी क्योंकि चौकीदार सभी लोगों को जानता है।

अन्त में मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि निर्वाचक नामावलियों को अन्तिम रूप देने के कार्य को बहुत साधारण और कम खर्च वाला बनाया जाय। जैसा कि बिहार के एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि अन्तिम क्षण तक भी निर्वाचक नाम दर्ज करा सकें। इसका साक्षी कौन होगा कि अमुक व्यक्ति निर्वाचक है? इस कार्य के लिये चौकीदार सब से उपयुक्त व्यक्ति होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः मैं एक बार फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि वह मताधिकार के प्रयोग में बाधा न डाले और इस देश को लोकतन्त्रात्मक शासन का विकास करने दे ।

†**श्री पाटस्कर** : सभी माननीय सदस्यों की बातों का विस्तारपूर्वक उत्तर देने की बजाये मैं उन मुख्य बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा जिन पर जोर दिया गया है और जो विभिन्न राज्यों से आने वाले सदस्यों के लिये समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मैं सब स पहले उस बात को लूंगा जिसे श्री हाथी ने अपने संशोधन के द्वारा उठाया था। कई अन्य सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया है । वास्तव में स्थिति यह है कि जहां तक चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचक नामावलियों की अन्तिम रूप से संशोधित प्रतियों को मुफ्त दिये जाने का प्रश्न है, इस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। मैंने कुछ सूचना एकत्रित करने की चेष्टा की है तरीका यह है । यह निर्वाचक नामावलियां विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्यों में मुद्रित कराई जाती हैं और वह राज्य अपने प्रबन्ध स्वयं ही करते हैं । जहां तक लागत का सम्बन्ध है, उसको राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के मध्य बांट लिया जाता है। उन्होंने एक मूल्य निर्धारित किया हुआ है, अर्थात राज्य सरकार चुनाव आयोग के परामर्श से मूल्य निश्चित करती है, और केन्द्रीय सरकार का इस में कोई हाथ नहीं होता है ।

मूल्य संबंधी आंकड़े बहुत रुचिकर हैं । मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जहां तक पुराने मूल्यों का १९५२ से १९५५ तक के संबंध में––सम्बन्ध है, विभिन्न राज्यों द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों में काफी विभिन्नता है। उदाहरण के लिये आसाम में यह मूल्य तीन आना प्रति पृष्ठ था, बिहार में यह मूल्य छै पाई प्रति पृष्ठ था।

†**श्री कामत**: पाई या पैसे ?

†**श्री पाटस्कर**: बिहार में यह मूल्य छै पाई प्रति पृष्ठ था। उक्त राज्य सरकार का विचार उसी मूल्य स्तर को रखने का है। बम्बई में मूल्य छै पाई प्रति पृष्ठ था, और अभी तक बम्बई सरकार ने हमें यह सूचित नहीं किया है कि वह अब क्या मूल्य निश्चित करेगी । मध्य प्रदेश में मूल्य दो आने प्रति पृष्ठ था। अब राज्य सरकार ने प्रस्थापना की है कि उससे कम करके एक आना तीन पाई कर दिया जाये । मद्रास में चार पृष्ठों के एक फ़ार्म का मूल्य तीन आना था । उसे प्रति•पृष्ठ के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया था। अभी उक्त राज्य सरकार नें यह सूचित नहीं किया है कि क्या मूल्य निर्धारित किये जायेंगे। उड़ीसा में दस पृष्ठ या उस से कम के लिये, मूल्य छै आना ६ पाई था । अभी उक्त राज्य सरकार ने यह सूचित नहीं किया है कि वह कितना मूल्य निश्चित करेगी । पंजाब में मूल्य एक आना प्रति पृष्ठ था। आगे क्या मूल्य निश्चित किया जायेगा इस की सूचना राज्य सरकार ने नहीं भेजी है। उत्तर प्रदेश में मूल्य १०० नामों के पृष्ठ के लिये दो आना था । इस प्रकार मूल्य का आधार विभिन्न है। आगे क्या मूल्य रखे जायेंगे इसकी उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी है। पश्चिम बंगाल के विधान सभा के एक सदस्य वाले मुफस्सिल निर्वाचन क्षत्र की सूची के लिये मूल्य बीस रुपये था। अतः वहां मूल्य प्रति पृष्ठ नहीं है। एक सदस्य वाले कलकत्ता विधान मंडल निर्वाचन क्षेत्र के लिये मूल्य चालीस रुपया था । दो सदस्यों वाले मुफस्सिल विधान मंडल निर्वाचन क्षेत्र के लिये मूल्य ८० रुपया था। मध्य भारत में मूल्य एक आना प्रति पृष्ठ था । अब उक्त राज्य १०० नामों की सूची के लिये छः पाई मूल्य रखना चाहती है । मैसूर में राज्य सरकार तीन पाई प्रति पृष्ठ ले रही थी, अब वह इसी मूल्य को रखना चाहती है। पैप्सू में मूल्य डेढ़ आना प्रति पृष्ठ था। अब उक्त राज्य १०० नामों की सूची के लिये एक आना मूल्य रखना चाहती है। राजस्थान में मूल्य छः पाई प्रति पृष्ठ था और अब भी इसी मूल्य का सुझाव दिया गया है। सौराष्ट्र में मूल्य छै पाई प्रति पृष्ठ था। आगे क्या मूल्य रखा जायेगा इसके बारे में राज्य सरकार ने अभी तक कोई सूचना नहीं भेजी है। स्पष्ट है कि वह बम्बई में संविलीन हो जायेगा। त्रावनकोर–कोचीन में मूल्य तीन पाई प्रति पृष्ठ था और उस पर बिक्री कर भी लगता था।

उन्होंने अभी तक भावी मूल्यों के संबंध में अपनी प्रस्थापना नहीं भेजी हैं । अजमेर में यह छः पाई प्रति पृष्ठ था, और वहां पर वही मूल्य जारी रहेगा । भोपाल में भी छः पाई प्रति पृष्ठ था । वे उसे घटाकर तीन पाई प्रति पृष्ठ करना चाहते हैं । कुर्ग में यह १ १/२ आना प्रति पृष्ठ था । उन्होंने अपने भावी मूल्य के संबंध में अभी तक सूचित नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

मैं ने विभिन्न राज्यों में विद्यमान मूल्य केवल जानकारी देने के अभिप्राय से बताये हैं। मैं इस मांग से पूर्ण रूपेण सहानुभूति रखता हूं कि मूल्यों की असमानता को दूर करने के लिये कोई उचित उपाय किया जाये। कोई ऐसा उपाय किया जाये जिससे यह काम हो सके। हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्या हम कोई प्रतियां मुफ्त भी दे सकेत हैं। मैं समझता हूं कि हमने पिछली बार जिस आधार पर मूल्य निर्धारित किये थे, उनमें अब परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि इस संबंध में सर्वोत्तम कार्यवाही की जा सके। आखिरकार ये खर्चे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिल कर कर रही हैं। मैं यह पूर्व कल्पना कर सकता हूं कि सभी राज्यों में मुद्रण की लागत एक ही समान नहीं हो सकेगी, परन्तु फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक राज्य की कीमत का दूसरे राज्य की कीमत से बहुत अधिक अन्तर न हो। माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहना था वह मैं ने सुन लिया है और म अपनी ओर से इस बात का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा कि सभी राज्यों में यदि पूर्णरूपेण समानता नहीं हो सकती तो किसी अंश तक समानता अवश्य हो।

अगली बात प्रतियों के मुफ्त देने के संबंध में है। यह सच है कि बम्बई सरकार ने पिछली बार कुछ प्रतियां मुफ्त दी थीं। यदि मुझे ठीक ठीक याद है तो सब से पहली प्रति मैं ने ही खरीदी थी। उन्होंने कुछ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी मुफ्त प्रतियां दी थीं। तो भी सभा के सदस्यों को मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं विभिन्न राज्यों में समानता लाने का प्रयत्न करूंगा। मैं इस क्रम पर कोई इस प्रकार का वचन नहीं दे सकता कि अमुक मूल्य निश्चित कर दिया जायेगा अथवा अमुक प्रतियां मुफ्त दी जायेंगी। परन्तु उस संबंध में चर्चा करूंगा तथा पत्र व्यवहार करूंगा और यथा संभव उचिततम कार्य करूंगा, और वैसा करते समय माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टि कोणों को सदा अपने ध्यान में रखूंगा।

†**श्री कामत** : एक औचित्य प्रश्न है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी संविधान के अनुच्छेद ३२४ के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं जिनमें यह कहा गया है कि निर्वाचक नामावलियों को निर्वाचन आयोग तैयार करेगा। अतः उनका मूल्य निर्धारित करने का काम निर्वाचन आयोग का है; वह काम न केन्द्रीय सरकार का है और न ही राज्य सरकारों का।

†**श्री पाटस्कर** : मैं भी संविधान सभा का एक सदस्य था और मैं उसे अभी तक भूला नहीं हूं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य सरकार की सीमाओं तथा निर्वाचन आयोग के कार्यों को अच्छी प्रकार से अनुभव करेंगे। मैं कभी भी संविधान का उल्लंघन करने का प्रयत्न नहीं कर सकता। मरे कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि सरकार निर्वाचन आयोग का कार्य स्वयं संभाल लेगी, अपितु अन्य सदस्यों के समान ही मुझे भी इस बात का अधिकार है कि मैं माननीय सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुये, संविधान का उल्लंघन किये बिना ही, निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकारों को अपना दृष्टिकोण निर्देशित कर सकूं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात है।

नियमों के संबंध में बहुत से संशोधन आये हैं और मैं ने पहले ही बता दिया है कि मैं कौन कौन से संशोधन स्वीकार करूंगा। परन्तु उन्हें थोडे से भिन्न रूप में स्वीकार करना होगा।

†**श्री कामत** : श्रीमान, औचित्य प्रश्न के संबंध में आपका विनिर्णय क्या है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस क्रम पर यह एक काल्पनिक मामला है। जब कोई वास्तविक मामला उपस्थित होगा तो निर्णय दिया जायेगा।

†**श्री पाटस्कर** : वास्तविक संशोधन के संबंध में मैं ने पहले ही बता दिया है कि मैं किन किन को अथवा उनके किस किस भाग को स्वीकार करूंगा, और मैं ने उन्हें ऐसे रूप में रखने का प्रयत्न किया है जिसमें वे समर्थन के लिये अन्य सभा में जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रथम संशोधन नियम २ के संबंध में है। उसमें यह कहा गया है कि खंड (ग) में 'करे' के बाद "Subject to the approval of the Election Commission" ["निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के अधीन रहते हुए"] ये शब्द जोड़ दिये जायें। तब यह इस प्रकार से बन जायेगा :

"Revising authority means such person as the State Government or an officer authorised by the State Government in this behalf may subject to the approval of the Election Commission appoint as the revising authority in respect of a constituency or part of a constituency."

["पुनरीक्षण प्राधिकारी से तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि राज्य सरकार अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा, निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, किसी निर्वाचन क्षेत्र अथवा निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक भाग के लिये पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया जाये।"]

माननीय सदस्य श्री बसु ने एक राज्य सरकार द्वारा की गयी नियुक्तियों के प्रति स्वाभाविक खेद प्रकट किया है। जैसा कि अभी बताया गया है निर्वाचन आयोग ही इस संबंध में अंतिम प्राधिकारी है, अतः मैं श्री साधन गुप्त के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

दूसरे संशोधन का संबंध नियम संख्या ११ से है। यहां पर हमने एक यथार्थ संशोधन के अतिरिक्त कई मौखिक संशोधन भी किये हैं।

हमारा संशोधन यह है :

"In clause (a) omit 'and' at the end and in clause (b) add 'and' at the end and after clause (b) and another clause, namely clause (c) two copies of each separate part of the electoral roll to every political party to which a symbol has been allotted by the Election Commission".

["खंड (क) में अन्त में 'और' शब्द हटा दिया जाये तथा खंड (ख) में अन्त में 'और' शब्द जोड़ दिया जाये और खंड (ख) के बाद एक और नया खंड (ग) जोड़ दिया जाये। खंड (ग) यह है : "(ग) निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग की दो दो प्रतियां ऐसी प्रत्येक राजनीतिको दल को देना जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतीक आवंटित किया जा चुका है।"]

मैं समझता हूं कि यह संशोधन सिद्धांत रूप में लगभग वैसा ही है जैसे कि माननीय सदस्यों के अन्य संशोधन हैं और मैंने पहले ही संकेत कर दिया है कि मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मैं ने इसको यह रूप दिया है, मैंने इसमें कई गलतियां ठीक भी की हैं।

फिर नियम २६ के बारे में एक और संशोधन है। जिसमें हमने फीस को १० रुपये से कटाकर ५ रुपये कर देना स्वीकार कर लिया है। संशोधन का पाठ यह होगा :

"In clause (a) of sub-rule (1), for "ten rupees" substitute "five rupees"; and in sub-rule (2) for "sub-section (1)" substitute "sub-rule (1)"

["उप-नियम (१) के खंड (क) में 'दस रुपये' के स्थान पर 'पांच रुपये' रख दिये जायें; और उप-नियम (२) में "उप-धारा (१)" के स्थान पर "उप-नियम (१)" रख दिया जाये"।]

"उप-धारा (१)" वास्तव में एक छपाई की गलती है। और उसके स्थान पर "उप-नियम (१)" रख दिया जाये।

[श्री पाटस्कर]

फिर नियम २७ के बारे में भी एक संशोधन है जिसमें कहा गया है कि उप-नियम (१) के उप खंड (ख) में 'दस रुपये' शब्दों के स्थान पर 'पांच रुपये' शब्द रख दिये जायें---क्योंकि उस विषय में भी शुल्क को दस रुपये से कम करके पांच रुपये कर दिया जायेगा।

अतः मैं बता देना चाहता हूं कि जहां तक उन अभिज्ञात पार्टियों ो प्रारूप निर्वाचक नामावली संभरित करने का संबंध है जिन्हें प्रतीक आवंटित हो गये हैं, संशोधन स्वीकार कर लिया गया है और मैं समझता हूं कि उससे बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

मैं समझता हूं कि हम केवल इतने ही नियम बना रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संबंध में जो कुछ भी आवश्यकता होगी उसे हम इस भाव से करेंगे कि, चुनाव यथा संभव न्याय संगत हों और कठिनाइयां बहुत कम हो जायें। हम हर एक बात के लिये नियम नहीं बना सकते। अतः ये ही संशोधन हैं जिन्हें स्वीकार करने के लिये मैं तैयार हूं। जहां तक निर्वाचक नामावलियां मुफ्त देने के प्रश्न का संबंध है, यह एक ऐसा मामला है जिस पर निर्वाचन आयोग, राज्य सरकारें तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एक स्तर पर बात चीत करेंगे और सरकार यथा संभव उचित निर्णय करेगी।

जहां तक अन्य मामलों जैसे कि नियमों के उचितता तथा उनके प्रकाशन आदि का संबंध है उन पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। मैं समझता हूं कि नियम स्वयं ही अच्छे खासे उपबन्धों के समान हैं, अतः उन्हें और अधिक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां तक निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये काम का संबंध है, उसको तो विरोधी पक्ष के सदस्य भी सराहना करते हैं, अतः यह कल्पना करना निराधार है कि आयोग कोई उचित काम नहीं करेगा।

†**श्री कामत** : एक औचित्य प्रश्न के संबंध में, मैं आप का ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम ३३८ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला कोई भी सदस्य उसके बारे में उत्तर के रूप में दोबारा भी बोल सकता है। अब इन प्रस्तावों को हमने प्रस्तुत किया था, इसलिये हम चाहते हैं कि हमें इस पर बोलने का अधिकार दिया जाये। हम दो तीन मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वैसे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। परन्तु आपके प्रस्ताव संशोधनों के रूप में हैं।

†**श्री कामत** : निर्वाचक नामावली नियमों के संबंध में मैं ने प्रस्तावों की सूचना दी है, संशोधन की सूचना नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो ठीक है यदि आप दो तीन मिनट क लिये बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे भी कोई आपत्ति नहीं।

†**श्री कामत** : मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने हमारे से युक्त प्रस्ताव संख्या १५ के संबंध में हमारी मांग को बहुत कम पूरा करना स्वीकार किया है, और मैं चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय से संबंध रखने वाली हमारी न्यायोचित मांग को और अधिक पूरा किया जाये। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में हमें आश्वासन दें। यदि वे आश्वासन नहीं देते तो इस से मैं समझूंगा कि सरकार इस को पूरा ध्यान नहीं देना चाहती और देश में न्यायपूर्ण चुनाव नहीं कराना चाहती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० कु० बसु** : मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने कुछेक संशोधनों को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि संशोधन संख्या ८, ९, ११ तथा १२ के संबंध में हमने जो चर्चा की है तथा जो दृष्टिकोण अभिव्यक्त किये हैं, कम से कम उन्हें तो निर्वाचन आयुक्त के पास अवश्य भेज दिया जाये। संशोधन १५ में जो प्रतियों के मुफ्त दिये जाने की बात कही है उसे तो अधीनस्थ विधान की समिति ने भी सर्व सम्मिति से मान लिया था। अतः मुझे आशा है कि मंत्री जी नीति बनाते समय इन सभी बातों को अपने ध्यान में रखेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सबसे पहले हम सरकारी प्रस्तावों का निबटारा करेंगे।

संकल्प स्वीकृत :

(१) यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसरण में २४ जुलाई, १९५६ को सभा पटल पर रखे गये लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना) नियम, १९५६ के नियम २ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें, अर्थात्—

खंड (ग) में "करें" के बाद

"Subject to approval of the Election Commission"

["निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के अधीन रहते हुये"] शब्द रखे जायें।

ये सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उपर्युक्त संकल्प से सहमत हो।

(२) यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसरण में २४ जुलाई, १९५६ को सभा पटल पर रखे गये लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना) नियम, १९५६ के नियम ११ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें, अर्थात्—

(१) खंड (क) में, अन्त के "and" ["और"] शब्द का लोप किया जाये;

(२) खंड (ख) में, अन्त में "and" ["और"] शब्द जोड़ दिया जाये; और

(३) खंड (ख) के बाद निम्नलिखित अंश जोड़ा जाये :

"(c) supply free of cost two copies of each separate part of the electoral roll to every political party to which a symbol has been allotted by the Election Commission."

["(ग) निर्वाचक आयोग द्वारा जिन राजनैतिक दलों को चिन्ह आवंटित किये गये हों उन सभी राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों के प्रत्येक अलग भाग की दो-दो प्रतियां मुफ्त दी जायें।"]

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उपयुक्त संकल्प से सहमत हो।

(३) यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसरण में २४ जुलाई, १९५६ को सभा पटल पर रखे गये लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना) नियम, १९५६ के नियम २६ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें, अर्थात्—

(१) उपनियम (१) के खंड (क) में "ten rupees" ["दस रुपये"] के स्थान पर "five rupees" ["पांच रुपये"] रखा जाये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) उपनियम (२) में "sub-section (1)" ["उपधारा (१)"] के स्थान पर "sub-rule (1)" ["उप नियम (१)"] रखा जाये।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उपर्युक्त संकल्प से सहमत हो।

(४) यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसरण में २४ जुलाई, १९५६ को सभा पटल पर रखे गये लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना) नियम, १९५६ के नियम २७ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें ; अर्थात्—

उपनियम (१) के खंड (ख) में "ten rupees" ["दस रुपये"] के स्थान पर "five rupees" ["पांच रुपये"] रखे जायें।

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उपर्युक्त संकल्प से सहमत हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अन्य सदस्यों के प्रस्ताव सभी की अनुमति से वापस ले लिये गये हैं। श्री डाभी सभा भवन से चले गये हैं। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में, मैं उनके संशोधन संख्या १६, १७, १८, २४ और २५ सभा के मत दान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री फूलसिंह जी डाभी के संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६]

पृष्ठ

राज्य-सभा से संदेश ११९३

सचिव ने सभा को बताया कि राज्य-सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २० अगस्त, १९५६ को पारित उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक और जम्मू और काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयकको बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . ११९३

बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ११९३–९४

श्री दी० चं० शर्मा ने राष्ट्रमंडलीय तथा अन्य देशों की सेनाओं को साइप्रेस भेजने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री की ओर से वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी) ने उपरोक्त विषय के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

समिति के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव स्वीकृत . . . ११९४

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने विश्व भारती संसद् (कोर्ट) का सदस्य बनाने के लिये लोक सभा के सदस्यों में से एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक विचाराधीन ११९७–१२१५

गृह-कार्य तथा भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० ब० पंत) ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त नहीं हुई।

विधेयक पारित १२१५–२४

श्री पाटस्कर ने लोक-प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १२२५

इकसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित १२२५–२७

निम्नलिखित विधेयक पुरःस्थापित किये गये।

(१) श्री गौतम द्वारा मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक, १९५६ धारा १, २ और ३ आदि का संशोधन और धारा १८ और १९ का प्रतिस्थापन।

(२) श्री क० कु० बसु द्वारा निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, १९५६ (धारा ३, ७, ८ और १० का संशोधन)।

(३) श्री झूलन सिंह द्वारा भारतीय लाइट रेलवे राष्ट्रीयकरण विधेयक, १९५६।

(४) श्री डाभी द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५६ (धारा ४९७ का हटाया जाना)

(५) श्री क० कु० बसु द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद ३७, २९१ और ३१४ का संशोधन), १९५६।

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियमों के बारे में प्रस्ताव १२२७–४२

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियमों के रूपभेद के बारे में बाइस प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। प्रस्तावों पर चर्चा के पश्चात् श्री पाटस्कर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। श्री पाटस्कर द्वारा प्रस्तुत अन्य चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। श्री डाभी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा अन्य सब प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६ के लिये कार्यावलि—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना संबंधी संकल्प पर चर्चा।

भा. स. मु. ना.—वि.३—२५२ लोक-सभा/५६—२४-१२-५७—१९०